खास महाल
भूमि बन्दोबस्ती
अतिक्रमण

पत्र संख्या :- 6/ खा० म० नीति 9/2001-2306 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री ए० के० चौबे,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता ।

पटना 15 दिनांक, 30.10.2001

विषय :- नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 1995 के तहत उद्योग के प्रयोजन के लिए लीज अवधि में विस्तार तथा लीज पर बंदोबस्ती की शक्ति समाहर्ता को प्रदत्त करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि नई औद्योगिक नीति, 1995 के तहत उद्योग के प्रयोजन के लिए लीज अवधि में विस्तार करने तथा इस हेतु बंदोबस्ती की शक्ति समाहर्ता को प्रदत्त करने संबंधी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 8/खा० म० नीति 3/95 1697 रा० दिनांक 22.11.95 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

विश्वासभाजन

(ए० के० चौबे)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक :- 2306 / रा०, पटना 15 दिनांक 30.10.2001

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, उद्योग विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय/वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 6/ खा० म० नीति 1/2001-2043 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

पटना 15 दिनांक, 24.9.2001

विषय :- थाना भवन एवं हाजत गृह के निर्माण हेतु सरकारी भूमि गृह (आरक्षी) विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण करने की शक्तियाँ प्रमण्डलीय आयुक्तों को प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

जिलों में अवस्थित गैर मजरूआ ख़ास, मालिक, परती कदीम एवं अन्य भूमि गैर मजरूआ आम (जिसकी प्रकृति बदल गयी हो) भूमि सहित को राज्य सरकार के विभाग के उपयोग के लिए निःशुल्क हस्तान्तरण के लिए विधिवतहस्तान्रण प्रस्ताव समाहर्त्ता से उनके प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्राप्त होते थे, जिसे विभाग द्वारा वित्त नियमावली के नियम 441 (1), कोषागार संहिता के निगम 327 तथा इस्टेट मैनुअल एवं समय-समय पर इस संबंध में निर्गत नीतिगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के नियम 32 के आलोक में विभागीय संलेख/प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित विभाग के नाम भूमि के निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण हेतु राजयादेश निर्गत किया जाता है ।

2- राज्य में विभिन्न स्थानों पर विधि-व्यवस्था के मामलों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार बड़ी संख्या में थाना भवन एवं हाजत गृह के निर्माण का निर्णय लिया गया है । माननीय उच्च न्यायालय ने भी लोकहित याचिका में विधि व्यवस्था का नियंत्रण करने हेतु चयनित स्थानों में थाना भवनों के निर्माण के लिए अतिशीघ्रता बरतने का आदेश पारित किया है । मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार को यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया है ।

अतः भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल करने के बिन्दु पर विचारोपरान्त थाना भवन एवं हाजत गृहों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि गृह आरक्षी विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तांनान्तरण करने की शक्तियां प्रमण्डलीय आयुक्तों को प्रत्योयोजित करने का निर्णय सरकार ने लिया है ।

अतः थाना भवन एवं हाजत गृह के निर्माण हेतु उपलब्ध सरकारी भूमि गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा निर्धारित रकवा के मापदण्ड के अनुसार गृह (आरक्षी) विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण हेतु समाहर्ता से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रमण्डलीय आयुक्त निःशुल्क हसतान्तरण की स्वीकृति का आदेश देंगे ।

यदि प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार के किसी विभाग के अधीन हो तो प्रमंडलीय आयुक्त संबंधित विभाग को भूमि हस्तान्तरण का विधिवत प्रस्ताव भेजेंगे और प्रस्ताव में सहमति प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे ।

प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निश्चित रूप से भेजी जायेगी ।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन

(के० ए० एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक :- 2043 / रा०, पटना 15 दिनांक 24.9.2001

प्रतिलिपि सभी सचिव-सह-आयुक्त/सचिव/सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० ए० एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 6/ खा० म० नीति 7/2001-1603 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,

पटना 15, दिनांक- 16.7.2001

विषय :- **गैर मजरूआ आम जमीन पर स्थित कब्रिस्तान या श्मशान की भूमि का नीचले स्तर के अधिकारियों द्वारा अनियमित ढंग से बन्दोबस्ती करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि सरकारी नियमानुसार गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती किसी स्तर के पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है । परन्तु सरकार को सूचना मिली है कि गैरमजरूआ आम भूमि पर स्थित कब्रिस्तान या श्मशान की भूमि की नीचले स्तर के अधिकारियों द्वारा अनियमित ढंग से बन्दोबस्ती की जा रही है ।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की अनियमित ढंग की बन्दोबस्ती से सम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होती है जिससे विधि व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार की अनियमित ढंग से बन्दोबस्ती को अविलम्ब रद्द करने की कार्रवाई की जाय तथा जो भी पदाधिकारी/कर्मचारी इसके लिए दोषी पाये जाये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सरकार को सूचित करने की कृपा की जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार चौधरी)

12.7.2001

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 2/99 1102 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना ।

पटना 15, दिनांक - 24.6.99

विषय :- राज्य के प्रत्येक गाँवों/टोले/मुहल्ले को सम्पर्क सड़क से यातायात हेतु जोड़ने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार यह महसूस करती है कि राज्य के अधिकांश गांव का मुख्य सड़क से सम्पर्क नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को यातायात में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

2. विभाग की ओर से सरकार द्वारा विधानमंडल में घोषणा की गयी है कि राज्य के जिस गांव के टोले/मुहल्ले में जाने के लिए सड़क नहीं है, वहाँ सड़क निर्माण के लिए गैर-मजरूआ जमीन उपलब्ध करायी जायेगी, गैर मजरूआ जमीन उपलब्ध नहीं होने पर भूमि अर्जन कर सड़क बनाने हेतु दिया जायेगा ताकि ग्रामीणों को यातायात सुलभ हो सके ।

3. अतएव राज्य के लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें उग्रवाद प्रभावित गाँव भी सम्मिलित है के टोले एवं मुहल्ले जहां आवागमन के लिए कोई सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है, को सड़क निर्माण कर मुख्य सड़क से सम्पर्क मार्ग बनाने हेतु वहाँ उपलब्ध गैर मजरूआ भूमि का सर्वेक्षण कराकर सड़क निर्माण हेतु अपने विभाग की ओर से अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय । सम्पर्क मार्ग/सड़क निर्माण हेतु जहाँ गैरमजरूआ भूमि उपलब्ध नहीं हो वहाँ आवश्यकतानुसार रैयती भूमि भू-अर्जन हेतु प्रक्रिया अपनायी जाय । राज्य के सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त को भी इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य तुरंत प्रारंभ करने एवं जहाँ भू-अर्जन की आवश्यकता हो वहाँ निधि की आवश्यकता सूचित करने का अनुदेश दिया जा रहा है ।

कृपया इस संबंध में कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 8/97 (खंड - 1) 644 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर

समाहर्त्ता, मुंगेर ।

पटना 15, दिनांक- 15.4.99

विषय :- खास महाल जमीन के लीज नवीकरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक - 22 रा० दिनांक 7.2.95 एवं समाहर्ता मुंगेर के पत्रांक 46 रा० दिनांक 10.2.96 एवं अ० स० पत्रांक - 70 दिनांक 24.8.96 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा अपने पत्र में इस्टेट्स (खास महाल) मैनुअल के प्रावधानों में सरकार द्वारा समय-समय पर लीज नवीकरण के संबध में निर्गत परिपत्रों में अंकित प्रावधानों में विरोधभाष होने की बात उठाते हुए उसे स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रमंडलीय आयुक्त के पत्र में मुख्यत: निम्नांकित परिपत्रों एवं इस्टेट्स मैनुअल के प्रावधान की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है-

i. बिहार सरकार इस्टेट्स (खास महाल) मैनुअल का नियम - 9

ii. स्टेण्डर्ड लीज एग्रीमेंट प्रपत्र में वर्णित टर्म्स एवं कन्डीसन ।

iii. सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र सं० 4234 दिनांक 1.9.69

iv. सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र सं० 2452 दिनांक 24.9.97

v. सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र सं० 3195 दिनांक 4.9.01

vi. सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र सं० - 344 दिनांक 11.3.93

3. सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्रों एवं खास महाल मैनुअल के प्रावधानों में विरोधाभाष नहीं है । मैनुअल के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों में नयी लीज एवं पुरानी लीज के नवीकरण तथा लीज शर्तों के उल्लंघन के मामले पर विचार करने का मार्ग दर्शन उल्लेखित है। प्रासंगिक पत्रांक -2452 दिनांक 24.9.77 के साथ भेजे गये परिपत्र नहीं था, बल्कि लीज नवीकरण में होनेवाली संभावित त्रुटियों के निराकरण करने के संबंध में प्रारूप तैयार कर सभी समाहर्ता/उपायुक्त के बहुमूल्य परामर्श एवं मंतव्य हेतु अग्रसारित किया गया था । विभागीय पत्रांक 3195 रा० दिनांक 4.9.81 एवं 344 दिनांक 11.3.93 द्वारा खास महाल/सरकारी भूमि के पट्टे के नवीकरण लीज शर्तों के उल्लंघन एवं लीज के अन्तरण के समय की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत आदेश समूचित किए गए हैं, जिसमें वर्णित परिपत्रों में कोई विरोधाभाष नहीं है ।

4. आपके प्रासंगिक पत्रों पर सम्यक रूप से समीक्षोपरान्त यह महसुस किया गया कि निर्गत परिपत्रों एवं इस्टेट्टस (खास महाल) मैनुअल के प्रावधानों में कोई विरोधाभाष नही हों, इसलिए सरकारी भूमि के पट्टे तथा पट्टे के नवीकरण के संबंध में निम्नांकित अनुदेश मार्गदर्शन एवं अग्रेतत्तर कार्रवाई हेतु पुन: स्पष्ट की जाती है ।

5. नये पट्टे (लीज) के समय जमीन के बाजार मूल्य के बराबर सलामी ली जाती है । इसके अलावा आवासीय प्रयोजन के लिए उस सलामी का 2 प्रतिशत वार्षिक लगान लिया जाता है तथा व्यवसायिक प्रयोजन के लिए सलामी की राशि का 5 प्रतिशत वार्षिक लगान लिया जाता है । व्यक्ति विशेष या संस्था के साथ शहरी एवं अर्द्ध शहरी भूमि को बन्दोबस्त करने की शक्ति सरकार में निहित है ।

6. पट्टे के नवीकरण के समय पट्टे की शर्तों एवं बन्धेजों के अलोक में सामान्यतया वार्षिक लगान को दुगणा कर दिया जाता है । पटना, धनबाद, राँची एवं जमशेदपुर के पट्टों का नवीकरण सरकार द्वारा तथा अन्य जिलों में पट्टों का नवीकरण संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से किया जाता है । यदि पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ हो तो पट्टे की पूरी जमीन का नवीकरण किया जाता है परन्तु यदि किसी अंश का उपयोग नहीं हुआ हो या किसी शर्त का उल्लंघन हुआ हो तो उसे पर्त्यग्रहीत किया जा सकता है ।

7. I. जहाँ जमीन के मूल्य में उत्तरोतर वृद्धि (प्रोग्रेसिव) अथवा विशेष परिस्थिति औचित्य स्थापित (जस्टीफाई) करता हो वहाँ नवीकरण के लिए भी सलामी ली जा सकती है बशर्ते कि पट्टे की शर्तों एवं बन्धेजों में इस संबंध में समुचित प्रावधान हों और कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति न हो ।

II. सलामी की राशि लीज अवधि के दौरान जमीन की कीमत भविष्य में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उचित और न्याय संगत (इक्वीटेबुल) होनी चाहिए । शहरी खास महाल में निजी भू-स्वामियों द्वारा लीज ली जा रही सलामी भी देखी जानी चाहिए । गाँवों में जो शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं आस-पास की दर मार्गदर्शक नहीं हो सकती । ऐसे मामलों में यदि अन्य किसी तरह से सलामी का निर्धारण संतोषप्रद ढंग से नहीं हो सके तो नीलामी द्वारा इसका निर्धारण हो सकता है, यद्यपि इसका यदा-कदा हो (स्पेयरिंग) उपयोग होना चाहिए ।

8. (क) जहाँ नवीकरण नहीं हुआ है परन्त लगान दिया और स्वीकार किया जाता रहा है या लीज धारि ने समय पर आवेदन दे दिया है वहाँ कोई क्षति मूल्य (डैमेज) देय नहीं होगा तथा वर्तमान पट्टे की शर्तों के अधीन दुगना लगान लेकर नवीकरण किया जाएगा ।

(ख) जहाँ नवीकरण नहीं हुआ है और लगान भी नहीं दिया गया है, अथवा हस्तान्तरण हुआ है या प्रयोग में परिवर्तन हुआ है वहाँ भूधारी को स्पष्टतः अतिक्रमक (टेसपासर) माना जायेगा । ऐसे मामलों में वर्तमान भू-धारी को नोटिस देकर सलामी सहित नई शर्तों पर नई लीज के लिए पूछा जा सकता है । सहमति होने पर सलामी लेकर नया पट्टा निष्पादित किया जा सकता है । असहमति पर सिविल सूट दायर कर निष्कासन (एभिक्शन) किया जा सकता है ।

(ग) के मामलों में मूल पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद से नए पट्टे में प्रस्तावित लगान की दुगनी राशि दण्डात्मक लगान (पेनलरेंट) के रूप में वसूलनीय होगी । चुकाये गये लगान और नये पट्टे में प्रस्तावित लगान के फर्क पर 10 प्रतिशत सूद देय होगा ।

9. आवासीय प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि पर अवस्थित भवन यदि आवासीय प्रयोजन के लिए किराया पर दिया गया हो तो उसे शर्त का उल्लंघन नहीं माना जायेगा ।

10. अन्तरण अथवा प्रयोजन परिवर्तन के मामलों में आवेदन प्राप्त होने पर वर्तमान बाजार दर अथवा अन्तरण की राशि से, जो भी अधिक हो, पूर्व में दी गई सलामी की राशि घटा कर शेष राशि का 50 प्रतिशत सरकार को भुगतान करने की शर्त पर अन्तरण प्रयोजन परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है । साथ ही आवासीय प्रयोजन में परिवर्तन कर व्यावसायिक/औद्योगिक/बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण की अनुमति देने की दशा में लगान का पुनर्निर्धारण 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दिया जायेगा ।

11. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में लीज स्वीकृति तथा नवीकरण के लंबित मामलों को निश्चित रूप से एक अभिमान के रूप में विशेष कैम्प लगाकर निष्पादित कर दिया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 644 रा०, पटना - 15 दिनांक 15.4.99

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी समाहर्त्ता/ उपायुक्त को सूचनार्थ एवं मार्ग प्रदर्शनार्थ प्रेषित ।

2. पटना/राँची/धनवाद एवं जमशेदपुर जिलों से संबंधित लीज नवीकरण/अन्तरण अथवा प्रयोजन में परिवर्तन की अनुमति के मामले यथाशीघ्र विभाग को प्रस्ताव के साथ संबंध अभिलेख सहित भेजने का कृपा की जाय ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 4/96 576 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री वैद्यनाथ प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त के सचिव,

तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ।

बिहार, पटना

पटना 15 दिनांक, 8.4.99

विषय :- गैरमजरूआ भूमि का बन्दोबस्ती सक्षमता के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक - 277 रा० दिनांक 11.7.98 के प्रसंग में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं० - 2034 रा० दिनांक 3.5.1971 के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ गैर मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती (मकान के लिए) करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को थी परन्तु विभागीय परिपत्र सं०- 1857 रा०, दिनांक 18.5.82 में दिये गये निर्देश के अनुसार परिपत्र सं० - 344 रा० दिनांक 15.1.69 को अनुशरण करने का निर्देश भेजा जा चुका है अर्थात प्रमंडलीय स्तर से गैर मजरूआ आम जमीन का बासगीत पर्चा निर्गत नहीं की जायेगी । बल्कि अगर वैसी भूमि जिसकी प्रकृति [illegible] है और वह व्यक्ति लायक अथवा कृषि कार्य हेतु उपयुक्त हो चुका है तो वैसी स्थिति में स्थानीय पदाधिकारी नियमानुसार विधिवत अभिलेख तैयार कर बन्दोबस्ती प्रस्ताव उचित माध्यम से सरकार की स्वीकृति हेतु भेजें अर्थात गैर मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती का अधिकार सरकार को ही है । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि पुनः भेजा जा रहा है ।

विश्वासभाजन

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 576 रा०, पटना - 18, दिनांक 8.4.99

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलों के आयुक्त के सचिव को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 14/97 1087 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री वैद्यनाथ प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

श्री जे० बी० तुविद,
जिला पदाधिकारी-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
दरभंगा ।

पटना 15 दिनांक, 21.7.98

विषय :- कैसरे हिन्द भूमि की बन्दोबस्ती, बिक्री एवं स्वामित्व के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक - 1538 रा० दिनांक 5.7.97 के प्रसंग में कहना है कि यथावांछित सूचना बिन्दुवार निम्नांकित दी जा रही है-

1. संविधान के अनुच्छेद 294 (ए०) के अनुसार जो सम्पति संविधान के लागू होने के पहले Dominion of Inidia के लिए हिज मैजेस्टी में निहित थी और कैसरे हिन्द के रूप में दर्ज की जाती थी, संविधान के लागू होने के पश्चात दखल एवं उपयोग के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकार का सम्पति मानी जायेगी । अर्थात अगर कोई कैसरे हिन्द जमीन संविधान लागू होने के तुरत पहले केन्द्र सरकार के दखल एवं उपयोग में थी तो वह केन्द्र सरकार का और अन्य वैसी सारी जमीन राज्य सरकार की होगी ।
2. भूतपूर्व जमींदारों द्वारा आजादी के पूर्व कैसरे हिन्द भूमि की बन्दोवस्ती की मान्यता नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना ही हक हस्तान्तरित कर सकता है । जब कैसरे हिन्द जमीन का स्वामित्व भूतपूर्व जमीन्दार से प्राप्त नहीं या उसकी बन्दोबस्ती करना अवैध कार्रवाई का श्रेणी में आयेगा और इस आधार पर उनके द्वारा का गई बन्दोवस्ती अवैध (Void) माना जायेगा ।
3. भूतपूर्व जमीन्दारों द्वारा अगर कैसरे हिन्द भूमि की बन्दोबस्ती एवं बिक्री की गयी है तो इस मामले में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्जकर बन्दोबस्ती अथवा बिक्री को रद्द कर दी जाय, तदनुसार इसे सरकार के स्मामित्व में ले लिया जाय ।
4. आज की तिथि से भूमि का नवैयत का ईद्राज एवं अन्य कार्रवाई कडिका 1 के अनुरूप की जाय ।
5. कैसरे हिन्द भूमि का कस्टोडियन एवं उसका प्रबंधन कडिंका - 1 के अनुरूप ही होगा ।
6. चूँकि कैसरे हिन्द भूमि भी लोक भूमि है, अतएव लोक भूमि अधिक्रमण अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे ।

विश्वासभाजन

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 8/ खा०म० नीति - 14/97 1089 / रा० पटना - 15 दिनांक 21.7.98

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से अधिनस्थ पदाधिकारियों को अवगत करा दें ।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 12/96   2875 / रा०,

प्रेषक,

श्री एस० एन० पी० एन० सिन्हा,

आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलायुक्त,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त।

पटना 15 दिनांक, 13.11.96

विषय :- सरकारी जमीन बन्दोबस्ती के सम्बन्ध में जमीन का मूल्यांकन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती के सम्बन्ध में बिहार इस्टेट मैनुअल के नियम-171 के अनुसार विधिवत प्रस्ताव भेजते समय चेक स्लीप में जमीन के वर्तमान बाजार दर की सूचना अंकित की जाती है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक 3531 रा०, दिनांक 24.11.80 द्वारा निर्देश दिया गया था कि जमीन का मूल्यांकन के सम्बन्ध में निबंधन कार्यालय से दो-तीन वर्षों के बिक्री दर को समेकित विवरणी आवश्यक रूप से संलग्न करें।

अतः उक्त परिपत्र के निर्देश में यह संशोधन किया जाता है कि पिछले दो-तीन वर्षों के ट्रान्जक्सन्स (क्रय -विक्रय) में जो मूल्यांकन आये तथा इन्ट्रूमेन्टस इस वैलुएसन के लिए अधिसूचित मूल्यांकन में, जो अधिक हो वह आधार माना जाएगा।

विश्वासभाजन

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)

आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 2/96   350 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री सी० अशोकवर्द्धन
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त/
सभी अपर समाहर्त्ता ।

पटना, दिनांक 9 फरवरी, 1996

विषय :- विभिन्न विकास विभागों के अधीन विशिष्ट कार्यक्रमों/निर्माण कार्यों के लिए सरकारी भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी को प्रदत्त करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभिन्न विकास विभागों जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे विशिष्ट कार्यक्रमों/निर्माणा कार्यों के लिए जो विशेषतः समाज के गरीब वर्ग के लोगों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं महिला तथा बालिकाओं के लिए लाभ पहुंचाने के उद्देश्य हैं में सरकारी भूमि की बंदोबस्ती/हस्तान्तरण में हो रहे प्रक्रिया विलम्ब को दूर कर बन्दोबस्ती की शक्ति को विकेन्द्रित करते हुए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्रदत्त करने की अनुशंसा दिनांक 15.4.95 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई थी ।

2. यह भी अनुशंसा हुई कि प्रयास होना चाहिए कि कलस्टर रूप में ऐसे निर्माण कार्य एक ही स्थान पर केन्द्रित हों ।

3. अतः अनुरोध है कि इस बिन्दु पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14.12.95 के मद संख्या - 12 द्वारा सरकार ने भलिभाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि निम्नांकित विभागों के अधीन विशिष्ट कार्यक्रमों/निर्माण कार्यों के लिए सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती की शक्ति संबंधित जिला पदाधिकारी को प्रदत्त की जाय:-

(1)	ग्रामीण विकास विभाग :-	(क) सामुदायिक भवन (ख) पंचायत भवन (ग) शौचालय (घ) प्रशिक्षण ट्राइसेन केन्द्र (10 टालों के समूह के लिए एक)
(2)	स्वास्थ्य विभाग -	(क) स्वास्थ्य उपकेन्द्र ।
(3)	कल्याण विभाग -	(क) आंगनवाड़ी केंद्र ।
(4)	शिक्षा विभाग -	(क) प्राथमिक विद्यालय (ख) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (ग) महिला कुटीर ।
(5)	लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग -	(क) शौचालय ।

उपर्युक्त संस्था के साथ कलस्टर रूप में निर्माण कार्य एक ही स्थान पर केन्द्रित हो ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

(सी० अशोकवर्द्धन)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - 350 रा०, दिनांक 9 फरवरी , 1996

प्रतिलिपि, सभी विभाग/सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०
सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 13/95 252 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री सी० अशोकवर्द्धन,

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त/

सभी प्रमंडलायुक्त

पटना -15 दिनांक 1.2.96

विषय :- बिहार में खेल की संभावनाओं को विकसित करने के क्रम में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में एक गैर मजरूआ भू-खंड खेल मैदान के रूप में बन्दोबस्त / आवंटित करने के संबंध में निर्गत विभागीय परिपत्र पत्रांक - 80 दिनांक - 17.1.96 में आंशिक संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि बिहार में खेल की संभावनाओं को विकसित करने के क्रम में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में एक गैर-मजरूआ भू-खंड खेल मैदान के रूप में सरकार कर्णांकित करना चाहती है.।

अतएव आपसे अनुरोध है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचात में (कम से कम) 2.00 एकड़ (दो एकड) गैर मजरूआ भू-खंड खेल मैदान हेतु कर्णांकित कर सरकार को सूचित करने का कष्ट किया जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(सी० अशोकवर्द्धन)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - 252 रा०, पटना 15, दिनांक 1.2.96

प्रतिलिपि मंत्री के आप्त सचिव, कल्याण तथा युवा कार्य कला एवं सांस्कृतिक विभाग, बिहार, पटना को उनके अ० स० पत्रांक- 182 दिनांक 17.8.95 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(सी० अशोकवर्द्धन)

सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 13/95   213 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० पी० एन० सिन्हा,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना -15 दिनांक 29.1.96

विषय :- खास महाल संबंधी कार्य को सुचारू रूप में सम्पादन हेतु जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर उप-समाहर्त्ता भूमि सुधार को प्रभारी बनाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना द्वारा विभिन्न जिलों में भ्रमण के क्रम में यह पाये है कि किसी-किसी जिला में समाहर्त्ता/उपायुक्त ने अपने स्तर से खास महाल पदाधिकारी को अधिकार प्रदान कर देते है जिससे भूमि सुधार के मामलों में बहुत सी विसंगतियाँ प्राप्त हो रही है ।

इस संबंध में सरकार के भलि भांति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि:-

(1) अनुमंडल में जहाँ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पद है वहाँ पटना समाहर्त्ता का कार्य भी देखेंगे ।

(2) जिला मुख्यालय में जहाँ एक से अधिक अनुमंडल है वहाँ उपसमाहर्त्ता प्रभारी खास महाल समन्वय कर सकते हैं, अनुमंडलों के बीच तथा समाहर्त्ता को सहायता कर सकते हैं ।

विश्वासभाजन

(एस०एन०पी०एन० सिन्हा)

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 213 रा०, दिनांक 15, दिनांक 29.1.96

प्रतिलिपि - सभी अनुमंडलाधिकारी / अंचलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 15/95 1579 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

डा० छट्टू राम ।

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना -15 दिनांक 13.11.95

विषय :- राज्य के कुम्हारों को मिट्टी के वर्तन एवं अन्य सामग्रियों के निर्माण हेतु फ्री मिट्टी उपलब्ध कराने हेतु सरकारी जमीन कर्णांकित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि बिहार राज्य के कुम्हारों को मिट्टी के वर्तन एवं अन्य सामग्रियों के निर्माण हेतु सरकारी जमीन को कर्णकित कर फ्री मिट्टी उपलब्ध कराया जाएगा ।

इन बिन्दु पर सरकार ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि राज्य के उन सभी गाँव एवं शहर में (जिस ग्राम या शहर में कुम्हार लोग बसे हुए हैं और वे मिट्टी के वर्तन एवं अन्य सामग्रियां को निर्माण कार्य में लगे हुए हैं) उनके व्यवसाय को आर्थिक रूप से सदृढ़ करने हेतु सरकारी जमीन को खोजकर कर्णांकित कर दिया जाय ताकि उन्हें प्राप्त मिट्टी उपलब्ध कराया जा सकें ।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(छट्टू राम)

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 1/94 1180 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० पी० एन० सिन्हा,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 16.5.94

विषय :- देहाती क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग अनुसूची - II के सदस्यों के साथ गैर-मजरूआ मालिक जमीन की बन्दोबस्ती के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि पिछड़े वर्ग अनुसूची II के सदस्यों के साथ देहाती क्षेत्रों में गैर-मजरूआ मालिक जमीन की बन्दोबस्ती का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था । अबतक की प्रक्रिया के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से बन्दोबस्ती का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होने पर मंत्रिपरिषद का स्वीकृति के पश्चात बन्दोबस्ती का राज्यादेश निर्गत होता रहा है । इस लम्बी प्रक्रिया में काफी समय लगता है । ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़ा वर्ग अनुसूची - II के सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर मजरूआ मालिक जमीन की बन्दोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बिना सलामी के उसी प्रकार की जा सकेगी जिस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग अनुसूची- I के व्यक्तियों के साथ की जाती है ।

2. विभागीय पत्रांक 1226 रा०, दिनांक 8.5.81 द्वारा देहाती क्षेत्रों में बन्दोबस्ती का निर्गत सरकारी प्रावधान उपर्युक्त अंश तक संशोधित समझा जाय ।

3. गैर-मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती पूर्ववत राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(एस०एन०पी०एन० सिन्हा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 1180 रा०, पटना, दिनांक 16.5.94

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस०एन०पी०एन० सिन्हा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 1180 रा०, पटना, दिनांक 16.5.94

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 7/93 344 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्रीमती लक्ष्मी सिंह,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 11.3.93

विषय :- राज्य के खास महाल/सरकारी जमीन के लीज पुनरीक्षण वार्षिक लगान का मानकीकरण एवं लीज के अन्तरण तथा प्रयोजन में परिवर्तन की अनुमति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि बिहार राज्य में उपलब्ध खास महाल/सरकारी जमीन के लीज के अन्तरण एवं प्रयोजन में परिवर्तन की अनुमति तथा लगान में वृद्धि द्वारा साधन श्रोत में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन था । ज्ञातव्य है कि राजस्व विभागीय परिपत्र सं०- 4234 दि० 1.9.1969 में प्रावधान है कि यदि कोई लीजधारी लीज पर दी गई जमीन अथवा उसके अंश को अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने का आवेदन पत्र देता है तो उसे प्रमंडलीय आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित समाहर्ता उपायुक्त (पटना, रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर को छोड़कर) द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है । पटना, रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर जिलों के लिए ऐसी अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है । उसी प्रकार परिपत्र सं० 3195 दिनांक 4.9.1981 के अनुसार यदि कोई लीजधारी आवासीय प्रयोजन हेतु बन्दोबस्त जमीन को व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोजन में उपयोग करने हेतु आग्रह करता है तो व्यावसायिक लगान अर्थात् वर्तमान निर्धारित सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक लगान लेकर प्रयोजन परिवर्तन की अनुमति देने का प्रावधान है ।

2- ऐसा विश्वास करने का कारण है कि लीजधारी द्वारा इस तरह का अन्तरण प्रयोजन परिवर्तन अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के उदेश्य से किया जाता है । फलत: लीजधारी को तो इससे अधिक लाभ होता है परन्तु सरकार के इसे कोई लाभ नहीं मिलता है । उल्लेखनीय है कि दिनानुदिन सीमित हो रही जमीन की कीमत में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है । अत: सरकारी जमीन के मामलों में इसका लाभ सरकार को भी मिलना चाहिए।

3- इस मामले पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि :-

(I) लीजधारियों के खास महाल जमीन अन्तरित करने के लिए अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि जमीन के वर्तमान बाजार दर अथवा अन्तरण की राशि जो भी अधिक हो, से पूर्व में लीजधारी द्वारा दी गई सलामी की राशि को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसकी 50 (पचास) प्रतिशत रकम लीजधारी सरकारी खजाने में जमा करें ।

(II) लीजधारियो को खास महाल जमीन का उपयोग आवासीय उपयोग से बदलकर व्यासायिक औद्योगिक बहुमंजिला आवासीय प्रयोजन में लाने के संबंध में अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि जमीन के वर्तमान बाजार दर जितना हो उसमें से पूर्व में लीजधारी द्वारा दी गई सलामी की राशि को घटाने के बाद शेष राशि की 50 (पचास) प्रतिशत रकम लीजधारी सरकारी खजाने में जमा करें तथा उपयोग में परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुसार अनुमान्य हो ऐसी अनुमति मिलने पर लगान का पुनर्निर्धारण 2 (दो) प्रतिशत से बढाकर 5 (पाँच) प्रतिशत कर दिया जायेगा ।

4- उपर्युक्त कंडिका - 3 में लिए गए निर्णय के आलोक में जो भी प्रस्ताव प्राप्त हों उनमें जिला के समाहर्ता/उपायुक्त की अनुशंसा पर भूमि की स्थिति को देखते हुए प्रचलित बाजार दर एवं अद्यतन विक्रय आंकड़ों के आधार पर प्रमंडलीय आयुक्त तथा पटना, रांची, धनबाद, जमशेदपुर के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी जायगी ।

5- अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार अन्तरण एवं प्रयोजन मे परिवर्तन की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 344 रा०, पटना, दिनांक 11.3.93

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 16/91 1779 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री भास्कर बैनर्जी,

भूमि सुधार आयुक्त-सह-सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

सभी अपर समाहर्ता ।

पटना - 15, दिनांक 20.7.91

विषय :- सरकारी जमीन पर देवस्थान, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरिजाघर बनाने की प्रवृति पर रोक लगाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय विभागीय पत्रांक 709 रा०, दिनांक 3.9.79 एवं पत्रांक 2245 रा दिनांक 1.11.90 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा आपको निदेश दिया गया था कि सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से देवस्थान, मस्जिद, गिरिजाघर एवं गुरुद्वारा आदि बनाने की प्रवृति पर रोक लगाया जाय तथा इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय ।

सरकार को सूचना मिली है कि इस प्रकार की प्रवृति में दिनों दिन वृद्धि हो रही है और जिला प्रशासन इस पर मौन है ।

मैं पुन: आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अवैध निर्माण से सम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होती है जिससे विधि व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

अत: अनुरोध है कि विषयांकित अवैध निर्माण पर पूर्णरूपेण रोक लगाया जाय तथा जो भी पदाधिकारी/कर्मचारी इसके अनुपालन में लापरवाही बरतें, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सरकार को सूचित करने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

(भास्कर बैनर्जी)

भूमि सुधार आयुक्त-सह-सचिव ।

ज्ञापांक - 1779 रा०, पटना, दिनांक 20.7.91

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी को समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भास्कर बैनर्जी)

भूमि सुधार आयुक्त-सह-सचिव ।

पत्र संख्या :- 8 ए / खा० म० नीति /90 2245 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री सुरेश चन्द्र सिन्हा
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता,
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सभी अंचलाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक 1.11.90

विषय :- सरकारी जमीन पर मंदिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/ गिरिजाघर आदि के निर्माण के प्रवृति पर रोक लगाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित गृह विशेष विभाग के पत्रांक - 2463 दिनांक 26.7.90 की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त पत्र में निहित सरकार के आदेश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित करावें । इसे कृपया अत्यन्त आवश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

(सुरेश चन्द्र सिन्हा)
सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार,
गृह (विशेष) विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० लाल

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक
सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक ।

पटना - 15, दिनांक 26.7.1990 ई० ।

विषय :- सरकारी जमीन पर मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/गिरिजाघर आदि के निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

राज्य सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य में सरकारी जमीन एवं सरकारी कार्यालय परिसर में धड़ल्ले के साथ सरकार से बिना अनुमति लिए मन्दिर एवं ठाकुरवाड़ी बनाया जा रहा है । कहीं कहीं तो रास्ता रोककर यह काम किया गया है। कुछ लोगों द्वारा यह धारणा बना लिया गया है कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर उस पर मन्दिर या ठाकुरवाड़ी बना लिया जाय और उनसे बने कमरों से कमाई की जाय । थाना/ब्लॉक बिजली कार्यालय आदि जगहों में सैकड़ों की संख्या में यह कार्य किया जा रहा है । इस प्रकार की प्रवृति को बढ़ावा दिये जाने पर भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

उपर्युक्त तथ्य के आलोक में अनुरोध है कि सरकारी जमीन पर मन्दिर/मस्जिद/ठाकुरवाड़ी/गुरुद्वारा/गिरिजाघर आदि के निर्माण का प्रवृति पर रोक लगाने के निमित नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार के मामले को लेकर अनावश्यक विवाद एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो ।

विगत वर्ष राज्य में राज्य के कुछ स्थानों में हुए साम्प्रदायिक दंगे के परिपेक्ष्य में भी इस प्रकार की प्रवृतियों पर नजर रखना उपयुक्त प्रतीत होता है ।

विश्वासभाजन

ह० - अस्पष्ट

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 2463 / पटना, दिनांक - 26.7.1990 ई० ।

प्रतिलिपि - सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह० - अस्पष्ट

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 5 / अ० म० अति (नीति) 1018/79-709 रा०,

प्रेषक,

श्री अरुण कुमार बसु

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,

पटना ।

पटना, दिनांक - 3.2.1979 ई० ।

विषय :- सरकारी जमीन पर देव स्थान, महावीर स्थान तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के संबंध में ।

महोदय,

निर्देशानुसार आपके पत्रांक - 4329 दिनांक - 3.11.78 के प्रसंग में मुझे कहना है कि राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या - 3156 दिनांक 22.3.63 द्वारा जो अनुदेश दिये गये थे, उसका उद्‌देश्य यह था कि भूतपूर्व जमीन्दारों ने जहां तहां गैर जमरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती करा ली थी उसके संबंध में राज्य सरकार कैसा रूख अपनाये । उक्त अनुदेश में यह कहा गया था कि विशुद्ध तकनीकि दृष्टिकोण से अन्य प्रकार के अतिक्रमणों के अलावे विद्यालय, देवी स्थान आदि द्वारा किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जाय । बरन, यदि आपके दौरान यह पता चले कि भुतपूर्व जमींदार ने कपटपूर्ण (बन्दोबस्ती को थी तो उन्हें इस रियायत का लाभ नहीं दिया जाये अर्थात उस अतिक्रम को खाली करा दिया जाय। सरकार की यह मंशा नही थी कि विद्यालय, देवी स्थान आदि द्वारा किये गये अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाय । यदि जन साधारण के अधिकारों के सुरक्षा के लिए उसे हटाना आवश्यक समझा जाय तो उसके हटानें की कारवाई इस प्रकार की जाय जिसमें कम से कम अव्यवस्था एवं उपद्रव उत्पन्न न हो । ऐसे मामलों में स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा स्वविवेक के निर्णय लेने का आवश्यकता है । अत: पूर्व के परिपत्रों में विद्यालय, देवी स्थान आदि द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए जो अनुदेश है उसे पूर्णरूप से प्रतिबंध समझा जाय ।

2- जहां तक अन्य प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का प्रश्न है : गैर मेजरूआ आम तथा अन्य प्रकार के भूमि में कोई अन्तर नहीं है।

3- किन्तु सरकार का यह प्रत्यय है कि विद्यालय देव स्थान आदि के निर्माण हेतु किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण एकाएक नहीं कर लिया जाता है, बल्कि अतिक्रमणकारी धीरे-धीरे उस जमीन पर निर्माण कार्य करते हैं और जब निर्माण पूरा हो जाता है तो सुझाव दिया जाता है कि संबंधित संस्था बहुत दिनों से उस जमीन पर चली आ रही है, अत: अब इसे हटाना व्यवहारिक नहीं होगा । सरकार यह महसूस करती है कि इस प्रकार के अतिक्रमण सरकारी पदाधिकारियों एवं स्थानीय कर्मचारियों की मिली भगत से ही हो जाते हैं । अत: सरकार का यह आदेश है कि लोक भूमि, जिसके अन्तर्गत सरकार के सभी विभागों के प्रयोजनाधीन जमीन गैरमजरूआ खास जमीन, विधिवत पठित शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक हित (गैरमजरूआ) को जमीन आती है पर देव स्थान या अन्य प्रकार से हो रहे अधिक्रमण को प्रारंभ से ही रोक दिया जाय । सरकार ने इस संबंध में यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में यदि किसी पदाधिकारी के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण पाये जायेंगे तो उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायगी ।

4- कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

ह०/- अरूण कुमार बसु
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - 5/ अ0 म0 - अति (नीति) - 1018/79-709 रा० दिनांक - 3.2.1979 ।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी समाहर्त्ता पटना को छोड़ कर । सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- इससे आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना को मुख्य सचिव को उनके सम्बोधित अर्द्धसरकारी पत्रांक - 2899 दिनांक - 19.11.78 को निष्पादन हो जाता है ।

ह०/- अरूण कुमार बसु
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - 5/ अ0 म0 - अति (नीति) - 1018/79-709 रा० दिनांक - 3.2.1979 ।

प्रतिलिपि- लोक निर्माण विभाग को उनके ज्ञापांक - 2437 दिनांक 11.11.78 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- अरूण कुमार बसु
सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० नीति 2/91 636 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूल चन्द सिंह

भूमि सुधार आयुक्त-सह-सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना - 15, दिनांक - 12.3.91

विषय :- मंत्रि परिषद् की दिनांक 16.1.89 की बैठक में लिए गए निर्णय में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मंत्रि परिषद् की दिनांक 16.1.89 की बैठक में मद संख्या - 35 अन्यान्य के अंतर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार सभी अन्तर्विभागीय हस्तांतरण सभी अवस्था में निःशुल्क करने का प्रावधान था । यह नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के अंतर्गत सभी बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार एवं अन्य प्रशासी प्राधिकारों पर भी लागू था । मंत्रि परिषद् के दिनांक 16.1.89 का उपर्युक्त निर्णय मंत्रिमण्डल सचिवालय के ज्ञापांक - 104 दिनांक 19.1.89 के द्वारा सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को परिचालित किया गया तथा इसकी सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक - 1274 दिनांक 26.5.89 प्रतिलिपि संलग्न के द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी समाहर्त्ता, सभी अपर समाहर्त्ता करे भेजी गई थी । उक्त निर्णय पर पुनः विचार कर मंत्रिपरिषद ने दिनांक 5.2.1991 को बैठक में 16.1.79 के उपर्युक्त निर्णय को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया है;-

(क) राज्य सरकार के विभागों, बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार आदि के कार्यालय भवन / आवासीय भवन निर्माण के लिए सरकारी/खास महाल जमीन की बन्दोबस्ती स्थायी हस्तान्तरण द्वारा निःशुल्क की जाय ।

(ख) राज्य सरकार के ऐसे विभाग, बोर्ड, निगम, निकाय प्राधिकार आदि जो विश्व बैंक, अन्य राज्य सरकार अथवा निजी उद्योगपतियों की सहायता से अथवा उनके लिए जमीन की बन्दोबस्ती लेते हैं के साथ प्रचलित बाजार दर पर नियमानुसार सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत या 5 प्रतिशत (क्रमशः आवासों या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए) के 25 गुना पंजीकृत मूल्य के भुगतान पर जमीन की स्थायी बन्दोबस्ती की जाय।

(ग) अन्त निकाय की परियोजनाओं के लिए जमीन का हस्तांतरण निःशुल्क नहीं होकर उप कंडिका - 1(ख) में वर्णित पद्धति से होगा

क्योंकि प्रोजेक्ट कास्ट में भू-अर्जन की राशि सम्मिलित रहती है ।

(घ) राज्य सरकार के वैसे विभाग, बोर्ड, निगम, निकाय प्राधिकार आदि जो जमीन की बन्दोबस्ती प्राप्त कर दूसरी संस्थाओं या व्यक्तिों के साथ व्यवसायिक प्रयोजन के लिए लीज पर बन्दोबस्ती करते हैं के साथ का उपर्युक्त तरीके से सलामी एवं पूंजीकृत मूल्य के भुगतान पर भूमि की बन्दोबस्ती की जाय ।

(ड़) मंत्रिपरिषद् के दिनांक 16.1.89 के निर्णय का भूतलक्षी प्रभाव से लाभ सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम निकाय, प्राधिकार आदि को अनुमान्य नहीं होगा ।

2- अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका (क) (ख) (ग) (घ) एवं (ड) के अनुसार सरकारी/खास महाल भूमि की बन्दोबस्ती की कारवाई की जाय ।

3- मंत्रि मण्डल सचिवालय के ज्ञापांक - 104 दिनांक 19.1.89 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक - 1274 दिनांक 26.5.89 द्वारा संसूचित निर्देशों को उपर वर्णित निर्णय के आलोक में संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- फूल चन्द सिंह

भूमि सुधार आयुक्त-सह-सचिव

पत्र संख्या :- सी० एस० 01/ए1-101/89-104

बिहार सरकार,

मंत्रि मंडल सचिवालय।

प्रेषक,

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

राजस्व एवं भूमि सुधार आयुक्त, बिहार, पटना

सचिव, वित्त विभाग।

पटना - 15, दिनांक - 19 जनवरी 1989 ई०।

विषय :- मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 16.1.89 में लिए गए निर्णय की मद संख्या 35 "अन्यान्य"।

महोदय,

निदेशानुसार दिनांक 16.1.89 को मंत्रिपरिषद का बैठक का मद संख्या 35 "अन्यान्य" में लिए गये निर्णय का पूर्ण उद्धरण आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दिया जाता है :-

"<u>राजस्व विभाग</u>

<u>वित्त विभाग</u>

<u>सभी विभाग</u>

मंत्रिमंडल ने इस निर्णय को दुहराया कि सभी अन्तर्विभागीय भूमि का इसके सभी अवस्था में निःशुल्क होगा। यह नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के अन्तर्गत बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार एवं अन्य प्रशासी अधिकारों के भूमि हस्तान्तरण पर लागू होगा।"

विश्वासभाजन

ह०/- निर्विलमेन्दु चटर्जी

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - आ0 का0 / ए -101 /89-104/ पटना- 19, दिनांक - 19 जनवरी 89

प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष की सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- निर्विलमेन्दु चटर्जी

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० नीति 9/96 2884 रा०,

प्रेषक,

श्री राजेश्वर प्रसाद

सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलायुक्त
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक - 18.11.90

विषय :- शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में खास महाल की भूमि आवासीय व्यवसायिक प्रयोजन के लिये बन्दोबस्ती/लीज नवीकरण के संबंध में परामर्श दातृ हेतु खास महाल परामर्शदातृ समिति का पुर्नगठन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय विभागीय परिपत्र संख्या ए/जी/एच 71/ 54-3323 रा०, दिनांक 26.4.54 एवं 5/खा0 म0 7-203/79-1534 रा०, दिनांक 30.3.79 का आशिंक संशोधन करते हुए जिला स्तर पर शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में खास महाल/सरकारी जमीन को आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बन्दोबस्ती/लीज नवीकरण आदि शर्त्तों पर परामर्श देने हेतु खास महाल परामर्शदातृ समिति का पुर्नगठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । सभी बिन्दुओं के सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

1. जिला स्तर पर खास महाल परामशदातृ समिति का गठन नये सिरे से किया जाय ।
2. इस समिति के अध्यक्ष सहित निम्नांकित सदस्य होंगे :-
   1. समाहर्त्ता — अध्यक्ष
   2. अपर समाहर्त्ता — सदस्य सचिव
   3. संबंधित जिला के सभी नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्रों के अध्यक्ष — सदस्य
   4. सरकार द्वारा मनोनीत एक गैर सरकारी सदस्य ।
3. उपर्युक्त समिति निम्नलिखित विषयों पर समीक्षा करेंगी -
   1. खास महाल/ जमीन का पर्यवेक्षण ।
   2. खास महाल जमीन पर हुए अतिक्रमण की समीक्षा ।
   3. नई लीज एवं पूर्व लीजों को नवीकरण/अवतरण/प्रयोजन परिवर्तन की समीक्षा ।
   4. खास महाल/सरकारी जमीन के मूल्यांकन पर परामर्श ।
4. समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा ।
5. समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीनें में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से होगी ।

6. समाहर्ता/ उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति की बैठक समय-समय पर निश्चित रूप से होती रहे ।

7. इस परिपत्र के निर्गत होने की तिथि के पश्चात पूर्व की गठित समिति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

8. गैर सरकारी सदस्यों की सूची अलग से भेजी जायेगी ।

विश्वासभाजन

(राजेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक - / रा०, पटना - 15, दिनांक -

प्रतिलिपि सभी विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशाखा 8 के सभी सहायकों/पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

(राजेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक - / रा०, पटना - 15, दिनांक -

प्रतिलिपि मंत्री के आप्त सचिव राजस्व एवं सुधार विभाग मंत्री राजस्व के अवलोकनार्थ प्रेषित

(राजेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० धन - 37/89-2055/रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री सुरेश चन्द्र सिन्हा

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

उपायुक्त
धनबाद

पटना - 15, दिनांक - 10.10.90

विषय :- कैप्टन एस० एन० ओझा के साथ धनबाद में जमीन की बन्दोबस्ती के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5-4/87 - 159 मु0 रा0 दिनांक 31.7.90 के प्रसंग में मुझे कहना है कि इस मामले के आलोक में सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती से सम्बनधित विभागीय परिपत्र संख्या 4/खा0 म0 नीति -101/72-4725 रा0 दिनांक 14/16.8.1972 में उल्लिखित प्रावधानों की समीक्षोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि आवेदन करने पर सैनिकों के साथ आमतौर से उनके गृह जिले में ही ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती की जाय ।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय से श्री ओझा को अवगत कराते हुए उन्हें सलाह दी जाय कि वे यदि इच्छुक हों तो अपने गृह जिले में सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती के लिए आवेदन करें ।

विश्वासभाजन

ह०/- सुरेश चन्द्र सिन्हा
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2055 पटना - 15, दिनांक - 10.10.90

प्रतिलिपि सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- सुरेश चन्द्र सिन्हा
सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० नीहि - 32/90-1683/रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूल चन्द सिंह

भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक - 24.8.90

विषय :- सेवा निवृत्त सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बंदोवस्ती के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि विभागीय परिपत्र संख्या - 4725/रा०, दिनांक - 16.8.72 की कंडिका 2 (घ) में सेवा निवृत्त सैनिकों को सुयोग्य श्रेणी की तरह कृषि कार्य हेतु दो एकड़ तथा 12½ डिसमिल आवासीय प्रयोजन हेतु देहाती क्षेत्र में भूमि बंदोबस्ती का प्रावधान है बशर्ते कि सैनिक सेवा में रहते हुए जमीन की बंदोबस्ती के लिए आवेदन पत्र दिये हों । उपर्युक्त कंडिका 2 (घ) में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह प्रावाधान किया गया है कि सेवा निवृत्त सैनिकों को आवासीय सुविधा हेतु उनके द्वारा सेवा निवृत्त होने के बाद भी आवेदन पत्र देने पर जमीन की बंदोबस्ती करने पर विचार किया जायेगा, बशर्ते कि वे भूमिहीन हो अर्थात् पूर्व में उनके पास कोई जमीन या मकान उपलब्ध न हों ।

उपर्युक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा ।

विश्वासभाजन

ह०/- फूलचन्द सिंह

भूमि सुधार आयुक्त

ज्ञापांक - 1683 रा०, पटना - 15, दिनांक - 24.8.90

प्रतिलिपि - प्रेषित सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी को सूचना तथा आवश्यक कार्यार्थ ।

ह०/- फूलचन्द सिंह

भूमि सुधार आयुक्त

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० नीति - 10/90-198/रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० सिन्हा,

भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी बन्दोवस्त पदाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक - 25.5.90

विषय :- सरकारी भूमि के संरक्षण के निमित्त तात्कालिक एवं सावधिक स्थलीय निरीक्षण, तत्संबंधी विहित पंजियों का अंचल एवं हल्का कार्यालयों में संधारण तथा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का निष्कासन एवं संभावित अतिक्रमण से उसकी सुरक्षा आदि के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी भूमि का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसकी संरक्षित करने के लिये सरकार द्वारा संबंधित अधिनियमों में संशोधन के अतिरिक्त समय-समय पर जिला प्रशासन को आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं । इनमें से कुछ प्रमुख अनुदेश विभागीय पत्रांक - 5020 दिनांक - 6/8-11-71, विभागीय पत्रांक - 5 (नीति) 1017-77-1461 रा0, दिनांक - 14.4.78 तथा विभागीय पत्रांक - 81 अति0 नीति - 1/89 दिनांक 1-11-1989 द्वारा संसूचित किये गये हैं ।

2- इन्हीं अनुदेशों के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि इस प्रकार के अनेकों मामले सरकार की नजर में लाये गये हैं, जिनमें सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से लोगों ने विभिन्न उपायों को अपनाया है जिनमें जाली बन्दोबस्ती, पट्टा हुकुमनामा, लगान रसीद आदि के आधार पर सरकारी जमीन पर रैयती दावा करने के प्रयत्न सम्मिलित है । कई स्तरों पर जाली कागजातों के आधार पर हाल सर्वे में सरकारी जमीन का खाता भी खोलें जाने की सूचना मिली है । इसी प्रकार अंचल कार्यालयों में भी सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों के नाम से जमाबन्दी खुलने के उदाहरण भी मिले हैं ।

3- इस परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक सुनियोजित अभियान चलाकर सरकारी जमीन के विरुद्ध सम्प्रति चल रहे सर्वे में खोले गये खाते एवं हल्का कार्यालयों में विगत कुछ वर्षों में खोले गए जमावन्दी के मामलों की जांच की जाय तथा एवं गैर कानूनी ढंग से खोले गये खाते एवं जमा-बंदियों को नियमानुसार रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की जाय । इस जांच के सिलसिले में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(1) पुराने एवं नये सर्वे में दर्ज गैर मजरूआ मालिक/आम खाते की जमीन की विवरणी प्रत्येक अंचल में तैयार रखी जाय तथा उसमें दर्ज रकवा का अद्यतन उपलब्ध रकवा से मिलान करते हुए अन्तर के रकवा की वैसी बन्दोबस्ती जो विगत 20-25 वर्षों में नाजायज ढंग से की गयी हो, की स्थलीय जांच की जाय ।

(2) जांच के क्रम में यदि किसी सरकारी भूमि में किसी निजी व्यक्ति द्वारा निबंधित केवाला या दस्तावेज के आधार पर दावा किया जाय

तो वैसी स्थिति में विक्रेता के स्वत्वाधिकार की ठीक-ठीक जांच कर ली जाय । चूंकि लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते हैं अतएव मात्र सरकारी लगान रसीद के आधार पर किसी के स्वत्वाधिकार को बिना ठोस साक्ष्य के नहीं माना जाय ।

(3) भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा की गयी बन्दोवस्ती की समीक्षा जमीन्दारी विवरणी (रिर्टन) से की जाय । किसी किसी मामले में भूतपूर्व मध्यवर्ती ने या तो विवरणी (रिर्टन) दाखिल नहीं किया था या अब विवरणी (रिर्टन) उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसे मामलों में भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा रैयतों को दी गयी लगान रसीद की जांच करने के साथ ही साथ इस बात की भी समीक्षा की जाय कि सरकारी रसीद कब से कट रही है । यदि सरकारी रसीद जमीन्दारी सनिहित के काफी वर्षों के बाद यानि 1961-62 के बाद से कटना शुरू हुई है तो यह एक संदेहात्मक मामला होगा और ऐसे मामले में गहन छानबीन की जाय कि किस आधार पर और किसके आदेश से सरकारी रसीद काटी गयी ।

(4) भूतपूर्व मध्वर्ती के खास दखल में दिखायी गयी गैर मजरूआ मालिक आम जमीन के संबंध में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5,6 एवं 7 के तहत लगान निर्धारण का साक्ष्य या प्रमाण-पत्र मांगा जाय । यदि ऐसा कोई साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाय अथवा अंचल कार्यालय में उसका कोई प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसे भी संदेहात्मक मान कर स्थलीय निरीक्षण आदि द्वारा उसकी गहन छानबीन की जाय।

(5) यदि स्थानीय जांच में गैर मजरूआ भूमि पर दावा करने वाले का जोत आवाद या भौतिक दखल प्रमाणित न हो तथा संबंधित जमीन टांड-टिक्कर जंगली-झाड़ी आदि के रूप में पायी जाय तो दावाकर्ता के कागजी प्रमाणों की कानूनी वैधता और स्वताधिकार की अच्छी प्रकार जांच करने के बाद ही रैयती खाता खेला जाय ।

(6) जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बहुत सारी जमीन की बन्दोबस्ती सरकारी पदाधिकारियों द्वारा की गयी है । ऐसे मामलों में इस बात की जांच की जाय कि ऐसी बन्दोबस्ती सक्षम पदाधिकारी द्वारा की गयी थी या नहीं । बन्दोबस्ती का केस सं० तथा वर्ष पंजी - 2 में दर्ज कर दिया जाय। यदि जांच के क्रम में यह पाया जाय कि जिन मामलों में बन्दोबस्ती का आदेश सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है और उसमें अनियमितता करती गयी है तो वैसे मामलों में जमाबन्दी रद्द करने के पूर्व यह देख लेना उचित होगा कि यदि वह मामला बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1950 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 6 के प्रावधानों के तहत विनियमित हो तो उसे यथावत रखा जाय । साथ ही यदि उक्त बन्दोबस्ती किसी हरिजन, आदिवासी अथवा सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ की गयी हो तो उसे भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा विनियमित करा लिया जाय। अन्य मामलों में उपयुक्त सरकारी परिपत्रों के आलोक में जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई की जाय ।

गैर मजरूआ आम एवं खास जमीन जिसमें सैरात भी सम्मिलित है की सुरक्षा तथा देख भाल के लिए निम्नांकित कुछ महत्वपूर्ण विन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है :

(1) गैर मजरूआ आम जमीन, जो लोक प्रयोजन से संबंधित है उसकी सुरक्षा देख रेख और विकास के लिए संबंति पंचायत की सहायता ली जाय । इस दिशा में स्थानीय मुखिया, सरपंच और हल्का कर्मचारी तथा पंचायत सेवक की एक समिति गठित की जाय जो गैर मजरूआ आम भूमि यथा खलिहान गोचर सामूहि जलाशय मेला बाजार आदि की सूची हल्का एवं पंचायत कार्यालय में संधारित करेगी तथा प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार उसका निरीक्षण भी सुनिश्चित करेगी और अपने प्रतिवेदकों को स्थानीय अंचलाधिकारी को भेजेगी । यह समिति पंचायत कोष अथवा पंचायत के द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं के माध्यम से उसकी घेराबन्दी और विकास के कार्य का सम्पादन करेगी ।

(2) वैसी गैर मजरूआ जमीन जिसमें सरकारी सैरात हो और जो अंचल में संधारित सैरात पंजी में दर्ज हो उसकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल पदाधिकारी का होगा । वे सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सैराती भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो और यदि कोई अतिक्रमण हो चुका हो तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे हटाया जाय । ऐसी भूमि की बन्दोवस्ती अथवा विकास के लिये ग्रामीण विकास योजना अथवा साहाय्य योजना के अन्तर्गत तथा समय कार्रवाई की जानी चाहिये । हाट बाजारों में निर्मित विभिनन संरचनाओं का संधारण अंचल कार्यालय द्वारा राजस्व विभाग से एतदर्थ आवंटित आकस्मिक निधि के माध्यम से किया जाय ।

सैराती भूमि में हो रहे अतिक्रमण अथवा पूर्व के अतिक्रमण को तुरत अतिक्रमणवाद चलाकर रोका जाय और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को नियमानुसार शीघ्र हटाया जाय ।

(3) सामुदायिक, सिंचाई या पर्द-आब-धासी से संबंधित पोखरे, नहर, तटबंध, आहर, पईन आदि के संधारण एवं विकास हेतु सहायय अथवा ग्रामीण विकास योजना के तहत कार्रवाई की जाय और यदि ऐसी भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ हो अथवा अतिक्रमण किया जा रहा हो तो उसे अविलम्ब कानूनी कार्रवाई कर रोका जाय ।

(5) उपायुक्तों/समाहर्ताओं से अपेक्षा है कि तत्काल उपर की कंडिकाओं में दिये गये अनुदेशों के आलोक में सभी स्तरों पर समुचित कार्रवाई की जाय और इस संबंध में कृत कार्रवाई की सूचना प्रमंडलीय आयुक्तों के माध्यम से राजस्व विभाग को भेजें । यदि इन अनुदेशों के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो तो सरकार को अविलम्ब अवगत कराया जाय ताकि उस संबंध में यथोचित निर्देश समयानुसार भेजे जा सके । इसे परमावश्यक समझें ।

6:- इसकी मुद्रित प्रतियां अलग से सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप-समाहर्ता/अंचल अधिकारी को भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ह०/- एस० एन० सिन्हा

भूमि सुधार आयुक्त

पत्र संख्या :- 8 ए/ खा० म० नीति - 1/89 2289 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री आर० सी० अरोरा,

सरकार के प्रधान सचिव एवं भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी समाहर्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक - 30.10.89

विषय :- बिहार पब्लिक लैंड इन्क्रोचमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत दृढ़तापूर्वक प्रभावशाली कार्रवाई करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे सुचित करना है कि सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से अतिक्रमण करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है जो सरकार के लिए गम्भीर रूप से चिन्ताजनक स्थिति बन गयी है । यह देखा जा रहा है कि संबंधित सरकारी कार्यालयों में सरकारी भूमि की पंजी भी संधारित नहीं हो रही है । यह दु:खद स्थिति भी परिलक्षित हो रही है कि संबंधित कुछ पदाधिकारी तथा कर्मचारी अतिक्रमण होते समय अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं और प्राय: उनकी मिली भगत से अतिक्रमणकर्ता सरकारी भूमि पर अवैध ढंग से अतिक्रमण कर लेते हैं । अतिक्रमण के मामलों की सूचना भी समय पर उच्च पदाधिकारियों को तथा सरकार को नहीं मिलती है । विधान मंडल के गत सत्र के समय सरकार को सूचना मिलती रही कि सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहे हैं । इनके संबंध में जिलों से जो प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं उनमें पूर्णरूप से सूचना नहीं दी जाती है कि किस खाता प्लौट नं० रकवा पर कब और किनके द्वारा अतिक्रमण हुआ, अतिक्रमण हटाने के लिए मुकदमा कब और किनके न्यायालय में दायर किया गया तथा मुकदमा की वर्तमान स्थिति क्या है । सरकार को इस आलोचना का भी पात्र बनना पड़ता है कि वर्षों से अतिक्रमण मुकदमे लम्बित रहते हैं और उनमें प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई नहीं की जाती है । यह स्थिति अत्यन्त अशोभनीय है ।

अतिक्रमण से संबंधित समस्याओं पर पूर्ण रूप से विचार करने के उपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर संबंधित सभी स्तर पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जाय । सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर अपर समाहर्ता की अनुमंडल स्तर पर भूमि सुधार उप-समाहर्ता की, अंचल मुख्यालय में अचेल अधिकारी की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अंचल निरीक्षक तथा हल्का कर्मचारी की होगी । उपरोक्त सभी पदाधिकारियों के द्वारा जिम्मेदारी निर्वहन में किसी तरह की कमी या मिली भगत की स्थिति में दोषी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी । अंचलों में पदस्थापित राजस्व विभाग के कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षकों को स्पष्ट निदेश दिये जायें कि उनके क्षेत्र में सरकारी जमीन की रक्षा का उत्तरदायित्व हलका कर्मचारी अंचल निरीक्षक का है । अतिक्रमण के मामले प्रकाश में आते ही हलका कर्मचारी/अंचल निरीक्षक उसे रोकने का प्रयास करें तथा उसकी लिखित सूचना अपने अंचल अधिकारी को तुरंत दे दें ।

2:- सभी अंचल कार्यालयों में सरकारी भूमि को पंजी निश्चित रूप से संधारित की जाय । इस पंजी का संधारन अंचल अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

3:- भूमि सुधार उप समाहर्ता/अपर समाहर्ता जब कभी अंचलों में परिभ्रमण पर जायें तो उपरोक्त पंजी की जांच अवश्य कर लें ।

4:- जिलों में सरकार के अन्य विभागों के नियंत्रणाधीन सरकारी जमीन की विवरणी संधारित करने के लिए जिला में पदस्थापित संबंधित विभाग के कार्यालय प्रधान को समाहर्ता सूचित करें । उन्हें यह भी निदेश दिया जाय कि उनके अधीन सरकारी जमीन पर ज्योंहीं अतिक्रमण हो उसे रोकने की कार्रवाई करें और उसकी सूचना जिला प्रशासन को तुरंत दें ।

5:- अतिक्रमण के मामलों की सूचना प्राप्त होते ही उसे रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायें । आवश्यकतानुसार बिहार पब्लिक लैंड इन्क्रोचमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा अविलम्ब दायर किये जायें । इन मुकदमों का निष्पादन संबंधित अंचल अधिकारियों/भूमि सुधार उप समाहर्ता अधिक से अधिक तीन माह के अन्दर अवश्य निष्पादित कर दें और अन्तिम आदेश की सूचना अपर समाहर्ता को भी दें । मुकदमा के निष्पादन में किसी स्थिति में तीन माह से ज्यादा समय नहीं लगे । अतिक्रमण मुकदमों के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई तत्परतापूर्वक अवश्य की जाय।

6:- प्रमंडलीय आयुक्त/समाहर्ता/अपर समाहर्ता अपने परिभ्रमण के दौरान अंचल कार्यालयों में अतिक्रमण से संबंधित मामलों की समीक्षा नियमित रूप से करें । अपर समाहर्ताओं की यह विशेष जबावदेही होगी कि अतिक्रमण के मामलों में किसी स्तर पर शिथिलता पाये जाने पर उसकी सूचना अपने समाहर्ता को अवश्य दें ।

7:- प्रमंडलीय तथा जिला स्तर पर राजस्व कार्यों की समीक्षा से संबंधित बैठकों में अतिक्रमण मामलों की समीक्षा भी निश्चित रूप से की जाय और उसके फलाफल की सूचना सरकार को भेजी जाय ।

8:- सरकार को यह भी सूचना मिली है कि अनेक मामलों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो जाने के बाद अतिक्रमणकर्ता के नाम सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती उनके दखल कब्जा के आधार पर कर देने की अनुशंसा भेजी जाती है । सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता के साथ लेती है और स्पष्ट करना चाहती है कि अतिक्रमणकर्ता को प्रोत्साहित करना सर्वथा अनुचित है ।

आशा है कि सरकारी भूमि पर बढ़ते हुए अतिक्रमण की प्रवृति को तुरत रोकने की सरकार की चिन्ता को आप सही परिपेक्ष्य में सक्रिय रूप से दूर करने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे । मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अतिक्रमण हटाने के मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता पाये जाने पर संबंधित दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई निश्चित रुप से की जायेगी ।

इस पत्र की प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी को भेजी जा रही है । इस पत्र की प्राप्ति की सूचना सभी स्तर से सरकार को भेजी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- आर० सी० अरोड़ा

सरकार के प्रधान सचिव एवं भूमि सुधार आयुक्त।

ज्ञापांक - 2289 रा०, पटना - 15 दिनांक 1.11.89

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप-समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ तथा अनुपालनार्थ ।

ह०/- आर० सी० अरोड़ा

सरकार के प्रधान सचिव एवं भूमि सुधार आयुक्त।

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० नीति - 104/88 329 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री आर० सी० अरोरा,

भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी समाहर्ता ।

पटना - 15, दिनांक - 15 फरवरी 1989

विषय :- सरकारी जमीन पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु जमीन की बंदोबश्ती एवं लीज नवीकरण के संबंध में नीति का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु जमीन की बंदोबस्ती एवं लीज नवीकरण के संबंध में पूर्ण रूपेण विचारोपरान्त सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

(क) पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु सरकारी जमीन की लीज बंदोबस्ती प्रथम बार मात्र 15 वर्षों के लिए होगी । जिसके लिए भूमि के स्थानीय बाजार मूल्य के बराबर सलामी और सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक लगान देय होगा । साथ ही नवीकरण के विकल्प की भी सम्भावना इसमें रहेगी।

(ख) भविष्य में पेट्रोल पम्प की लीज नवीकरण 5 वर्ष की अवधि की जगह पर 15 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा । नवीकरण के समय कोई राशि सलामी के रूप में नहीं ली जायगी परन्तु पूर्व के वार्षिक लगान को दुगना कर नये वार्षिक लगान का निर्धारण किया जाएगा । नवीकरण के समय संबंधित जिला के समाहर्ता यह अच्छी तरह जांच कर लेंगे कि लीज धारियों द्वारा लीज के शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है ।

(ग) यदि किसी पेट्रोल पम्प द्वारा निर्धारित लगान की बकाया राशि 6 माह के अन्दर भुगतान नहीं की जाती है तो इसे शर्तों का उल्लंघन मानकर उनके साथ लीज में दी गई बन्दोबस्ती के भूखंड को पुर्नग्रहित कर लिया जाएगा ।

(घ) जिन बिन्दुओं पर इस परिपत्र का विभिन्न पूर्व में निर्गत राजस्व विभाग के पत्रों से होगा उन पद यह परिपत्र प्रभावी समझा जाएगा । इसकी प्राप्ति कृपया स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- आर० सी० अरोड़ा

भूमि सुधार आयुक्त।

ज्ञापांक - 329 रा०, पटना - 15 दिनांक 15.2.89

प्रतिलिपि सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- आर० सी० अरोड़ा

भूमि सुधार आयुक्त ।

पत्र संख्या :- सी० एस० 1/ए - 104/87 1466

बिहार सरकार,

मंत्री मंडल सचिवालय

प्रेषक,

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

राजस्व एवं भूमि सुधार आयुक्त

सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग

सचिव, सहकारिता विभाग ।

पटना 15, दिनांक 27.4.87

विषय :- दिनांक 21.4.1987 को हुई मंत्रि परिषद की बैठक के ''अन्यान्य'' मद सं० - 15 में लिए गए निर्णय ।

महोदय,

निदेशानुसार दिनांक 21.4.1987 को हुई मंत्रि परिषद की बैठके के ''अन्यान्य'' मद सं० - 15 में लिए गए निर्णय का पूर्ण उद्धरण आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ नीचे दे रहा हूँ :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15- ''किसी भी प्राईवेट को-ऑपरेटिव सोसाईटी के लिए सरकार जमीन अधिग्रहरण नहीं करेगी और ऐसे सोसाइटी आदि को खास महाल की भी भूमि नहीं देगी ।

कृपया तदनुसार कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- निर्मलेन्दु चटर्जी

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक :- सी० एस० /ए - 104/87 1466 पटना - 15, दिनांक 27.4.87

प्रतिलिपि - सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(निर्मलेन्दु चटर्जी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भूमि अर्जन निदेशालय

ज्ञापांक :- डी. एल. ए. नीति 15/87 ज्ञापांक 1032 / दिनांक 6.5.87

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलायुक्त/जिलाधिकारी/अपर समाहर्त्ता भूमि अर्जन पदाधिकारी/सहकारिता विभाग को सुचना एवं मार्ग दर्शन हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 28/86 3090 / रा०,

प्रेषक,

श्री यमुना प्र० वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता

पटना, दिनांक- 13.11.86

विषय :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य भूमिहीनों के साथ बंदोबस्त की गई सरकारी जमीन की बिक्री तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरण पर रोक ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सरकारी परिपत्र संख्या - 1339 रा० दिनांक 24/28-5-74 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद ऐसे दृष्टान्त सरकार के समक्ष आए हैं जिन में कुछ लोगों ने सरकार से प्राप्त जमीन बिक्री कर दी है । फलस्वरुप वे पूर्ववत भूमिहीन हो गये और सरकार का उद्देश्य विफल होकर रह गया ।

2- ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बंदोबस्ती करते समय उन्हें दिये गये पत्र में, विक्रियां अथवा अन्य प्रकार से अन्तरण न करने से संबंधित शर्तें नहीं अंकित की जाती है, जो नितान्त आवश्यक है ।

3- अत: सरकार ने निर्णय लिया है कि बंदोबस्ती के कागजात में "बिक्री या अन्य प्रकार अन्तरण न करने" संबंधी शर्त आवश्य ही अंकित की जाय । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि भविष्य में आवंटियों द्वारा जमीन की बिक्री या उसका अन्तरण की सूचना मिली तो वैसी परिस्थिति में उत्तर दायित्व का निर्धारण कर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

4- कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- यमुना प्र० वर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक -8/खा० म० नीति - 28/86 3090 रा० पटना, दिनांक - 13.11.86

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- यमुना प्र० वर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3089 रा०, पटना दिनांक 13.11.86

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन
आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 3089 रा0, दिनांक 13.11.86

प्रतिलिपि, सभी बंदोबस्ती पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त तथा निदेशक चकबंदी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन
आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक - 3089 रा० पटना दिनांक 13.11.86

प्रतिलिपि, परामर्शी सह सचिव, सिंचाई विभाग, सचिव, उर्जा विभाग सचिव, उद्योग विभाग को सूचनार्थ ।

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन
आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 28/86 3090 / रा०,

प्रेषक,

श्री यमुना प्र० वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता

पटना, दिनांक- 13.11.86

विषय :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य भूमिहीनों के साथ बंदोबस्त की गई सरकारी जमीन की बिक्री तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरण पर रोक ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सरकारी परिपत्र संख्या - 1339 रा० दिनांक 24/28-5-74 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद ऐसे दृष्टान्त सरकार के समक्ष आए हैं जिन में कुछ लोगों ने सरकार से प्राप्त जमीन बिक्री कर दी है । फलस्वरुप वे पूर्ववत भूमिहीन हो गये और सरकार का उद्देश्य विफल होकर रह गया ।

2- ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बंदोबस्ती करते समय उन्हें दिये गये पत्र में, बिक्रियां अथवा अन्य प्रकार से अन्तरण न करने से संबंधित शर्तें नहीं अंकित की जाती है, जो नितान्त आवश्यक है ।

3- अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि बंदोबस्ती के कागजात में "बिक्री या अन्य प्रकार अन्तरण न करने" संबंधी शर्त आवश्य ही अंकित की जाय । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि भविष्य में आवंटियों द्वारा जमीन की बिक्री या उसका अन्तरण की सूचना मिली तो वैसी परिस्थिति में उत्तर दायित्व का निर्धारण कर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

4- कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- यमुना प्र० वर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक -8/खा० म० नीति - 28/86 3090 रा० पटना, दिनांक - 13.11.86

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- यमुना प्र० वर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 4/ खा० म० नीति 109 / 74 - 1339

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री श्रीनिवास राव अडिगे,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त
सभी अपर समाहर्त्ता
सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

पटना, दिनाक - 24/28 मई, 1974

विषय :- भूमिहीनों के साथ की गई सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की बिक्री एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण पर रोक लगाना ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि यह आम तौर से शिकायत मिली है कि जो जमीन भूमिहीन व्यक्तियों के साथ सरकार द्वारा बंदोबस्त की जाती है वह जमीन कुछ ही दिनों में दूसरों के हाथ किसी न किसी प्रकार (बिक्री या अन्य प्रकार से) चली जाती है जिसके फलस्वरुप वे पुनः भूमिहीन हो जाते हैं । सरकार भूमिहीनों जमीन की बंदोबस्ती इस उद्देश्य से करती है कि वे उसका निजी उपयोग कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें न कि उसे बेच कर पुनः भूमिहीन हो जाय ।

2. उपर्युक्त सभी बातों पर भलीभांति विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी भूमि को बंदोबस्ती जिन भूमिहीन परिवारों के साथ की जाती है उसकी बिक्री या हस्तांतरण करने का अधिकार बंदोबस्ती लेनेवाले को न रहे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी जमीन की बंदोबस्ती के समय जो परवाना दिया जाय उसमें यह शर्त अवश्य जोड़ दी जाय कि बंदोवस्त की गई जमीन पर बंदोवस्ती लेनेवाले का हक केवल् उस जमीन का निजी उपयोग करने का है । उसे वह किसी भी प्रकार बिना समाहर्ता की पूर्व अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार हस्तांतरित नहीं कर सकता है । यदि इस शर्त का बंदोवस्ती लेनेवाला उल्लंघन करके बंदोवस्त की गई जीमन किसी के हाथ बेच देता है या उसका हस्तांतरण करता है तो उस जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक नहीं होगा ओर यह जमीन सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली जाएगी ।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्णय के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- श्रीनिवास राव अडिगे

सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।
पत्र संख्या :- 3089 रा०,

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामन,
आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त

पटना, दिनांक- 13.11.86

विषय :- **आदिवासी/हरिजनों/पिछड़ी जाति के सदस्यों का दखल-कब्जा तथा उनके जोत कोड़ की सरकारी जमीन को उनके साथ बंदोवस्त कर नियमित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ी जाति के सदस्यों के साथ भूमि बंदोबस्तों से संबंधित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या ए/क्यू-56/51-3848 रा० दिनांक - 15.5.51, परिपत्र संख्या ए0 वी0 एम0 81/52-86963 आर0 दिनांक 15.9.53 एवं 8/खा0 म0 नीति 1012/82-701 रा० दिनांक 26.2.82 के क्रम में उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि परामशदातृ समिति की बैठक में सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट किया गया था । ज्ञातव्य है कि खासकर छोटानागपुर क्षेत्र में आदिवासी, हरिजन, कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा पहाड़ी एवं पथरीली जमीन को काफी परिश्रम कर कृषि योग्य बनाया जाता है और वे उस पर लम्बे अर्से से दखलकर भी रहते हैं । परन्तु कागजात के अभाव में उन्हें नियमत: रैयत नहीं माना जा सकता जिसके फलस्वरुप रैयत की प्राप्त होने वाले लाभ से वे बंचित हो जाते हैं । ऐसे मामलों में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ''कोडंकर'' की सुविधा भी नहीं उपलब्ध होती है ।

स्थिति की पूर्णरुपेण समीक्षाकर एवं जाँचोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आदिवासियों हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के कमजोर वर्ग के लोगों के दखल में लम्बे अर्से से चली आ रही देहाती क्षेत्रों में ऐसी जमीन के संबंध में पूर्ण जांच कर उनके साथ ऐसे भू-खंड को बंदोबस्ती कर देने की कार्रवाई सरकार द्वारा बंदोवस्ती के संबंध में निर्गत प्रभावी निर्देशों के तहत तत्परता से कर दी जाय ।

ऐसा देखा गया है कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन का संभावना अथवा समाचार फैलने के बाद बहुत से ऐसे चतुर लोग खाली रकारी भू-खंड पर जल्दी-जल्दी कब्जा कर लेते हैं ताकि उस पर उन्हें भू-अर्जन की कार्रवाई के अधीन मुआवजा मिल जाय । सरकार चाहती कि कब्जे को बंदोबस्ती के रुप में नियमित करने के समय ऐसे मामले में काफी सतर्कता जाय और सुझ-बुझ से काम लिया जाय । साथ ही भी नहीं हो कि ऐसे लोग जो सचमुच ही लंबे अर्से से दखलकार है परन्तु अज्ञानतावश अपने कब्जे को नियमित नहीं करा पाए हैं वे वास्तविक ो प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित होंवे । इसका विशेष ध्यान रखा जाय ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन
आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप संख्या 3089 रा०, पटना दिनांक 13.11.86

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 3089 रा0, दिनांक 13.11.86

प्रतिलिपि, सभी बंदोबस्ती पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त तथा निदेशक चकबंदी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक - 3089 रा० पटना दिनांक 13.11.86

प्रतिलिपि, परामर्शी सह सचिव, सिंचाई विभाग, सचिव, उर्जा विभाग सचिव, उद्योग विभाग को सूचनार्थ ।

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

(दिनांक 24 मार्च 1986 को मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णित)

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 19/86 - 948 / रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामन,

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त, बिहार

सेवा में,

सभी समाहर्ता सभी उपायुक्त ।

पटना 15 दिनांक 2 अप्रील 1986 ई० ।

विषय :- सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अधीन "वृक्ष पट्टा योजना" का कार्यान्वयन

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा वन रोपण एवं पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण के उद्देश्य से एक वृहद सामाजिक वानिकी योजना बनाई गई है । अनुमान है इससे आप अवगत हैं । इस दिशा में भारत सरकार के कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन के आधार पर राज्य के वन विभाग द्वारा भी समय-समय पर संकल्प निर्गत किये गये हैं। इस कार्यक्रम को जन आन्दोलन के रूप में परिणत करने में वृक्ष पट्टा योजना का अपना विशेष स्थान एवं महत्व है । यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का एक अंग होगा ।

2. "वृक्ष पट्टा योजना" के संबंध में वन-विभाग के संकल्प संख्या 6599, दिनांक 11 दिसम्बर 1985 एवं उसके बाद समय-समय पर वन विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा भी इस विषय पर अनुदेश निर्गत किये गये हैं । सम्यक विचारोपरान्त "वृक्ष पट्टा योजना" के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा अंतिम रूप से निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं -

3. **मोनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण :**

3.1 राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मोनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है जो निम्न प्रकार है -

(क) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - अध्यक्ष

सदस्यगण ।

(ख) सचिव सहभूमि सुधार आयुक्त

(ग) कृषि उत्पादन आयुक्त

(घ) सचिव, लोक निर्माण (पथ) विभाग

(ङ) सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग

(च) अपर मुख्य वन संरक्षक (विकास) - सदस्य सचिव ।

3.2 **जिला स्तरीय समिति -**

(क) समाहर्ता/उपायुक्त - अध्यक्ष

(ख) उप-विकास आयुक्त - उपाध्यक्ष

(ग) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबंध निदेशक - सदस्य सचिव

(घ) अपर समाहर्ता - संयोजक (सदस्य)

(ङ) जिला विकास पदाधिकारी - सदस्य

(च) वन विभाग के वरीष्ठ, जिलास्तरीय पदाधिकारी - सदस्य

2. राजस्व - 1

(छ) जिला में पदस्थापित निम्न विभागों के जिला स्तर के वरीष्ठ पदाधिकारी -

(1) कृषि विभाग

(2) सिचाई विभाग

(3) शिक्षा विभाग

(4) पथ निर्माण विभाग

(5) भवन निर्माण विभाग

(6) अन्य विभाग (जिसे जिलाधिकारी कार्यक्रम की सफलता के हित में महत्वपूर्ण समझते हों)

(7) स्वयंसेवी संस्थाओं का जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि

3.3 प्रखंड स्तरीय समिति :

(क) पंचायत समिति के प्रमुख - अध्यक्ष

सदस्यगण

(ख) अंचल पदाधिकारी

(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी

(घ) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी

(ङ) वन क्षेत्र पदाधिकारी

(च) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी

(छ) ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक

3.4 ग्राम स्तरीय समिति :

(क) ग्राम पंचायत के मुखिया - अध्यक्ष

(ख) राजस्व विभाग के हल्का कर्मचारी - सदस्य सचिव

सदस्यगण

(ग) जन-सेवक

(घ) पंचायत सेवक

(ङ) उस गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक

(च) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के एक-एक प्रतिनिधि

(छ) चयन की गयी महिला

(ज) ग्राम पंचायत के लिए संबंधित गांव से चुने गए सदस्य

(झ) वन विभाग के वनपाल

जिला प्रखंड एवं ग्राम स्तरीय समिति के गठन से बंधित आदेश जिलाधिकारी निर्गत करेंगे ।

4. उद्देश्य :

संक्षिप्त में ''वृक्ष पट्टा योजना'' का मौलिक उद्देश्य यह है कि सामाजिक-वानिकी के राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन आन्दोलन का रूप देने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को एक हेक्टेयर तक कृषि अयोग्य खाली (गहन कृषि उपयोगिता वर्ग की भूमि को छोड़कर) और बंजर सरकारी अर्द्ध-सरकारी, पंचायत तथा सार्वजनिक मद की भूमि पट्टे पर अस्थायी रूप से उपलब्ध की जाय जिस पर वे वृक्षारोपण करें । लगायें गयें वृक्षों के फल, पते और सूखी लकड़ी पर उनका अधिकार तो हो परन्तु भूमि की हकीयत एवं स्वामित्व पूर्ववत् अक्षुण्ण रहें ।

5. **वृक्ष पट्टा के लिये भूमि की श्रेणी :**

(क) सामान्यतः वानिकी एवं वृक्ष पट्टा की यह योजना राज्य सरकार के सभी विभागों के अधीन की खाली जमीन पर लागू होगी ।

(ख) अकर्षित बंजर परन्तु कृषि अयोग्य (गहन कृषि उपयोगिता वर्ग की भूमि को छोड़कर) राजस्व विभाग की भूमि ।

(ग) ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण रास्तों, आहर, पईन, पोखर तथा नदियों के किनारों की खाली भूमि ।

(घ) सिंचाई विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन खाली जमीन जो कृषि कार्य के उपयोग के योग्य न हो ।

(ङ) रेलवे द्वारा परित्यक्त खाली जमीन एवं ट्रैंक की भूमि । इसके लिये केन्द्र सरकार अथवा रेलवे की अनुमति अनिवार्य होगी ।

(च) भूदान की खाली जमीन

(छ) भू-हदबंदी योजना के अन्तर्गत अर्जित अधिशेष अनाबंटित भूमि

5.1 **निम्नलिखित किस्म की जमीन पर वृक्ष पट्टा लागू नहीं होगा :**

(क) किसी व्यक्ति की रैयती और स्वत्व हक प्राप्त जमीन,

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन आने वाली जमीन,

(ग) केन्द्र सरकार के अधीन पड़ने वाली जमीन यदि इसके लिये केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो ।

(घ) ऐसी सभी भूमि जो गहन कृषि उपयोगिता वर्ग में आती हो ।

6. **लाभार्थियों की श्रेणी :**

इस योजना के लाभार्थी भूमिहीन और निर्धन व्यक्ति होंगे जो ग्राम्य विकास की गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत पात्र हों । इनमें प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित श्रेणी के लोग होंगे :-

(क) स्थानीय भूमिहीन निर्धन एवं कृषि श्रमिक

(ख) भूतपूर्व सैनिक

(ग) लघु एवं सीमान्त कृषक ।

6.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों की संख्या यथासंभव लाभान्वित व्यक्तियों के 50 प्रतिशत का लक्ष्य रखा जाना चाहिये।

6.2 कमजोर वर्ग के लोगों के परिवारों की महिलाओं की संख्या कम-से-कम 30 प्रतिशत हो इसका प्रयास रखना चाहिये । यदि महिलायें पिछड़ेपन के कारण इस कार्य में अकेले भाग न लेना चाहें तो उनके पति के साथ संयुक्त नाम में उन्हें पट्टा दिया जा सकता है ।

6.3 ऐसे व्यक्तियों को जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते हैं भी यदि उनके घर के पीछे अथवा बगल या सामने वृक्ष लगाने योग्य खाली भूमि (कंडिका 5 (क) से (छ) में वर्णित) उपलब्ध हो और वहां उनके अतिरिक्त किसी अन्य के लिये वृक्ष रोपण आसान न हो एवं उस भू-खण्ड पर यदि वे नर्सरी अथवा वृक्ष रोपण में इच्छुक हों तो, अपवाद स्वरुप उन्हें भी पट्टा दिया जा सकता है ।

6.4 ग्राम के निवासी को पट्टे में प्राथमिकता दी जायगी । यदि उस गांव का निवासी उपलब्ध नहीं हो अथवा प्रश्नाधीन गांव बिना आबादी का हो तो समीप के गांव के निवासी, जिसकी दूरी आवंटित जमीन की दूरी से साधारणतः एक कि० मी० से अधिक नहीं हो को पट्टा दिया जा सकता है । तात्पर्य यह है कि पट्टेदार का निवास पट्टे के वृक्ष से एक कि० मी० की दूरी से अधिक नहीं हो अन्यथा पौधों की देख-रेख और उनका संरक्षण सही-सही ढंग से नहीं हो पायेगा ।

6.5 शरीर से जो व्यक्ति वृक्षरोपण में सक्षम नहीं है और वैसे व्यक्ति जो अवयस्क (Minor) की श्रेणी में आते हैं, पट्टा के हकदार नहीं होंगे ।

7. **भू-खंडों एवं उनके लाभार्थियों का चयन :**

लाभार्थियों एवं उनके लिये उपयुक्त भू-खण्डों का चुनाव ग्राम स्तरीय समिति की अनुशंसा पर प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। ग्राम स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय समितियों का गठन क्रमशः 3.4 और 3.3 में दिया गया है ।

8. **चयन के विरुद्ध आपत्तियों का निष्पादन :**

वृक्ष पट्टा से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को पटटा का निर्गम सरकार की ओर से स्थानीय अंचलाधिकारी प्रदान करेंगे । चयन अथवा पट्टा की स्वीकृति के विरुद्ध आपत्तियों का निष्पादन उस अनुमंडल के भूमि सुधार उप-समाहर्ता द्वारा यदि आवेदन एक माह के भीतर दिया जाय, आवेदन पत्र के दाखिले की तिथि से साठ दिनों के भीतर किया जायेगा । भूमि सुधार उप-समाहर्ता का आदेश अंतिम होगा जिसके विरुद्ध कोई

अपील नहीं होगी । अंचल पदाधिकारी अपने कार्यालय में अभिलेख, जिसमें नक्शा सहित पट्टे की प्रतिलिपि, पंचायत और अंचल स्तरीय समितियों की अनुशंसायें, आदि होंगे, संधारित करेंगी । इसके अतिरिक्त हल्का स्तर तथा अंचल स्तर पर पंजी रखी जायेगी जिसमें ग्रामवार अद्यतन सूचनायें संधारित होंगी ।

9. वृक्षारोपण के लिये अनुज्ञप्ति/पट्टा देने की प्रक्रिया :

9.1 ग्राम स्तरीय समिति की अनुशंसा पर प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों तथा भू-खण्डों के चयन के पश्चात् अंचल पदाधिकारी सर्वप्रथम निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र लाभार्थी के सामने भरकर उससे उसका हस्ताक्षर अथवा अंगुठे का निशान लेंगे, जिसकी पहचान मुखिया/सरपंच/जनसेवक/कर्मचारी/पंचायत सेवक में से कोई दो करेंगे ।

9.2 आवेदन-पत्र प्राप्त कर अंचल पदाधिकारी तुरत अभिलेख प्रारम्भ करेंगे, पंजी में दर्ज करेंगे और प्रविष्टि संख्या के साथ वहीं निर्धारित प्रपत्र में एक अनुज्ञप्ति-पत्र (परमिट) देंगे जिस पर अंचल पदाधिकारी की मुहर हस्ताक्षर के साथ होगी ।

9.3 अनुज्ञप्ति-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि में शर्तों का पालन करते हुए यदि परमिटधारी वृक्ष रोपण का कार्य संपादित करेंगे तो उन्हें दो वर्षों की अवधि पूरी होने पर सत्यापन के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में पट्टा दिया जायेगा ।

9.4 पट्टे के साथ 6" x 6" के ट्रेस क्लौथ के टुकड़े पर वृक्ष पट्टा की संदर्भित भूमि का नक्शा भी रहेगा जिस पर "वृक्ष पट्टा योजना" के अतिरिक्त ग्राम का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, चौहद्दी, क्षेत्रफल आदि अन्य विवरण, जिससे भूमि का पूर्ण परिचयांकन स्थल पर हो सके, दिये जायेंगे । भूमि के प्रशासी विभाग का नाम भी दिया जायेगा । साथ ही लगाये गये वृक्षों की संख्या, क्रमांक और किस्म भी दिखायी जायेगी। नक्शे पर मुहर के साथ अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी होगा । नक्शे की एक प्रति अभिलेख में भी संलग्न रहेगी ।

9.5. प्रगति एवं योजना के सरल कार्यान्वयन के उद्देश्य की पूर्ति तथा कार्यक्रम की सफलता के लिये यह उचित होगा कि संयुक्त कार्यक्रमों के अनुसार शिविरों में अनुज्ञप्ति/पट्टा निर्धारण एवं वितरण का कार्य सम्पादित किया जाय, ताकि लाभार्थियों को निरर्थक दौड़-धूप और प्रक्रियाओं की पेंचदगी से जनित परेशानियों से बचाया जा सके ।

9.6. लाभार्थियों का चयन करते समय उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किसी किस्म (प्रजाति) के पेड़ लगाने के लिये पट्टाधारी यद्यपि स्वतंत्र होंगे वे भूमि के प्रशासी विभाग के स्थानीय पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किये जा सकते हैं कि अमूक भू-खण्ड पर किस किस्म (प्रजाति) के पेड़ वे लगायें और किस रूप में, अर्थात फलवाले, जलावन वाले अथवा किसी अमुक किस्म (प्रजाति) के पेड़ लगेगें और वे कतार में लगेंगे या अन्य प्रकार लगाये जायेंगे । इसका अभिप्राय यह है कि सड़कों, रास्तों आदि के किनारे अथवा अन्यत्र सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर ऐसी प्रजाति के पेड़ न लगाये जायें या बेसिलसिला न लगाये जायें जिससे सार्वजनिक हित का नुकसान हो अथवा किसी तरह का खतरा उत्पन्न हो ।

9.7. "वृक्ष पट्टा योजना" को प्रभावशाली एवं सफल बनाने के लिये प्रचार-प्रसार के माध्यम से इसके लाभ प्रसारित कर जन साधारण में जागरुकता लाने एवं इस ओर आकर्षित करने की आवश्यकता होगी ।

9.8. अन्य विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की सहायता से उस अंचल में इस कार्य हेतु उपलब्ध भू-खंडों के आंकड़े अंचल अधिकारी प्राप्त करेंगे ।

9.9. उपलब्ध भू-खंडों की विभागवार विवरणी एवं सम्बद्ध आंकड़ों के लिये अंचलाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संचालित करेंगे जिसमें- ग्राम, थाना नम्बर, खाता नं०, प्लौट नं०, रकवा, चौहद्दी, अंचल, अनुमण्डल का नाम संधारित रहेगा । राजस्व विभाग के अधीन वाले भू-खंडों के लिये भी उसी प्रकार एक अलग पंजी में विवरणी संधारित रहेगी । दोनों पंजियों पर अंचल पदाधिकारी सभी प्रविष्टियों को हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेंगे ।

9.10. प्रति लाभार्थी को लगभग दो एकड़ (अधिक से अधिक एक हेक्टेयर) तक भूमि दी जायेगी । सड़क रास्ते, आहर, पईन, पोखर आदि के किनारे कतारबद्ध वृक्ष रोपण के लिये पट्टे पर आधा कि० मी० से अधिक लम्बी कर्णांकित नहीं होगी ।

9.11. अंचल पदाधिकारी द्वारा अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारी के सहयोग से वृक्षों का अर्द्ध-वार्षिक सत्यापन किया जायेगा । नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन तथा पट्टा रद्द किये जाने की सूचना भूमि सुधार उप-समाहर्ता एवं जिलाधिकारी को छःमाही प्रतिवेदन के रूप में दी जायेगी ।

9.12. "वृक्ष पट्टा योजना" के अन्तर्गत आवंटित जमीन की मूल्य अथवा लगान वसूलनीय नहीं होगा, न उगाये गये वृक्ष के लिये कोई टैक्स ही वसूलनीय होगा ।

10. "वृक्ष पट्टा योजना" के अधीन शर्तें -

(क) आवंटित जमीन पर पट्टाधारियों को कोई स्वामित्व अथवा अधिकार नहीं होगा ।

(ख) आवंटित जमीन पर मात्र वृक्ष लगाने का अधिकार ही होगा । पट्टाधारी को कृषि कार्य करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा।

(ग) वृक्ष के सूखी लकड़ी, जलावन के लिये सूखे पत्ते तथा चारा के लिये पत्ते पट्टाधारी ले सकेंगे ।

(घ) वृक्ष पट्टा की अवधि सामान्यत: 25 वर्षों तक अथवा ऐसी प्रजाति के वृक्ष, जिनकी आयु कम हो उनके परिपक्व होने की अवधि के अनरूप उस वृक्ष के वनवर्धन के काल तक ही होगी । पट्टे के नवीकरण का हक पट्टेदार को होगा ।

(ङ)सामान्य तौर पर किसी वृक्ष के वनवर्धन की आयु की समाप्ति के बाद ही उसे काटा एवं ले जाया जा सकेगा ।

(च) कर्णांकित जमीन पर कृषि कार्य, फसल लगाना, झोंपड़ी, छाजन, पक्का निर्माण ऐसे कार्य जिससे वृक्षों की उत्पादकता शक्ति में ह्रास हो, घेराबंदी के लिये लोहे का घेरा, बारब्ड वायर का घेरा, पक्का निर्माण का घेरा वर्जित होगा । मवेशियों से बचाव के लिये पट्टेदार खंदक (ट्रेंच) का घेरा दे सकते हैं ।

(छ) किसी पेड़ के गिरने अथवा कटने की स्थिति में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए प्रत्येक वृक्ष का पूरक कम-से-कम एक नया पेड़ लगाना आवश्यक होगा ।

(ज) वृक्ष रोपण हेतु स्वीकृत वृक्षों की संख्या की एक-तिहाई सख्या का वृक्ष रोपण प्रथम वर्ष में करना होगा । परन्तु कुल स्वीकृत सख्या में वृक्षों के रोपण की अवधि दो साल से अधिक नहीं होगी । लगाये गये वृक्षों पर क्रमांक अंकित किया जायेगा ।

(झ) दो वर्षों की अवधि में यदि वे इस योजना में रुचि लेते हुए नहीं पाये जायेंगे अथवा किसी शर्त का उल्लंघन करते पाये जायेंगे तो पट्टा अंचल अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जायेगा ।

(ञ) वृक्ष पट्टा की किसी शर्त के उल्लघन पर जुर्माना और/अथवा अन्य दण्ड दिया जा सकता है । पट्टा से बेदखल भी किया जा सकता है । इसके लिये आवश्यक विधान तैयार किया जा रहा है ।

11. **पट्टाधिकारियों को प्राप्त होने वाले लाभ एवं अधिकार -**

(क) पेड़ों के उपयोग का पुरुष/महिला पट्टाधारी को कानूनी अधिकार होगा ।

(ख) सूखी और मृत टहनियों, पत्तियों तथा फल, फूल एवं बीज के उपयोग का अधिकार उन्हें होगा ।

(ग) वृक्ष पर मधुमक्खी, मोंगा/तस्सर, सिल्क कीड़े पालन, लाह का उत्पादन करने का अधिकार होगा । वृक्ष के समुचित विकास के हित में समय-समय छांटने (प्रुनिंग) का भी अधिकार होगा ।

(घ) वृक्ष के परिपक्व होने पर अंचल अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर उसे काटने का अधिकार होगा । कटे और आंधी/तूफान में गिरे वृक्ष पर पट्टेदार का सम्पूर्ण अधिकार होगा ।

(ङ) वित्तीय संस्थानों/नाबार्ड को वे वृक्ष एवं वृक्ष पट्टा बंधक रखकर वितीय सहायता एवं कर्ज प्राप्त कर सकेंगे ।

(च) वृक्ष पट्टा कार्यक्रम का कार्यान्वयन एन० आर० ई० पी० एवं आर० एस० ई० जी० पी० के अन्तर्गत उनके लिए समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनरूप किया जायेगा । वृक्ष पट्टा से लाभान्वित परिवार को आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० एवं आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत तब तक अतिरिक्त आय प्राप्त करने की कोशिश की जायेगी जब तक पट्टा के अन्तर्गत उन्हें स्थायी आय नहीं आने लगे । यह अवधि वृक्षों की प्रजाति को देखते हुए अधिक से अधिक तीन साल तक हो सकती है ।

(छ) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास पर्षद या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिये लागू किये गये अथवा किये जाने वाले सभी लाभ के लाभार्थी/पट्टादार हकदार होंगे ।

(ज) पट्टाधारी को अंचल अधिकारी की पूर्व अनुमति से अपने अधिकारों के हस्तान्तरण का अधिकार होगा । पट्टेधारी की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी को वंशगत अधिकार प्राप्त होगा ।

(झ) परिवर्तनों के संदर्भ में पट्टा दाखिल-खारिज का कार्य अंचल अधिकारी करेंगे जिसके अभिलेख एवं पंजी संधारण अंचल कार्यालय में अलग से (सामान्य दाखिल खारिज मामलों से अलग) किया जायेगा ।

12. **अनुज्ञप्तिधारियों एवं पट्टाधारियों के दायित्व -**

(क) वृक्षों की निर्धारित संख्या एवं किस्म, निर्धारित अवधि, जो दो वर्षों से अधिक नहीं होगी, के अन्दर वृक्ष उगाना आवश्यक होगा।

(ख) वृक्ष रोपण, उसके विकास, सेवा सुश्रुषा एवं संरक्षण का पूर्णदायित्व अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी के ऊपर होगा । यह भी सुनिश्चित करना उनका दायित्व होगा कि अमुक प्रजाति के वृक्ष उस प्रजाति के लिए निर्धारित अवधि में ही विकसित हो जावें ।

(ग) वृक्ष पट्टा के लिये एकरारनामा विहित प्रपत्र में सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्तों के साथ पदाधिकारी को निष्पादित करना होगा । स्टाम्प, निबंधन आदि पर होने वाले व्यय के संबंध में अनुदेश अलग से भेजे जायेंगे ।

13. अनुज्ञप्ति/पट्टा रद्द करने की प्रक्रिया -

(क) किसी नियम अथवा शर्त्त का उल्लंघन होने पर पट्टाधारी को अंचल पदाधिकारी एक कारण बताओ नोटिस तीस दिनों की अवधि देते हुए भेजेंगे । तत्पश्चात् सुनवाई एवं स्थल निरीक्षण, यदि आवश्यक समझें, के बाद समुचित विचारण कर आदेश पारित करेंगे । यदि पट्टा रद्द किया जाय तो वृक्षों को सरकार के कब्जे में लिया जा सकता है, पट्टाधारी को जमीन के उपयोग से वंचित एवं दंडित किया जा सकता है ।

(ख) अनुज्ञप्ति-पत्र रद्द करने के लिये 15 दिनों की एक साधारण नोटिस और संक्षिप्त विचारण की कार्रवाई पर्याप्त होगी । विचारण पश्चात् अनुज्ञप्ति-पत्र रद्द करने के पूर्व वृक्ष रोपण एवं/अथवा त्रुटियां दूर कर देने के लिये विवेक से एक अवसर प्रदान करना उचित होगा ।

(ग) अनुज्ञप्ति-पत्र अथवा पट्टा रद्द किये जाने पर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

(घ) यदि पट्टे पर बैंक से कर्ज लिया गया हो तो शर्तों के उल्लंघन के लिए पट्टा जब्त किया जा सकता हे एवं इसकी सूचना बैंक को भी दी जायेगी ।

(ङ) अंचल पदाधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध एक ही अपील अनुमण्डलीय भूमि सुधार उप-समाहर्ता के समक्ष की जा सकेगी ओर उनका निर्णय अंतिम होगा ।

14. "वृक्ष पट्टा योजना" से संबंधित अभिलेखों पंजियों, संचिकाओं आदि के उचित संधारण के लिए अनुमंडल के उप-समाहर्ता प्रभारी भूमि सुधार, समुचित पर्यवेक्षण तथा अंचल पदाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे । इस योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन तथा अनिवार्यतः अर्द्ध-वार्षिक, स्थल सत्यापन के लिए भी उपर्युक्त पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे ।

15. "वृक्ष पट्टा योजना" के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई, पंजियों एवं लेखन सामग्री की आपूर्ति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सामाजिक वानिकी के लिए उपलब्ध राशि से की जायेगी । किसी भी परिस्थिति में लाभार्थियों में अनुज्ञप्ति-पत्र अथवा पट्टे संबंधी कोई व्यय वहन नहीं कराया जायेगा ।

16. चूँकि यह योजना सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का एक अंग है यह वांछनीय होगा कि जिला वानिकी कार्यक्रम बनाने के साथ ही 'वृक्ष पट्टा योजना" के अन्तर्गत भूमि के चयन के आधार पर प्रतिवर्ष उप-कार्यक्रम बना लिया जाय। उस उप-कार्यक्रम के लिए वानिकी प्रक्षेत्र से राशि कर्णांकित कर उस पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

17. अनुरोध है कि इस दिशा में अग्रिम कार्रवाई उपर्युक्त निर्देश के आलोक में अविलम्ब करने की कृपा करें । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि प्रक्रियाओं के व्यूह में फंसकर अथवा अन्तर्विभागीय द्वंद्व में उलझ कर योजना की प्रगति कुंठित न हो । विकास के इस राष्ट्रीय महत्व की योजना की सफलता के उद्देश्य को अन्य सभी मुद्दों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

18. आवेदन-पत्र, अनुज्ञप्ति-पत्र एवं आदेश-फलक के प्रथम आदेश का नमूना प्रपत्र संलग्न किये जा रहे हैं ।

19. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक - 948/रा०, पटना - 15, **दिनांक** 2 अप्रील 1986 ई० ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सिंचाई विकास आयुक्त/आयुक्त-सह-सचिव/ग्रामीण विकास विभाग/ सचिव, वन विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव कृषि विभाग/सचिव, नगर विकास विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव लघु सिंचाई/सचिव, विद्युत विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त /निदेशक, चकबन्दी बिहार/मुख्य वन संरक्षक (विकास)/सभी जिला उप-विकास आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)/सभी अपर समाहर्त्ता (भू-हदबन्दी)/सभी जिला विकास पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी प्रभारी, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- सी० आर० वेंकटरामन

आयुक्त एवं सचिव-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

अनुज्ञप्ति पत्र सं० -

वर्ष -

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ''वृक्ष-पट्ट्य योजना'' के अन्तर्गत

अनुज्ञप्ति - पत्र

आज दिनांक .... को बिहार के राज्यपाल की ओर से श्री/श्रीमती ...., पिता/पत्नी ...., ग्राम ...., टोला ...., पंचायत ...., थाना ...., अंचल .... , जिला ...., बिहार को निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि पर ''वृक्ष-पट्टा योजना'' के अधीन अन्तर्निहित शर्तों पर वृक्ष-रोपण के लिए अनुमति प्रदान की जाती है ।

स्थान — अंचलाधिकारी

तिथि — अंचल

मुहर

अनुसूची

1. मौजा का नाम -
2. थाना नं० -
3. खाता नं० -
4. खेसरा नं० -
5. किस्म जमीन -
6. क्षेत्रफल/लम्बाई -
7. चौहद्दी -
   - पूरब -
   - पश्चिम -
   - उत्तर -
   - दक्षिण -
8. भूमि का परिचयांकन -
9. भूमि के प्रशासी विभाग का नाम -

वृक्ष रोपण के लिए अन्तर्निहित शर्तें

(1) कर्णांकित भूमि पर आवेदक को इस अनुज्ञप्ति पत्र से कोई स्वामित्व अथवा किसी प्रकार की हकीयत का अधिकार नहीं होगा ।

(2) इस अनुज्ञप्ति-पत्र की अनुसूची में वर्णित कर्णांकित भूमि पर केवल वृक्ष रोपण का आधिकार ही प्रदान किया जा रहा है ।

(3) भूमि पर कृषि का कार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।

(4) कोई अन्य ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे भूमि को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे ।

(5) भूमि पर झोपड़ी, छाजन, पक्का निर्माण, किसी किस्म की संरचना, दीवार से घेराबन्दी, कंटीले तार का घेरा अथवा अन्य कोई भी ऐसा कार्य जिससे वृक्षों की उत्पादकता शक्ति का ह्रास हो; बिल्कुल वर्जित है ।

(6) पौधों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए अलग-अलग अस्थायी घिरावे (गेबियन) खड़ा कर सकते हैं ।

(7) भूमि को खंदक घेरा (ट्रेंज फेंसिंग) द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं अथवा अलग-अलग पौधों/वृक्षों को खंदक घेरा देकर सुरक्षित कर सकते हैं ।

(8) वृक्ष रोपण तथा उनके पोषण और समुचित/विकास के लिए सिंचाई, खाद, सुरक्षा, सेवा-सुश्रुषा, त्रादि का प्रबंध आवेदक स्वयं करेंगे ।

(9) आवेदक को कर्णांकित भूमि पर .... के कुल .... पौधों का कतारबद्ध/चौकस रूप में .... की दूरी पर अधिक-से अधिक कुल दो वर्षों के अन्दर रोपण कर देना होगा । इसमें कम-से-कम एक-तिहाई, अर्थात् .... की संख्या में पहले वर्ष की अवधि में और बाकी दो-तिहाई अर्थात्, ... पौधे, दूसरे वर्ष में अवश्य रोपण कर देना होगा ;

अथवा

आवेदक को कर्णांकित भूमि पर वृक्ष रोपण के लिए प्रजाति चयन की स्वतंत्रता होगी जिनके कुल .... पौधे कतारबद्ध/चौकस रूप में

.... की दूरी पर अधिक-से-अधिक कुल दो वर्षों की अवधि के भीतर लगा देना होगा । इनमें से कम-से-कम एक तिहाई अर्थात .... पौधे, एक वर्ष के भीतर और बाकी दो-तिहाई अर्थात .... पौधे, दूसरे वर्ष की अवधि में अवश्य रोपण कर देना होगा ।

(10) समय-सीमा के अन्दर निर्धारित संख्या में सफलतापूर्वक वृक्ष रोपण का कार्य पूरा करने पर आवेदक वृक्ष-पट्टा के हकदार होंगे तथा वृक्ष-पट्टा योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के भागी बनेंगे ।

(11) वृक्ष रोपण के कार्य में यथेष्ट अभिरुचि न लेने अथवा ययथेष्ट संख्या में निर्धारित अवधि में पौधा न उगाने अथवा शर्तों के उल्लंघन की दशा में अनुज्ञप्ति-पत्र रद्द किये जाने का अधिकार अंचलाधिकारी को होगा । इसके लिए कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगी ।

अंचलाधिकारी

स्थान - .... अंचल ।

तिथि -

कार्यालय की मुहर

मुझे उपर्युक्त शर्तें स्वीकार है ।

अनुज्ञप्ति का हस्ताक्षर

अथवा बाएं अंगूठे का निशान ।

"वृक्ष पट्टा" योजनान्तर्गत अनुज्ञप्ति-पत्र के लिये

आवेदन-पत्र

का फार्म

1. प्रार्थी का नाम (साफ अक्षरों में) -

2. पिता/पति का नाम -

3. स्थायी पता - ग्राम - टोला -

डाकघर - पंचायत -

थाना - अंचल -

जिला -

4. आवेदक/आवेदिका निम्नलिखित श्रेणी में आते/आती हैं -

(क) भूमिहीन कृषि श्रमिक ।

(ख) भूतपूर्व सैनिक ।

(ग) लघु एवं सीमान्त कृषक ।

(घ) अनुसूचित जाति ।

(ङ) अनुसूचित जन-जाति ।

(च) असहाय/विधवा/महिला ।

(छ) अन्य ।

5. (क) यदि किसी खास भू खंड की पसन्द हो तो उसका विवरण -

(ख) उपर्युक्त खंड (क) के लिये आधार एवं विशेश दावा यदि कोई हो -

6. वृक्षरोपण या बागवानी का पूर्व अनुभव, यदि हो, उसका उल्लेख -

7. अन्य उल्लेखनीय बातें, यदि हों -

8. घोषणा- मैं घोषित करता/करती हूं कि उपर्युक्त तथ्य सही हैं । अनुज्ञपित पत्र के लिये निर्धारित शर्तो से मैं परिचित हूं और मैं उसका पूर्णरुपेण पालन करने की प्रतिज्ञा करता/करती हूं ।

पहचान - मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं प्रार्थी को अच्छी तरह जानता एवं पहचानता हूं और उन्होंने मेरे सामने में हस्ताक्षर किया है/बाएं अंगूठे का निशान दिया है ।

तिथि - प्राथी का हस्ताक्षर बाएं अगूठे का निशान ।

स्थान -

पहचान कर्त्ता का परिचय हस्ताक्षर एवं तिथि

(क) नाम -

पहचान -

पता -

(ख) नाम -

पदनाम -

पता -

*जो लागू न हों उसे काट दिया जाये ।

आदेश फलक के प्रथम पृष्ठ के प्रथम आदेश का नमूना ।

श्री/श्रीमती पिता / पति

ग्राम - टोला - पंचायत -

थाना - अंचल - जिला -

का आवेदन पत्र सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत "वृक्ष पट्टा योजना" के अधीन अनुज्ञप्ति-पत्र प्राप्ति के लिये प्राप्त हुआ । आवेदक/आवेदिका .... (श्रेणी) के व्यक्ति/महिला है और वृक्ष रोपण कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं । इस योजना के अधीन अनुज्ञप्ति-पत्र प्राप्त करने के लिये अन्तर्निहित शर्तों की जानकारी उन्हें है और वे उन्हें स्वीकार करते करती हैं । आवेदन-पत्र संलग्न है ।

इन्हें अनुज्ञप्ति-पत्र प्रदान करने के लिये इस योजना के अधीन गठित ग्राम स्तरीय समिति की दिनांक .... की बैठक में अनुशंसा की गयी जिसका अनुमोदन इस योजना के अधीन गठित प्रखंड स्तरीय समिति की दिनांक .... की बैठक में किया गया । दोनों बैठकों की कार्यवाहियों के संदर्भित उद्धरण अभिलेख के साथ संलग्न है ।

तदनुसार निम्नलिखित भूमि पर वृक्ष-रोपण के लिये अनुज्ञप्ति-पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी जाती है । भूमि का नक्शा अभिलेख के साथ संलग्न है । अनुज्ञप्ति-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्गत करें और उसकी एक प्रति अभिलेख में भी रखें ।

भूमि का विवरण :-

(क) मौजा का नाम -

(ख) थाना नम्बर -

(ग) खाता नम्बर -

(घ) खेसरा नम्बर -

(ङ) किस्म जमीन -

(च) क्षेत्रफल/लम्बाई -

(छ) चौहद्दी -

पूरब -

पश्चिम -

उत्तर -

दक्षिण -

(ज) भूमि का परिचयांकन -

(झ) भूमि के प्रशासी विभाग का नाम -

अर्द्ध वार्षिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ दिनांक .... को प्रस्तुत करें ।

अंचल पदाधिकारी ।

बि० स० मु० (राजस्व) 2- मोनो जी० - 2,500 - 21.4.1986 -- मिश्री लाल

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 2023/84 2391 / रा०,

प्रेषक,

श्री कामता प्रसाद सिन्हा,

परामर्शी, राजस्व-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 28 जून 1984 ई० ।

विषय :- सैनिकों के साथ जमीन बन्दोबस्ती के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक - 602 रा० दिनांक 23.2.82 की ओर आपका ध्यान आकृष्टि करते हुए कहना है कि अपेक्षित प्रगति प्रतिवेदन सरकार को अप्राप्त है, यद्यपि दो वर्षों की अवधि बीत चुकी है ।

2- निदेशक-सह-सचिव, सैनिक पुनर्वास निदेशालय, राज्य सैनिक बोर्ड, पटना ने सूचित किया है कि दिनांक 5 मार्च 1984 को मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में यह प्रश्न उठाया गया कि प्राय: कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के साथ कृषि एवं आवास हेतु जो जमीन जिलाधिकारियों द्वारा आवंटित की जाती है वह विवादग्रस्त रहती है । फलस्वरुप सैनिक बोर्ड कार्यालय में बराबर शिकायत पत्र प्राप्त होते रहते हैं । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्यरत/भूतपूर्व सैनिकों को वैसी भूमि का आवंटन किया जाय जो सब प्रकार से विवादमुक्त हो एवं आवंटियो का आवंटित जमीन पर कब्जा को सुनिश्चित किया जाय ।

3- विभागीय परिपत्र संख्या 4725 रा0 दिनांक 16.8.1972 द्वारा निदेश दिया जा चुका है कि जो भी जमीन सैनिकों के साथ बन्दोबस्त की जाय वह सब प्रकार से विवादमुक्त होनी चाहिये । इस निदेश का भलीभांति अनुपालन नहीं किया जाना दुखद स्थिति है ।

4- अत: पुन: अनुरोध है कि कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो भी जमीन बन्दोबस्ती दी जाय वह सब प्रकार से विवादमुक्त होनी चाहिये एवं आवंटित भूमि पर उनका कब्जा सुनिश्चित करने की ठोस कार्रवाई करने की कृपा करें । साथ ही विभागीय पत्रांक 602 रा0 दिांक 23.2.82 के विहित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन नियमित तौर पर अवश्य ही सरकार को भेजा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- कामता प्रसाद सिन्हा
परामर्शी, राजस्व-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक - 8 / खा० म० नीति 1023/84 2391 रा०, पटना, दिनांक 28.6.84

प्रतिलिपि, ब्रिगेडियर बलबीर सिंह खण्डपुर, निदेशक-सह-सचिव, गृह विभाग, सैनिक पुनर्वास निदेशालय (राज्य सैनिक बोर्ड) पटना को उनके पत्रांक 1296 दिनांक 4.6.84 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- कामता प्रसाद सिन्हा
परामर्शी, राजस्व-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 1019/84 -2136 / रा०,

प्रेषक,

श्री कामता प्रसाद सिन्हा,

परामर्शी, राजस्व-सह-भूमि सुधार आयुक्त

बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 7 जून 1984 ई० ।

विषय :- सरकारी आदेश की प्रत्याशा में सरकारी जमीन पर कब्जा दिये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक - 1654 रा० दिनांक 9.8.80 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि आयुक्त द्वारा एक ओर सरकारी जमीन बंदोबस्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाता है और दूसरी ओर प्रस्तावित जमीन पर सरकारी आदेश की प्रत्याशा में बंदोबस्त प्राप्तकर्ता को कब्जा देकर उन्हें जमीन उपयोग करने की अनुमति दे दी जाती है । इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सरकारी परिपत्र का स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

2- अत: अनुरोध है कि भविष्य में इस अनुदेश का पूर्णत: पालन किया जाय और सरकार की अनुमति या आदेश प्राप्त किये बिना प्रस्तावित जमीन पर कब्जा नहीं दिया जाय चाहे स्थानीय परिस्थिति जो भी हो । जहां लोकहित में सरकारी आदेश की प्रत्याशा में जमीन पर कब्जा देना अनिवार्य दिखता हो तो वैसी परिस्थिति में भी सरकार का पूर्व आदेश अवश्य ही प्राप्त कर लिया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- कामता प्रसाद सिन्हा

परामर्शी, राजस्व-सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक - 8/ खा० म० नी० - 1019/84, 2136 रा०, पटना, दिनांक 7.6.84

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- कामता प्रसाद सिन्हा

परामर्शी, राजस्व-सह-भूमि सुधार आयुक्त

बिहार

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8/ वि० स० आ० 16/83   3303 / रा०,

प्रेषक,

श्री उमा शंकर प्र० ठाकुर,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त
सभी अपर समाहर्त्ता

पटना -15 दिनांक 26.9.83

विषय :- बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा - II के संशोधन के फलस्वरूप जिला जज के कोर्ट से अतिक्रमण वादों का जिला दंडाधिकारी के कोर्ट में हस्तान्तरण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा - 11 के संशोधित होने के बाद अतिक्रमण अपील वादों की सुनवाई अब समाहर्त्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा ही की जायेगी । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि अपने अधीनस्थ सभी जिला जजों को यह निर्देश दें कि संबंधित सभी मामलों को समाहर्त्ताओं को हस्तान्तरित कर दें ।

इस संबंध में निबंधक, पटना उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक 21127 दिनांक 18.10.82 से ज्ञात होगा कि जिन मामलों में पूर्व ही अपील दायर कर दिया गया है, उसकी सुनवाई जिला जज ही करेंगें । परन्तु, जिन मामलों में अधिनियम के कथित संशोधन के बाद अपील दायर किया गया है, उसकी सुनवाई समाहर्त्ता करेंगे । प्रसंग हेतु उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है । अनुरोध है कि तदनुसार सभी अपील वादों का निष्पादन करने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन

ह०/- उमा शंकर प्र० ठाकुर
सरकार के उप सचिव ।

No. ------------------------------

From

Shri Ramanandan Prasad,

Registrar,

High Court of Judicature of Patna,

To,

The Special Secretary to Government of Bihar,

Department of Revenue and Landreforms, Patna.

Dated, Patna the 18th October, 1982.

Subject : Transfer of cases from the court of the District Judges to the court of the collector due to amendment of section 11 of the Bihar Public Land Encreachment Act, 1956

Sir, With reference to your letter No. 8/Ei. S.A. 21/82-3090/ R, dated 9.8.82 on the subject mentioned above I am directed to say that the court are of the view that if the appeals from the orders passed under sections 6, 7 or 8 of te Bihar Public Land Encreachment Act, 1956 have already been filed before the district judges, the district judge shall hear the appeal.

The appeals alteranendment of the Act aforesaid shall be filed before the collector of the district who will dispose them of, but the appeal preferred before the District Judges prior to the said amendment shall to disposed of by them only.

Yours faithfully,

Sd/- Ramanandan Prasad

Registrar

Memo No. 22128-56 / Dated Patna the 18th October, 1982.

Copy forworded to All the District and Sessions Judges of Bihar including the judicial commissioner, Ranchi for information and necessary action.

By order of the High Court.

Registrar

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 1007/82 4261 / रा०,

प्रेषक,

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता.
मुंगेर ।

पटना , दिनांक 14.12.82

विषय :- बिहार सैन्य पुलिस (बी० एम० पी०) के साथ सरकारी जमीन बंदोबस्ती के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके अपर समाहर्ता के पत्रांक - 3056 रा० दिनांक 28.12.81 के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे सुचित करना है कि विभागीय परिपत्र संख्या 4725 रा० दिनांक 14/16.8.72 में अपर समाहर्ता द्वारा उठाये गये प्रश्नों का निराकरण दिया गया है । उपर्युक्त परिपत्र की कंडका - 2 (ग) के अनुसार सेवारत बी० एम० पी० के जवानों की भूमि की बंदोवस्ती की जा सकती है परन्तु उक्त सुविधा उन्हें तभी दी आएगी जब बी०एम०पी० के जवान कम से कम तीन महीनों तक लगातार संतोषजनक सेवा कर लिये हो या युद्ध में वीर गति प्राप्त कर चुके हो परंतु उक्त परिपत्र की कंडिका - 2(घ) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल सेवा निवृत सैनिक के साथ भूमि की बंदोबस्ती सेवारत सैनिकों की तरह की जा सकती है परन्तु सेवा निवृत बी० एम० पी० के जवानों को उक्त सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी गयी है ।

विश्वासभाजन

ह०/- निर्मलेन्दु चटर्जी
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 8/ खा० म० -नीति 1007/82- 4261 रा० पटना, दिनांक 14.12.82

प्रतिलिपि राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- निर्मलेन्दु चटर्जी
सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 5/1100 82-2730 / रा०,

प्रेषक,

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी समाहर्त्ता</u>

उपायुक्त ।

पटना , दिनांक 9 जुलाई, 1982 ई० ।

विषय :- लीज नवीकरण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभिन्न स्तरों से सरकार को शिकायत मिला करती है कि समय पर लीजों का नवीकरण नहीं होता है । इसका एक कारण यह भी प्रतीत होता हे कि लीज अवधि की समाप्ति के पूर्व स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा लीज-धारियों को नवीकरण हेतु नोटिश नहीं दी जाती है ।

2- इस्टेट मैनुअल में यह प्रावधान है कि लीज अवधि की समाप्ति के छः महीने पूर्व जिला कार्यालय के खास महाल पदाधिकारी द्वारा लीज नवीकरण हेतु सभी पट्टे- धारियों को आवेदन देने का नोटिश दी जानी चाहिये । अतः अनुरोध है कि इस नियम का अनुपालन अवश्य ही कराने की कृपा करें ताकि समय पर पट्टों का नवीकरण होना संभव हो ।

विश्वासभाजन

ह०/- निर्मलेन्दु चटर्जी

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 8/ खा० म० नीति 1010/82-1857 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री शिव कुमार श्रीवास्तव,
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी समाहर्त्ता
सभी उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 18 मई 1982 ।

विषय :- गैर-मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती एवं संरक्षण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार को विभिन्न श्रोतों से सूचना मिली है कि गैर-मजरूआ आम जमीन के संरक्षण पर स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । सरकार को ऐसा भी सूचना मिली है कि गैर-मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा व्यक्ति विशेष के साथ की जा रही है तथा इस तरह की जमीनों के संबंध में नई जमाबन्दी भी कायम की गयी है ।

2- गैर मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती के संबंध में विभागीय पत्रांक 344, दिनांक 15 जनवरी 1969 की प्रतिलिपि संलग्न कर कहना है कि साधारणतः गैर-मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती किसी के साथ नहीं करनी है । कुछेक मामले में सरकार द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती व्यक्ति विशेष अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के साथ विधि विभाग की राय प्राप्त कर उस परिस्थिति में की गयी है जबकि उसकी प्रकृति बदल गयी थी और सर्वसाधारण द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था । स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन बन्दोबस्ती करना नियम विरूद्ध एवं विभागीय अनुदेश के प्रतिकूल हैं ।

3- भूतपूर्व मध्यवर्तियों को भी गैर-मजरूआ आम जमीन बन्दोबस्त करने की शक्ति नहीं थी । अतः अगर कोई भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निर्गत रसीद के आधार पर गैर मजरूआ आम जमीन का दावा करते हैं तो ऐसे मामलों के संबंध में नई जमाबन्दी नहीं कायम की जाय।

4- अगर स्थानीय पदाधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गैर मजरूआ आम जमीन की प्रकृति बदल गयी है और उसका उपयोग सर्वसाधारण द्वारा नहीं किया जा रहा है तो वैसी परिस्थिति में स्थानीय पदाधिकारी बन्दोबस्ती अभिलेख तैयार कर बन्दोबस्ती के प्रस्ताव को उचित माध्यम से सरकार के पास भेजेंगे । यह स्पष्ट है कि गैर मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती विशेष परिस्थिति में केवल सरकार ही कर सकती है, अन्य कोई नहीं । बन्दोबस्ती प्रस्ताव भेजने के पूर्व स्थानीय ग्रामीण पंचायत समिति की कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया जाना चाहिए और समिति की अनुशंसा प्राप्त कर ही बन्दोबस्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाना चाहिए ।

5- सरकार को यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि गैर मजरूआ आम जमीनों पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है । यह स्थिति अत्यन्त ही भयावह है । गैर-मजरूआ आम जमीन के संरक्षण का दायित्व स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा अंचलाधिकारी अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी के ऊपर है । साथ ही साथ इसके संरक्षण का भार स्थानीय ग्रामीण पंचायतों के ऊपर भी है । अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय क्षेत्रीय

पदाधिकारी जब भी भ्रमण में जायं तो इस बात की जांच कर लें कि उस गांव में गैर मजरूआ आम जमीन का अतिक्रमण अवैध रूप से किसी के द्वारा किया गया है या नहीं । अपर समाहर्ता-भूमि सुधार उप-समाहर्ता का यह भी कर्तव्य है कि जब भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जाय तो इस बिन्दु पर अवश्य जांच करें और गैर-मजरूआ आम जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण की सूचना यदि मिलती है तो उसे हटाने के लिए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत अविलम्ब कार्रवाई करें ।

6- सरकार ने गैर-मजरूआ आम जमीन पर हुए अतिक्रमण को समाप्त करने तथा अतिक्रमण को रोकने के संबंध में अनेक अनुदेश भेजे हैं जो जमीन बन्दोबस्ती संबंधी कंपेडियम में मुद्रित भी किये गए हैं । सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि गैर-मजरूआ आम जमीनों के संरक्षण की पूरी जिम्मेवारी स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों की है और अगर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया हो तो वैसी परिस्थिति में अतिक्रमण हटाने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई की जाय ।

इस पत्र की तीस अतिरिक्त प्रतियां सभी समाहर्ताओं को संलग्न की जा रही है ताकि वे इसे अपने अधीनस्थ अपर समाहर्ता-भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता-अंचलाधिकारियों को भेज सकें ।

विश्वासभाजन

ह०/- **शिव कुमार श्रीवास्तव**
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

No. A/M - 48 / 693 - 44 R.
GOVERMENT OF BIHAR
REVENUE & LAND REFORMS DEPARTMENT

From ,

Shri S. K. Chandra,
Additional Secretary to Government.

To,

All District Officer.

Patna - 15, dated the 14-15th January, 1969.

Subject : Policy regarding the settlement of Gairmazarua Am land.

Sir,

Policy regarding the settlement of Garimazarua Am land has not been indicated so far. Government have since taken the following decision on the subject -

Gairmazarua Am land are those lands over which the community has rights; ordinarly, such land is not settled as this would involve extingushmet of public rights, and there by cause inconvenience to public. Governmet have settled some Gairmazarua Am lands with individual and institutions with the advice of the Law Departmet on the ground that the character of the land had changed; it had ceased to be of public use; the settlement of the land did not cause any inconvenience to the public, and the people of the localty had no objection to the Settlement.

Before the vesting of Zamindari, Zamindars were not empowered to settle these lands. As Government stepped into the shoes of the Zamindars, after the vesting of Zamindari, it was felt that they were similarly restrained from settling Gairmazarua Am lands. The State however, is in a stronger position than the Zamiudars. The state is custodian of community interest, and hance it has wider power in respect of Gairmazarua Am lands. Gairmazarua Am lands can be settled in the interest of public welfare, provided it does not cause any inconvenience to the public. The quality of vesting under section 4 of Bihar Land Reforms Act is similar in nature as the quality of the vesting of land under Acquisition act, i.e. all rights over land either in the nature of easement or otherwise stands annulled. In other words such vesting is free from encumbrances and absolute Government therefore, has absolute discretion in the manner in which Gairmazarua Am land is to be utilised.

The value of Gairmazarua am land to the general public cannot be under estimated. It is, however, a fact that some Gairmazarua Am lands recorded as such in the Last Survey Settlement Operation about 40/50 years ago have lost their character by the efflux of time and no longer serve the purpose of the community, e.g. Nalas, tanks and Ahars been silted up do not serve the purpose of drainage, tank of storage of water. There has been large scale encroachment on such lands for want of proper vigilance and Government are loosing revenue.

As there is no legal bar to the settlemet of Gairmazarua Am lands which have lost their character, and as such are no longer in public use, it is proposed to settle such lands with individuals or institutions on approval of Governmet. However, no proposal for settlement of Gairmazrua Am lands should be entertained where the same is used by the public for common benefit and the settlement is likely to cause inconvenience to the community. Also no proposal for settlement of such land should be entertained where public right of any kind has accrued by usage, custom, etc. and proper action should be taken to ensure that, such right is not interferred with. In every case of settlement of Gairmazarua Am land, an Istehar should be published calling for objections against the settlement and final decision taken after due consideration of the same. The opinion of the local Panchayat should also be obtained invariably in all cases of settlement.

Government would continue to have the exclusive right of settlement of Gairmazarua Am lands.

Yours faithfully,
(Sd/-) S. K. Chandra
Additional Secretary to Government

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 3 / खा० म० नीति 1012/82 701 रा०,

प्रेषक,

श्री आर० एन० सिन्हा,

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त, उत्तरी/दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/भागलपुर प्रमंडल/

उपायुक्त, रांची / धनबाद / हजारीबाग / गिरिडीह / सिंहभूमि / पलामू

संथालपरगना ।

पटना, दिनांक 26 फरवरी, 1982 ई० ।

विषय :- छोटानागपुर एवं संथालपरगना में सभी सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ 5 एकड़ तक गैरमजरूआ मालिक अथवा अन्य सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में आपका ध्यान विभागीय पत्रांक - 10339 एल० आर० 20/21.11.1970 की कंडिका 10 की ओर आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि अनुसूचित जन-जाति अनुसूचित जाति तथा एनेक्सर - 1 की पिछड़ी जाति के साथ गैरमजरूआ खास जमीन की बन्दोबस्ती की अधिकतम सीमा 5 एकड़ से घटा कर 2 एकड़ कर दी गयी थी । उपर्युक्त निर्धारित सीमा पर सम्यक विचार के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि छोटानागपुर एवं संथालपरगना में अधिकतर जन-जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति (एनेक्सचर 2) के किसान उतर बिहार की तुलना में अधिक गरीब है तथा उनकी भूमि जंगली एवं पथरिली होने के कारण अपेक्षाकृत बहुत कम उपजाऊ है । अतः छोटानागपुर एवं संथालपरगना में उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों के साथ भूमि बन्दोबस्ती की सीमा उत्तरी बिहार की तुलना में अधिक होना चाहिए।

अत: सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छोटानागपुर एवं संथालपरगना के सभी सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ (अर्थात आदिवासी, अनुसूचित जाति तथा एनेक्सचर - 1 की पिछड़ी जाति) कृषि कार्य के लिए 5 एकड़ तक भूमि की बन्दोबस्ती की जा सकती है, बशर्ते वैसी भूमि गैरमजरूआ आम नहीं हो तथा बन्दोबस्ती छोटानागपुर का सरकारी या संथालपरगना कास्तकारी अधिनियम के विपरीत नहीं हो । साथ ही वैसे क्षेत्र में उपर्युक्त सुयोग्य श्रेणी के 2 एकड़ तक भू-धारियों को भूमिहीन माना जाएगा ।

कृपया इस राज्यादेय से सभी जिला दंडाधिकारियों को तथा बंदोबस्त पदाधिकारी, रांची को अवगत करा दें।

विश्वासभाजन

ह०/- आर० एन सिन्हा

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - खा० म० नीति 1012/82 609 रा०, पटना दिनांक 26.2.82

प्रतिलिपि, उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर के सभी अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता संथालपरगना/बन्दोबस्त पदाधिकारी रांची / संथालपरगना/ सिंहभूम / पलामू / धनबाद / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दक्षिणी एवं उत्तरी छोटानागपुर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, संथालपरगना को सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/- आर० एन सिन्हा

सरकार के विशेष सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० पू० 49/82 364 रा०,

प्रेषक,

श्री आर० एन० सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त
अपर उपायुक्त, धनबाद/
सभी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता/
सभी अनुमंडल पदाधिकारी

पटना, दिनांक 9.2.82

विषय :- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग अनुसूची - 1 के सदस्यों के साथ खास महाल एवं सरकारी जमीन की बंदोबस्ती के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक - 1942 एल० आर० टी० दिनांक 12.8.1955 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस परिपत्र के अनुसार उपरोक्त वर्णित सदस्यों के साथ भूमि बंदोबस्ती की शक्ति जहां अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है वहां भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रदान की गयी थी । इस परिपत्र के आधार पर कई जगह अनियमितता बरती जाने की शिकायत सरकार को मिली है ।

2- अत: उपरोक्त परिपत्र संख्या - 1942 एल० आर० टी० दिनांक 12.8.1955 को सरकार वापसी लेती है । तदनुसार इस परिपत्र को रद्द समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- आर० एन सिन्हा
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - खा० म० पू० 48/82 364 रा०, पटना दिनांक 9.2.82

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सुचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित ।

ह०/- आर० एन सिन्हा
सरकार के विशेष सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० प० 109/81-38 रा०,

प्रेषक,

श्री आर० एन० सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

<u>आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना</u>
समाहर्त्ता, पटना ।

पटना, दिनांक 8.1.82

विषय :- पटना शहर में खास महाल/सरकारी जमीन के बंदोबस्ती के संबंध में नीति का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि पटना शहर में खास महाल / सरकारी जमीन अत्यन्त अभाव है । ऐसी परिस्थति में पटना शहर में जमीन बंदोबस्ती के संबंध में अपनाए जा रहे उदार दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है । पटना शहर में बहुत सारे केन्द्रीय सरकार के कार्यालय खोले जा रहे हैं जिसके लिए जमीन की मांग की जा रही है । यों भी राज्य सरकार के भी बहुत सारे निगम इत्यादि के लिए कार्यालय भवन निर्माण हेतु जमीन की मांग की जा रही है ।

2- इस समस्या पर विचार - विमर्श के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 7.7.77 तथा 9.3.79 को बैठक हुई थी । इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था । पटना शहर के साथ खासमहाल सरकारी जमीनों के अन्तरण तथा बंदोबसती के संबंध में सैद्धान्तिक रूप से निर्णय मंत्रिपरिषद का भी निर्णय प्राप्त कर लिया जाय ।

3- तदनुसार मंत्रिमंडल की स्वीकृति से सरकार ने निम्नांकित निर्णय भी लिया है ।

1. पटना शहरी क्षेत्र में व्यक्ति विशेष तथा निज एजेन्सी की खासमहाल सरकारी जमीन की बंदोबस्ती नहीं की जाय ।

2. पट्टे पर बंदोबस्त जमीन के हस्तांतरण पर सामान्य रोक लगा दी जाय और किसी भी मामले में पट्टेदारों की जमीन हस्तांतरण की अनुमति बिना सरकारी आदेश के नहीं दी जाय । यह शर्त भविष्य के पट्टे पर ही लागू हो सकेगी ।

3. पट्टेदारों द्वारा जमीन के हसतांतरण की कार्रवाई की जानकारी होने पर प्रत्येक मामले लोक प्रयोजन हेतु संबंधित जमीन के अधिग्रहण के संबंध में जांच कर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त किया जाय ।

4. पट्टे की शर्तों के विपरीत जो जमीन रिक्त पड़ा हुआ है अथवा निर्धारित अवधि में भवन इत्यादि या जिस प्रयोजन के लिए जमीन बंदोबस्त की गई है उस प्रयोजन में उसे नहीं लाया गया । एकरारनामा के अन्य शर्तों का उल्लंघन हो तो वैसी जमीन को लोक प्रयोजन हेतु अधि ग्रहित किया जाए ।

5. पटना शहर में खास महाल/सरकारी जमीन की बंदोबस्ती केवल विभिन्न सरकारी विभागों, पब्लिक अन्डरटेल्सि, विभिन्न सरकारी सेवा संघ तथा सार्वजनिक संथाओं के साथ ही की जाय । सेवा संघों के साथ अधिक से अधिक 3 से 5 कट्ठे के बीच भूमि की बंदोबस्ती की जाये।

6. पटना शहर की खासमहल/सरकारी जमीन किसी के साथ रियायत दर पर सामान्यत: बंदोबस्त नहीं की जाय । बिहार फाइनान्सियल रूल्स तथा स्टेट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार खास महाल/सरकारी जमीन की बंदोबस्ती वर्तमान बाजार दर के अनुसार सलामी और सलामी का

दो प्रतिशत आवासीय प्रयोजन हेतु तथा पाँच प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु वार्षिक लगान पर ही की जाए । जमीन का बाजार दर निबन्धन कार्यालय से आस-पास की जीमन के बिक्री के दर प्रात कर निर्धारित किया जाएगा ।

उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित सरकारी आदेश अविलम्ब लागू समझा जाय । साथ ही पटना शहर में जमीन बंदोबस्ती हस्तांतरण का जो भी प्रस्ताव सरकार को भेजा जाय । उसकी जांच उपर्युक्त निदेशों के आलोक में ही किया जाय ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

ह०/- आर० एन सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 8/खा० म० - 1-109/01-38 रा०, पटना - 15, दिनांक 3.1.82

प्रतिलिपि, वित्त विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- आर० एन सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

प्रस्ताव में अनौपचारिक रूप से सहमति प्राप्त ।

पत्र संख्या :- 8 / खा० म० 05-1011/81-3195 रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 4.9.81

विषय :- खासमहाल जमीन की पट्टों का नवीकरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार को ऐसी सूचना मिल रही है कि खास महाल जमीन की पट्टों को नवीकरण समय पर नहीं किया जा रहा है । राज्य सरकार इस स्थिति को गंभीर मानती है ।

2. खास महाल जमीन के पटटे के नवीकरण के संबंध में समय समय पर राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदेश दिया गया है । बिहार परिपत्र संख्या 4234 दिनांक 1.9.69 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा अनुदेश इस विषय पर निर्गत किए गए हैं । ऐसा जान पड़ता है कि कतिपय कारणों से उपर्युक्त निदेश का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है । समय समय पर कई समाहर्ताओं उपायुकतों द्वारा नवीकरा के संबंध में सरकार से अनुदेश मांगे जाते रहे हैं । इसी सिलसिले में राजस्व विभाग द्वारा एकं परिपत्र 4429 दिनांक 17.12.79 निर्गत किया गया है । पूनः उपायुक्त हजारीबाग को विभागीय परिपत्र सं0 1017 दिनांक 6.3.78 के द्वारा निदेश दिया गया हे । उपर्युक्त दोनों परिपत्रों में अंकित विन्दुओं को समीक्षा राजस्व विभाग द्वारा की गई है और इन प्रासंगिक बिन्दुओं पर विधि विभाग एवं महाधिवक्ता की राय प्राप्त की गई है । तद्नुसार खास महाल जमीन पटटे के नवीकरण के संबंध में राज्य सरकार ने पूर्ण रुपेण विचार कर निम्नांकित निर्णय लिया जाय ।

1. खास महाल जमीन के पटटे के नवीकरण के संबंध में जो निदेश विभागीय पत्रांक 4234 दिनांक 1.9.69 में दिया गया था उसका पालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ।

2. पटना, धनबाद, जमशेदपुर एवं रांची जिला के खास महाल जमीन के पटटे का नवीकरण का प्रस्ताव समाहर्ता/उपायुक्त आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजेंगे । अन्य जिलों में खासमहल जमीन के पटटे का नवीकरण समाहर्ता उपायुक्त अपने प्रमंडलीय आयुक्त की पूर्व सहमति प्राप्त कर करेंगे । विभागीय परिपत्र सं0 4429 दिनांक 17.10.79 में अंकित इस बिन्दु पर अनुदेश संशोधित समझा जाय ।

3. उपायुक्त हजारीबाग को विभागीय परिपत्र सं0 1017 दिनांक 6.3.78 में यह निदेश दिया गया था कि किसी भी पट्टे का नवीकरण भवन क्षेत्र सहित 20 डि0 से अधिक जमीन के लिए नहीं किया जाय । इस बिन्दु पर यह निर्णय लिया हे कि अगर पट्टेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है तो वैसी परिस्थिति में पट्टे पर धारित पूरी जमीन का नवीकरण कर दिया जाय । विभागीय परिपत्र सं0 1017 दिांक 6.3.78 में इस विन्दु पर अंकित निर्देश जो उपायुक्त हजारीबाग को संशोधित है संबोधित समझा जाय । पर और किसी मामले में समहर्त्ता/उपायुक्त यह समझते हैं कि पट्टे पर धारित प्रति जमीन का सदुपयोग या विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया जा रहा है तो वैसी परिस्थिति में पट्टे पर धारित जमीन के उस अंश को जिसका विकास एवं उपयोग पट्टेदार द्वारा नहीं किया जा रहा हो तो जमीन के उस अंश को पुनग्रहीत करने क कर्रवाई की जा सकती है ।

4. विभागीय परिपत्र सं0 1017 दिनांक 6.3.76 में यह निर्देश दिया गया है कि अगर पट्टेधारी ने आवासीय प्रयोजन के लिए दी गई जमीन या जमीन पर निजी मकान को किराया पर लगा दिया है तो उसे पुर्नग्रहीत किया जा सकता है । इस बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगर पट्टाधारी द्वारा आवासी प्रयोजन के लिए दी गई जमीन पर निर्मित आवास को आवासीय प्रयोजन के लिए किराया पर दिया गया है तो वैसी परिस्थिति में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा परन्तु यदि ऐसे मकान तथा जमीन प्रयोजन संबंधी शर्तों के विपरीत पट्टाधारी व्यवसायिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिए किराया पर दे दिया है तो वैसी परिस्थिति में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा और उसे पुनग्रहीत करने की कारवाई की जा सकती है । इस बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 1017 दिनांक 6.3.78 में अंकित अनुदेश संशोधित समझा जाए।

5. किसी किसी जिले से यह भी निदेश मांगा गया है कि अगर कोई पट्टा धारी लीज पर ली गई जमीन भवन या उसके अंश को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की आवेदन देता है तो इसके लिए अनुमति दी जाए या नहीं इस विन्दु पर भी विभागीय परिपत्र सं0 1017 दिनांक 6.3.78 में निदेश दिया गया है । इस पत्र में इस बिन्दु पर निर्गत अनुदेशों को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई लीज धारी लीज पर ली गई जमीन अथवा उसके अंश को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का आवेदन देता है तो इस परिस्थिति में पट्टेधारी को अनुमति दी जा सकती है । यह अनुमति पटना, रांची जमशेदपुर तथा धनबाद जिले को छोड़कर अन्य जिला के समाहर्ता/उपायुक्त अपने प्रंडलीय आयुक्त से पूर्व अनुमति लेकर हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करेंगे । पटना रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर में जमीन हस्तांतरण करने का अनुमति का प्रस्ताव संबंधित समाहर्ता / उपायुक्त अपने प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से राजस्व विभाग की अनुमति के लिए भेजेंगे ।

6. पट्टे के नवीकरण के संबंध में राजस्व विभाग ने अपने परिपत्र सं0 4429 दिनांक 17.10.79 में यह निदेश निर्गत किया था कि पट्टे का नवीकरण करने के पहले एक अभियान चलाकर सर्वेक्षण किया जाय और इस बात को ससूचित किया जाय कि कितने पट्टेदारों ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है और सर्वेक्षण पूर्ण होने की अवधि तक पटेटे का नवीकरण नहीं किया जाय । इस बिन्दु पर भी राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया हे कि जैसे जैसे नवीकरण को आवेदन पत्र प्राप्त होता है वैसे वैसे नवीकरण संबंधी आवेदन पत्रों की जांच की जाय और जांचोपरान्त अगर यह पता चलता है कि पटटे के अधीन शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है तो वेसी परिस्थिति में सभी पटटों के सर्वेक्षण के लिए उस पट्टे के नवीकरण को रोक रखना उचित नहीं लगता । ऐसी परिस्थिति में पटटा का नवीकरण जैसे जैसे आवेदन पत्र प्राप्त होता है, किया जा सकता है बशर्ते कि शर्तों का उल्लंघन न किया गया हो । पटटे पर धारित जमीनों के सर्वेक्षण का कार्य अलग से किया जा सकता है पर इसके लिए आवेदित सभी पटटों का नवीकरण को नहीं रोक रखा जाय ।

7. सरकार अपेक्षा करती है कि पट्टे का नवीकरण का खास अभिमान चलाकर अविलंब पूरा किया जाय । प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि वे नवीकरण की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर किया करें और की गई समीक्षा से राज्य सरकार को भी अवगत कराया करें ।

8. कृपाया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- शिव कुमार श्रीवास्तव
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक - 8/खा० म० - 5-1017/81-3195 रा०, पटना - 15, दिनांक 4.9.81
प्रतिलिपि, सभी अपर समाहर्ता/प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ ।

ह०/- शिव कुमार श्रीवास्तव
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

श्री शिव कुमार श्रीवास्तव, भूमि सुधार आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1226 दिनांक 8.5.81 जो सभी समाहर्त्ता/ सभी उपायुक्त को सम्बोधित है की पत्र की प्रतिलिपि ।

विषय :- देहाती क्षेत्र में गैर मजरूआ आम एवं खास जमीन की बन्दोबस्ती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि सरकारी जमीन की बन्दोबस्तीके संबंध में विस्तृत अनुदेश विभागीय पत्रांक 636 दिनांक 25.2.81 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा भेजा जा चुका है । इस पत्र के क्रम में विभागीय पत्रांक 756 दिनांक 11.3.81 में भी निदेश दिया गया है कि अभियान की अवधि में सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती के सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और जितना आवेदन पत्र बन्दोबस्ती हेतु लम्बित हैं उन्हें विधिवत रूप से निष्पादित कर दिया जाय ।

देहाती क्षेत्र में सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा अनुदेश निर्गत किया गया है । देहाती क्षेत्र में आवासी प्रयोजन एवं कृषि हेतु सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती में निम्नांकित वर्ग के लोगों को वर्तमान सरकारी नीति के अनुरूप प्राथमिकता देनी है :-

(क) अनुसूचित जाति

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) पिछड़े वर्ग (सूची - (1)

(घ) कार्यरत सैनिक तथा वैसे सैनिक के परिवार जो युद्ध में वीरगति प्राप्ति किये हो ।

(ड) पूर्वी पाकिस्तान एवं वर्मा से आये हुये शरणार्थियों जो 1.1.64 को या उसके बाद भारत आये हैं ।

उपर्युक्त घ एवं ड़ को छोड़कर शेष वर्गों के लोगों के साथ जमीन बन्दोबस्ती करने की शक्ति विभागीय पत्रांक 3881 दिनांक 21/22. 5.54 के द्वारा प्रत्येक अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रदत हो जहां तक वर्ग "घ" का प्रश्न है उसके संबंध में बन्दोबस्ती करने की शक्ति विभागीय पत्रांक 4725 दिनांक 14/16.8.72 के द्वारा जिलाधिकारी की प्रदत है । वर्ग "ड़" के लोगों के साथ पट्टे पर जमीन बन्दोबस्ती करने की शक्ति विभागीय पत्रांक 661 दिनांक 4.2.66 के द्वारा प्रत्येक अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रदत्त हैं ।

अनुसूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग (सूची - 1) के परिवारों के सदस्यों के साथ देहाती क्षेत्र में आवासीय प्रयोजन हेतु 12.5 डी० तक जमीन की बन्दोवस्ती निःशुल्क की जा सकती है । यह आदेश विभागीय पत्रांक 386 दिनांक 16.1.84 के द्वारा निर्गत किया गया था । इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक 10339 दिनांक 21.11.70 द्वारा देहाती क्षेत्र में उपर्युक्त सुयोग्य के भूमिहीन सदस्यों के साथ खेती के लिए 5 एकड़ से में घटाकर 2 एकड़ जमीन निःशुल्क बन्दोबस्ती करने का आदेश निर्गत किया गया था। सुयोग्य सैनिकों के साथ प्रत्येक जिला पदाधिकारी 2 एकड़ कृषि एवं 12.5 डी० आवास हेतु जमीन बन्दोवस्त करने के लिए सक्षम है । परन्तु ऐसे सैनिक जो कार्यरत रहते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके हैं उनके परिवार के साथ या जो युद्ध में घायल होकर विकलांग या लाचार हो गये हैं उन्हें 5 एकड़ कृषि एवं 12.5 डी० आवास के लिये जमीन बन्दोबस्ती करने की शक्ति जिला पदाधिकारी को प्रदत्त है ।

साधारणतः गैर मजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती किसी के साथ नहीं करना है । परन्तु गैर मजरूआ आम जमीन की प्रकृति बदल गयी है तो वैसी परिस्थिति में मैं गैरमजरुआ आम जमीन की बन्दोबस्ती के लिये नीति का निर्धारण विभागीय पत्रांक 344 दिनांक 14/15 69 प्रतिलिपि संलग्न) में किया गया है । गैर मजरुआ आम जमीन की बन्दोबस्ती करने के लिये राज्य सरकार ही सक्षम है । अतः आप तदनुसार यदि

स्थानीय पदाधिकारी संतुष्ट हो कि आम जमीन की प्रकृति बदल गयी है तथा जनता के लिए उसकी उपयोगिता नहीं रह गयी है तथा इसे बन्दोबस्त करने में आम जनता को कोई असुविधा नही हो साथ ही ग्राम पंचायत को उसकी बन्दोबस्ती में कोई आपत्ति नहीं हो तो इस तरह की जमीन बन्दोबस्ती करने के लिये स्थानीय पदाधिकारी अनुसंशा राज्य सरकार को भेज सकते हैं ।

यद्यपि गैर सरकारी जमीन का बन्दोबस्ती के संबंध में विस्तृत अनुदेश विभागीय पत्रांक 636 दिनांक 25.2.81 के द्वारा भेजा जा चुका है फिर भी किसी प्रकार की शंका हो तो उसके संबंध में इसी विभागीय पत्रों का हवाला देते हुए सरकार की सुस्पष्ट नीति इस पत्र में अंकित कर दी गयी है ताकि स्थानीय पदाधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकें ।

अधिकारियों के लिये अतिरिक्त प्रतियां संलग्न है ।

विश्वासभाजन

ह०/- शिव कुमार श्रीवास्तव

भूमि सुधार आयुक्त

ज्ञापांक - 8 खा0 म0 (वि0) 7/81 - 12226 रा0, पटना दिनांक 8.5.82

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्ता/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- शिव कुमार श्रीवास्तव

भूमि सुधार आयुक्त

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 5 / खा० म० -4- नीति 1039/80-3531 रा0

प्रेषक,

श्री आर० एन० सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्ता/उपायुक्त/अपर समाहर्ता/
अपर उपायुक्त/अनु0 पदा0

पटना - 15, दिनांक - 24.11.80

विषय :- सरकारी जमीन बंदोबस्ती के संबंध में जमीन का मूल्यांकन ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकारी जमीन की बंदोबस्ती के संबंध में बिहार स्टेट मैनुअल के नियम 171 के अनुसार विधिवत प्रस्ताव भेजते समय चेक स्लीप में जमीन के वर्तमान बाजार दर की सूचना अंकित की जाती है प्राय: यह देखा जाता है कि चेक स्लीप में जो जमीन का मूल्य अंकित किया जाता है उसके औचित्य पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाला जाता है, जिसके फलस्वरुप यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि जमीन का वर्तमान बाजार दर जो अंकित किया जाता हे उसका वास्तविक आधार क्या है । सरकार चाहती हे कि जब कभी भी सरकारी जमीन की बंदोबस्ती का प्रस्ताव भेजा जाय तो निर्धारित चेक स्लीप के कॉलम 8(3) जमीन के मूल्याकन की स्थिति भली भांति स्पष्ट की जाय तथा इसके साथ वह विवरणी भी संलग्न की जाय, जिसमें प्रस्तावित जमीन के आमन्दरदा की हाल में की गई बिक्री का आंकड़ा रहे । यह आंकड़ा निबंधन कार्यालय से प्राप्त कर विवरणी तैयार की जाय । अत: आपसे अनुरोध है कि अब से जो भी जमीन बन्दोबस्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाय उसमें जमीन का मूल्यांकन के संबंध में निबंधन कार्यालय से दो तीन वर्षों के बिक्री दर की अपेक्षित विवरणी अवश्यक रूप से संलग्न की जाय ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- **आर०** एन० सिन्हा
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 3531 रा0, पटना , दिनाक - 24.11.80

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- **आर०** एन० सिन्हा
सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 5 / खा० म० नीति 1811 / 80 - 1655 रा०,

प्रेषक,

श्री आर० एन० सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

उपायुक्त,

गिरिडीह

विषय :- बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अधीन अपली ।

पटना, दिनांक - 9.8.80

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युकत विषयक आपके पत्रांक 2438 गो0 दिनांक 22.7.80 के प्रसंग में मुझे कहना है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (बिहार लोक भूमि (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा यथा संशोधित सहित) 3 दिसम्बर, 1975 तक जिला न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान था । उस अवधि में की गई अपील सुनने का अधिकार अब तक उन्हें प्राप्त है । वे उस अवधि की अपील पर अभी निर्णय देने के लिये सक्षम हैं ।

2- बिहार लोक भूमि (संशोधन) अध्यादेश 1975 राज्यपाल द्वारा 4.12.1975 से प्रख्यापित किया गया जिसमें अपील संबंधी प्रावधान निमन पकार है :-

11/अपली - (1) द्वारा 6, 7 या 8 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध :-

(1) यदि ऐसा आदेश जिला के समाहर्ता से भिन्न किसी पदाधिकारी द्वारा दिया जाय, तो जिला के समाहर्ता या राजपत्र में अधिसूचना के जरिये विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य पदाधिकारी के पास की जा सकेगी,

(2) यदि ऐसा आदेश जिला के समाहर्ता द्वारा दिया जाय तो प्रमंडल के आयुक्त के पास की जा सकेगी ।

2- इस धारा के अधीन कोई अपील अपीलीकृत आदेश के पारित किये जाने के 30 दिनों के भीतर की जायगी,

परन्तु उक्त कालावधि के बाद भी कोइ अपील गृहीत ( ) की जा सकेगी बशर्ते कि अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि इस कालावधि के भीतर अपील नहीं करने के लिये अपीलाथी के पास पर्याप्त कारण था,

नोट - अपील सुनने का समाहर्ताओं का अधिकार अपर समाहर्ताओं सुचना संख्या एस ओ 115 दिनांक 20.1.1978 द्वारा प्रत्यायोजित किया जा चुका है ।

3- उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 4.12.1975 से अपील केवल आयुक्त/समाहर्ता/अपर समाहर्ता के न्यायालय में ही की जा सकती है । इसके प्रतिकूल किये जाने की परिस्थिति में समाहर्ता पारित आदेश को कार्यान्वित करायेंगे ।

4- अनुरोध है कि इससे सारे अधीनस्थ को सूचित करा दें ।

5- कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

ह०/- आर० एन० सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 5 अति (नीति) 2011/80-1655 रा0, पटना दिनांक 9.8.80

प्रतिलिपि उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक 2438 दिनांक 22.7.80 जिसका यह उत्तर है की प्रतिलिपि सहित सभी प्रंडलीय आयुक्त । सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेषित ।

ह०/- आर० एन० सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 5 / खा० म० 2-108/80-1654/ रा०,

प्रेषक,

श्री आर० एन० सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

विषय :- सरकारी आदेश की प्रत्याशा में सरकारी जमीन पर कब्जा दिए जाने के संबंध में ।

पटना, दिनांक - 9.8.80

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि इधर ऐसा देखा जा रहा है कि आयुक्त द्वारा एक ओर बंदोबस्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाता है और दूसरी ओर प्रस्तावित पट्टेदार को जमीन पर सरकारी आदेश की प्रत्याशा में कब्जा देकर उसे जमीन उपयोग करने की अनुमति दे दी जाती है । ऐसी स्थिति में सरकार को मजबूर हो जाना पड़ता है कि बंदोबस्ती की स्वीकृति प्रदान की जाय । यह परिपाटी ठीक नहीं है । ऐसी परम्परा तुरत बन्द की जानी चाहिए ।

2- कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती है, जिनमें लोक हित को ध्यान में रखकर ऐसा करना अनिवार्य हो जाय । इसलिए जहां लोकहित में सरकारी आदेश की प्रत्याशा में जमीन पर कब्जा देना अनिवार्य दीखता हो तो वैसी परिस्थिति में भी सरकार का पूर्व आदेश प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।

3- अतएव अनुरोध है कि भविष्य में इस अनुदेश का पूर्णतः पालन किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- आर० एन० सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 5/खा0 म0 /-2-108/80-1654 रा0, पटना - 15, दिनांक 9.8.80

प्रतिलिपि , सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं तदनुसार कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- आर० एन० सिन्हा

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 5 / खा० म० 1-1032/79 4429 /रा०,

प्रेषक,

श्री अरुण कुमार बसु
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त,</u>
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

विषय :- राज्य के शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में पड़नेवाली खासमहल/सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती हस्तान्तरण आदि के बारे में नीति का निर्धारण ।

पटना, दिनांक - 17.10.79

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि शहरी क्षेत्र में उपलब्ध खास महल की जमीन की बन्दोबस्ती तथा हस्तान्तरण की स्थिति पर विचार करने के दौरान सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि खास महल की जमीन यहां बहुत ही कम बच गया है । इसके अलावे भी जमीन पहले से पट्टे पर बन्दोबस्त है उसमें भी कुछ भाग पट्टे की शर्तों के विपरित रिक्त पड़े हुए हैं । पट्टेदार शर्तों का उल्लंघन कर पट्टे की जमीन ऊंची कीमत पर जहां तहां बेंच भी रहे हैं जबकी बहुत वर्ष पहले करीब-करीब नाममात्र सलामी एवं लगान की अदायगी पर वे उक्त जमीन को सरकार से प्राप्त किये थे । उतना ही नहीं जो सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है उस पर भी लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं और अतिक्रमण करने के बाद ये जमीन की नियमित बन्दोबस्ती का प्रयास कर रहे हैं । ऐसी ही स्थिति राज्य के अन्य शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी जमीन की भी है। ऐसी परिस्थिति में विस्तार पूर्वक सभी पहलूओं पर विचार विमर्श के उपरान्त सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1- राज्य के सभी शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में अवस्थित खासमहल की जमीन का शीघ्र अतिशीघ्र एक सर्वेक्षण कराया जाय जिसमें पट्टे पर दी गई जमीन पट्टे के नवीकरण पट्टेदार द्वारा पूर्ण या आंशिक हस्तान्तरण (हस्तान्तरण के लिए विधिवत अनुमति दी गई थी या बिना अनुमति के हस्तान्तरण किया गया) उपलब्ध रिक्त खासमहल के जमीन पर अतिक्रमण तथा उसे हटाने के लिए की गई कार्रवाई पर पूर्ण प्रकाश मिल सके। यह विवरणी 31.12.79 तक निश्चित रूप से तैयार की जानी चाहिए ।

2- एक अभियान चला कर इस सर्वेक्षण के दौरान इस बात की सुनिश्चित किया जाय कि किन-किन पट्टेधारियों ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है, उल्लंघन कितना गंभीर है तथा कितनी स्वेच्छाकारिता से किया गया है ताकि इनपर सम्यक विचारोपरान्त सरकार यह निर्णय ले सके कि किन-किन पट्टे को, शर्तों के उल्लंघन के लिए समाप्त करते हुए पट्टे की जमीन का स्वामितव सरकार पुनग्रहित कर ले और अन्यान्य ऐसे मामलों में पट्टेदार के विरुद्ध अन्य किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सके ।

3- समीक्षा में विदित हुआ है कि इस समय प्रमुख शहरी तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सरकारी खास महल को जमीन की उपलब्धिता में बहुत कम ही गयी है, जिसके विपरीत लोक हीत के दृष्टिकोण से सरकार को जिला तथा अनुमण्डलीय मुख्यालयों में जमीन की आवश्यकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । इस ख्याल से यह तय पाया कि पट्टे की जमीन के पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण के मालों में 20-25 वर्ष की भांति तरीके से

समाहर्ता/उपायुक्त द्वारा अनुमान नहीं दी जाय । सामान्यत: खासमहल जमीन की बन्दोबस्ती से संबंधित एकरारनामें में समाहर्ता/उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त कर पट्टेदार कोलीजहोल्ड जमीन का पूर्ण या आंशिक हस्तान्तरण करने का आधिकार है । यह दुहराना आवयक नहीं है कि वास्तव में ऐसी जमीन के मालिक सरकारी है और समाहर्ता/उपायुक्त उनके एजेन्ट के रूप में ही उनकी ओर से हस्तान्तरण की अनुमति देते हैं । ऐसी परिस्थिति में पट्टेदारों द्वारा जमीन के इस प्रकार के हस्तान्तरण के आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक मामले में समाहर्ता/उपायुक्त लोक प्रयोजन हेतु संबंधित जमीन की आवश्यकता/औचित्य के बारे में राज्य सरकार के पास प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्रतिवेदन भेजेंगे ताकि राज्य के बृहत्तर परिधि में इस जमीन की लोकहित में अवश्यकता के बारे में सरकार द्वारा सम्यक निर्णय लिया जा सके । जहां लोकहित में पटटे की जमीन के स्वामिव का पुनग्रहण करने का सुझाव रहे वहां यह स्पष्ट उल्लेखित रहना आवश्यक होगा कि किस प्रकार का जनहित सन्निहित है । सारी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त सरकार आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण के लिए प्रस्तावित जमीन का पट्टे की शर्तो के अनुसार हरेक परियोजन में अधिग्रहण करने या हस्तान्तरण की अनुमति देने के संबंध में निर्णय लेगी ओर तदनुसार समाहर्ता/उपायुक्त को आवश्यक अनुदेश देगी ।

4- पट्टे पर दी गई जमीन पट्टे की शर्तों के विपरित अगर रिक्त पड़ी हुई हो तथा उस पर विहित अवधि तक भवन निर्माण आदि नहीं हुआ हो तो पट्टे की शर्तोनुसार पट्टे को रद्द करते हुए उसे लोक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जाय ।

5- खासमहाल की उपलब्ध सीमित जमीन की बन्दोबस्ती आम तौर से व्यक्ति विशेश अथवा निजी संस्थाओं के साथ नहीं जाय, लेकिन उसका सदुपयोग यथासम्भव सरकारी प्रयोजन हेतु अथवा लोक प्रयोजन हेतु किया जाय । साथ ही उसकी बन्दोबस्ती सार्वजनिक संस्थाओं के साथ की जा सकती है परन्तु उन्हें कम से कम जमीन दी जाय । जो जमीन पुनग्रहित की जाये उसका भी सदुपयोग उसी भांति किया जाय ।

6- पटना एवं राज्य के अन्य शहरी एवं अद्धशहरी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध खासमहाल एवं लोक निर्माण विभाग की जमीन के दृष्टिकोण रखते हुए अब जो भी सरकारी भवन या सार्वजनिक संस्था आदि को भवन निर्माण हेतु जमीन दी जाय । उसमें कम से कम जमीन यह कहते हुए उपलब्ध करायी जाय कि ये एक मंजिला भवन नहीं बनाकर बहुमंजिला मकान बनाये ताकि उसमें कई कार्यालायों तथा संस्थाओं को स्थान उपलब्ध हो सके ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- अरुण कुमार वसु
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - 4429 रा०, पटना, दिनांक - 17.10.79

प्रतिलिपि मंत्रिमंडल सचिवालय/नागरिक विकास विभाग/वित्त विभाग लोक निर्माण विभाग/सभी अपर समाहर्ता (नाम से) को सूचनार्थ प्रेषित ।

2- लोक निर्माण विभाग/से अनुरोध है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय ज्ञापांक :- 1937 रा0 दिनांक 26.5.79 की कंडिका (6) एवं (7) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

ह०/- अरुण कुमार वसु
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या :- 5 / खा० म० नीति - 01-1058 / 79 1607 रा०,

प्रेषक,

श्री अरुण कुमार वसु

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्ता (नाम से)/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 30 मार्च 1979 ई०

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग (सूची - 1) के सदस्यों के साथ शहरी क्षेत्र में खास महाल की जमीन को बन्दोबस्ती में रियायती ।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय अनुदेश सं0 ए0 जी0 एल0 0412-54-1098 आर0 टी0 दिनांक 8.8.1955 (भू- बन्दोबस्ती कम्पेडियम के पृष्ठ 85 पर पुनस्पादित) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि उक्त अनुदेश में यह उल्लेखित है कि खास महाल या निहित जमींदारी में पड़नेवाली बंजर भूमि को बन्दोबस्ती, आवास निर्माण तथा कृषि कार्य के लिये करने में अनुसूचितजाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग सूची - 1 के संदस्यों से कोई सलामी नहीं ली जायेगी । परन्तु उक्त आदेश में यह स्पष्ट नहीं दिया गया था कि वह अनुदेश देहाती क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों के लिये लागू है या नहीं यद्यपि उसकी द्वितीय कंडिका से एवं कम्पेडियम के खंड (खंड-3) के पंजी से आभास मिलता है कि शहरी क्षेत्र के लिये अभिप्रेत नहीं था । फिर भी सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार कर यह निर्णय किया है कि राज्य के शहरी क्षेत्र की जमीन जिसमें अर्द्धशहरी नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्रों में पड़नेवाली खासमहाल तथा निहित जमींदारी की जमीन समझी जायेगी, का बन्दोबस्ती में किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाय अर्थात इन क्षेत्रों में पड़नेवाली सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती में नियमानुसार प्रचलित बाजार दर से जमीन की पूरी कीमत के बराबर सलामी एवं व्यवसायिक प्रयोजन के लिये सलामी का पांच प्रतिशत अन्यथा दो प्रतिशत वार्षिक लगान के रूप में लिया जायेगा ।

2- कृपया सरकार को इस सैद्धांतिक नीति से अपने अपर समाहर्ता एवं अधीनस्थ सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी को अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- अरूण कुमार वसु

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 1607 रा0 पटना दिनांक 30.3.79

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार को मुख्य मंत्री सचिवालय को सूचनार्थ प्रेशित

ह०/- अरूण कुमार वसु

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।
पत्र संख्या :- 5 / खा० म० अति० - 1011/79 - 1139 रा०,

प्रेषक,

श्री अरुण कुमार वसु,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्ता (नाम से)
सभी उपायुक्त

विषय :- सरकारी जमीन पर देव स्थान, महावीर स्थान तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के संबंध में दिनांक 23.1.1979 की हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दिये गये महत्वपूर्ण निदेश

पटना, दिनांक 3 मार्च 1979 ई०

महोदय,

निदेशानुसार विभागीय पत्रांक - 5 खा0 म0 - अति (नीति) 1018 / 79-709 रा0 दिनांक 3.2.79 के क्रम में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 23.1.79 का निदेश उद्धृत करते हुए अनुरोध है कि कृपया इस महत्वपूर्ण सरकारी सिद्धांत को प्रत्येक स्तर पर अक्षरसः अनुसरण एवं अनुपालन किया जाय ।

1- मंत्रिपरिषद में यह सूचना दी गई कि खड़गपुर में सरकारी भूमि पर ठीकेदारों तथा अभियंताओं के सहयोग से एक ललितेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई है । अधरा ठाढ़ी झंझारपुर प्रखंड में भी ऐसा ही हुआ है । इस संबंध में मुख्य मंत्री ने निदेश दिया कि संबंधित विभाग तथा जिला पदाधिकारी से इस संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन मांग कर समुचित कार्रवाई की जाय ।

2- जमीन पर मूर्ति या देव स्थान के नाम पर या किसी अन्य नाम पर अवक्रमण नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी स्थानीय पदाधिकारियों पर रहे और वे इस प्रवृति को रोक-थाम की व्यवस्था करें ।

2- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- अरुण कुमार वसु
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - 5 / खा0 म0 - अति (नीति) 1011/79-1139 रा0, पटना दिनांक 3.3.79

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/लोक कार्य आयुक्त (नाम से) को विभागीय ज्ञापांक - 709 रा0 दिनांक 3.2.79 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- अरुण कुमार वसु
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - 5 / खा0 म0 - अति (नीति) 1011/79-1139 रा0, पटना दिनांक 3.3.79

प्रतिलिपि, उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 443 दिनांक 2.2.79 के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/- अरुण कुमार वसु
सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या :- 5 - खा० म० नीति 1021 / 78 2116 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूलचन्द सिंह

सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता, मुंगेर ।

पटना 15 दिनांक, 14.6.78

विषय :- **पट्टे की शर्त संख्या -2 का उल्लंघन कर बिना समाहर्ता की अनुमति प्राप्त किये कलकत्ता निबंधन से पट्टाधारियों द्वारा खास महाल भूमि के हस्तांतरण किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5885 रा दिनांक 3.10.77 के प्रसंग में निदेशानुसर मुझे कहना है कि पट्टे की शर्त संख्या - 10 के अनुसार किसी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर प्रश्नगत जमीन के पट्टे को रद्द कर जमीन सरकारी कब्जे में ले लिये जाने का स्पष्ट निर्देश है। जिन पट्टेदारों ने शर्त सं० 02 का उल्लंघन कर बिना समाहर्ता की अनुमति के जमीन का हस्तान्तरण किसी प्रकार कर दिया है वे उल्लंघन के दोषी है । ऐसे पट्टेदारों के पट्टों की शर्त सं0 10 के अनुसार रद कर जमीन सरकारी कब्जे में ले ली जानी चाहिए ।

2- उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में सरकार चाहती है कि पट्टे से संबंधित प्रत्येक मामले की जांच करवाई जाय और जिन-जिन मामलों में पट्टी की शर्तों का उल्लंघन किये गये हैं उनमें जमीन पुनर्ग्रहीत करने की दिशा में कार्रवाई प्रारम्भ की जानी चाहिए । भविष्य में भी ऐसे मामले में ऐसी ही कार्रवाई की जा सकती है ।

3- इस निर्णय का सम्यक प्रचार स्थानीय स्तर पर आप करा सकते हैं ।

विश्वासभाजन

(फूलचन्द सिंह)

सचिव ।

ज्ञापांक :- 2116 रा०, पटना-15 दिनांक 14.6.78

प्रतिलिपि समाहर्ता, मुंगेर के पत्रांक 5850 रा दि० 2.10.77 तथा सरकारी पत्रांक 1149 रा0 दिनांक 16.3.78 की प्रतिलिपि सहित सभीप्रमण्डलीय आयुक्त सभी समाहर्ता को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(फूलचन्द सिंह)

सचिव ।

पत्रांक 5850

प्रेषक,

श्री अमीक घोष,
समाहर्ता, मुंगेर ।

सेवा में,

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ।

दिनांक, 3 अक्टूबर 77

विषय :- बिना समाहर्ता की अनुमति से मुंगेर टाउन खास महाल तौजी नं० 1333 की भूमि का कलकत्ता निवंधन द्वारा हस्तान्तरण को रोकने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपसे मुंगेर में हुई दिनांक 10.9.77 के वार्ता के प्रसंग में मुझे सूचित करना है कि प्रसंगाधीन मामलों का निबंधन अस्वीकार करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 556 रा० दिनांक 20.1.69 द्वारा रजिस्टार ऑफ एश्योरेन्स पश्चिम बंगाल से अनुरोध किया गया था । रजिस्टार ऑफ एश्योरेन्स कलकत्ता पश्चिमी बंगाल ने अपने पत्रांक 793 दिनांक 16.3.73 द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न) यह सूचित किया है कि वे बिना अपने (पश्चिमी बंगाल) सरकार के आदेश के मुंगेर टाउन खास महाल से संबंधित निबंधन हेतु प्रस्तुत किये गये मामले को अस्वीकार करने में असमर्थ हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि मुंगेर टाउन खास महाल की भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 2 का उल्लंघन कर बिना समाहर्ता की अनुमति प्राप्त किये हस्तान्तरण एक बड़ी संख्या में कराया गया है जिसके फलस्वरुप स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क के रूप में बिहार राज्य के राजस्व की एक बड़ी राशि की हानि हुई है । यह क्रम अभीभी जारी है तथा भविष्य में और भी वैसे मामलों के बढ़ने की संभावनायें हैं । अतएव आपसे अनुरोध है कि ऐसे हस्तान्तरण को रोकने हेतु कृपया राज्य स्तर से पश्चिमी बंगाल सरकार से अनुरोध करने की कृपा की जाय कि बिना समाहर्ता की अनुमति प्राप्त किये निबंधन के मामलों को वे स्वीकार नहीं करें अथवा कोई अन्य अवरोधक प्रक्रिया अपनाने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/- अमीक घोष
समाहर्त्ता, मुंगेर ।

No. 5/Policy- 1059 /77 - 1149 R
Government of Bihar,
Revenue & Land Reforms Department

From,

Shri P. C. Singh.
Secretary to Govt. of Bihar,
Revenue & Land Reforms Department.

To,

The Secretary to the Govt. of West Bengal,
Revenue & Registration Department, Calcutta.

Patna - 15, the 15th/16th March, 1978

Sub : Registration by the Registrar of Assurances, Calcutta of Khas Mahal Land transferred by the lessees of Bihar in violation of terms of lease.

Sir,

I am directed to say that Khas Mahal Land of the State Government is let out to lessees on certain terms and conditions for a definite period. The lessees, in violation of the terms and conditions of the lease of - ten try to seel or transfer away their right to another person on handsome considerations. Registration of such transactions without the prior permission of the District Officers or State Government are not allowed in Bihar. Therefore, in order to defeat the terms and. conditions of the lease, same of the lessess sell but the lease held land to other persons and get the document registered in Calcutta.

2. The matter was referred to the Registrar of Assurances, Calcutta by the collector, monghyr in his letter No. 556 dated 21.1.69 requesting there in not to register such transactions. The Registrar of Assurances, Calcutta has expressed his inability to entertain the request of the Collector unless specific instructions are issued to him by the West Bengal Govt.

3. In view of above, I shall be grateful if you could kindly direct the Registrar of Assurances not to entertain such documents for registration. 4 copy of the instructions issued may kindly be endorsed to us for needful. An early section will be kindly appreciated.

Yours faithfully

Sd/- P. C. Singh
Secretary to Govt.

ज्ञापांक :- 5- खा०म०-पी०- 1059/77-1149 भू० सु०, पटना - 15, दिनांक 15.3.78

प्रतिलिपि समाहर्ता, मुंगेर को उनके पत्रांक 5850 दिनांक - 30.10.77 के प्रसंग में प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय पत्रांक - 556 दिनांक 21.1.69 क एक प्रतिलिपि सरकार को शीघ्र भेजने की कृपा करें।

ह०/- फूलचन्दसिंह
सचिव ।

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पत्र संख्या :- 5 - खा० म० नीति 1017 / 77-1461 रा०

प्रेषक,

श्री फूलचन्द सिंह
सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
दरभंगा ।

पटना, दिनांक 14.4.78

विषय :- राज्य के शहरी एवं देहाती क्षेत्रों की सड़कों एवं अन्य सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने पत्रांक 446 दिनांक 7.4.77 का निदेश ।

2- बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमणकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर समाहर्ता द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अतिक्रमित भूमि पर खड़ी फसलों या सभी प्रकार की विद्यमान संरचनाएं समपहृत कर ली जा सकती है तथा अतिक्रमणकारी को धारा - 9 (2) के अन्तर्गत कारावास या जुर्माना या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है आपकी इस जिज्ञासा कि उक्त समपहृत अथवा दण्ड देने की कार्यवाही कैसे और किस स्तर से की जायेगी, के संबंध में सरकार ने अपने विधि सलाहकारो की राय ली है । आपके लोक अभियोजक का परामर्श कि समाहर्ता के आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में या तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समाहर्ता को अभियुक्त पत्र देना होगा या स्थानीय पुलिस थाना में केस दर्ज करना होगा, उचित ही प्रतीत होता है । मुकदमा हो जाने के बाद समाहर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका मुस्तैदी के साथ अनुसरण होता है ।

3- इसके अलावा अतिक्रमण को शीघ्रता से हटाने में बिहार लोक अतिक्रमण अध्यादेश की धारा - 7 और भी कारगर हो सकती है । समाहर्ता इसी धारा के उपबंधों के अधीन अतिक्रमण हटाने में स्वयं सक्षम है । यदि समाहर्ता इस धारा के अधीन कार्रवाई मुस्तैदी से करें तो अतिक्रमण न केवल शीघ्र हटाये जा सकते बल्कि और अतिक्रमण भी नहीं होंगे ।

4- जबतक अतिक्रमित भूमि पर खड़ी/फसल आदि के समपहृत करने का प्रक्रिया का प्रश्न है, यह कार्रवाई स्वयं समाहर्ता को करनी है जिनके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है ।

5- आपका यह सुझाव कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अध्यादेश की धारा 6(2) के अधीन दंडित करने की कार्यवाही न्यायपालिका में न होकर अनुपालन पदाधिकारी अथवा किसी अन्य कार्यपालक पदाधिकारी के न्यायालय में हो, वर्तमान कानून उपबन्धों के आलोक में मान्य नहीं प्रतीत होता ।

6- अतः निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि उपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कारगर कार्रवाई कर लोक भूमि पर से अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटाने की दिशा में कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- फूलचन्दसिंह
सचिव ।

ज्ञापांक :- 1461 रा०, पटना - 15, दिनांक 14.4.78
प्रतिलिपि समाहर्ता, दरभंगा के पत्र की प्रतिलिपि के साथ सभी समाहर्ता को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- फूलचन्दसिंह
सचिव ।

ज्ञापांक :- 1461 रा०, पटना - 15, दिनांक 14.4.78
प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- फूलचन्दसिंह
सचिव ।

पत्र संख्या :- 5/ खा० म० नीति 1055 / 77 2641 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० पी० केशव,

सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,

सीतामढ़ी

पटना 15 दिनांक 7.10.1977 ई० ।

विषय :- **गैर मजरूआ आम एवं खास जमीन बन्दोबस्ती के सम्बन्धी में राजस्व विभागीय निदेश भेजने के सम्बन्ध में भूमिहीनों के साथ की गयी सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती की बिक्री एवं अन्य प्रकार के हस्तान्तरण पर रोक लगाना ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1670 जि० भू० स० दिनांक 2.9.71 के प्रसंग में मुझे कहना है कि किसी भी भूमिहीन चाहे वह सैनिक हो या प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति के साथ सरकार द्वारा बन्दोबस्त की गई किसी प्रकार की सरकारी जमीन को बेचने या हस्तान्तरण करने का अधिकार बन्दोबस्तदार को प्राप्त नहीं है । वे केवल उस जमीन का निजी उपयोग ही कर सकते हैं इस आशय का अनुदेश सरकारी परिपत्र संख्या 1339 रा० दिनांक 24, 27 मई 1974 द्वारा पहले ही निर्गत किये जा चुकी है । परिपत्र की एक प्रतिलिपि पुनः संलग्न है ।

2- कृपया पत्र को प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

ह०/- एस० पी० केशव

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक - 2641 रा० पटना 15, दिनांक 7.10.1977 ई०

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- एस० पी० केशव

सरकार के अवर सचिव ।

पत्र संख्या :- 5/ खा० म० नीति 1052/75 - 2457 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री मोहिन्दर सिंह,
सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता ।

पटना 15 दिनांक 30.7.76

विषय :- कब्रिस्तानों का संरक्षण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि केन्द्रीय वक्फ पर्षद ने अपने पत्रांक - एफ 1(14) 74 सी० डब्लू० सी० दिनांक 24.6.76 (प्रतिलिपि संलग्न) से बिहार सरकार को सूचित किया है कि राज्य में कब्रिस्तानों की परती जमीन समझा जा रहा है और उसे भूमिहीनों में पंचायतों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा बांटा जा रहा है । इससे उन्हें दुख है इसलिये उनकी इच्छा है कि सारे कब्रिस्तानों को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाय । यहां तक कि ऐसे कब्रिस्तान जिनमें अभी कब्र नहीं है उन्हें भी सुरक्षित रखा जाय ।

2- स्वयं आप अवगत है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अधीन वे सारी जमीन जिनपर किसी समुदाय का सामूहिक अधिकार है जो रास्ते, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान श्मशान घाट आदि लोक भूमि के अन्तर्गत आते हैं । इस लिये जहां कहीं इन स्थान का अतिक्रमण हुआ हो, उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दूर करना सरकार का कर्तव्य है । इस संबंध में सरकारी परिपत्र संख्या 1065 दिनांक 16.4.76 पहले भी आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं ।

3- अतएव आपसे अनुरोध है कि यह देखें कि कब्रिस्तान की जमीन भूमिहीनों के बीच न बांटी जाय और न उसपर किसी का अतिक्रमण हो ।

4- कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

ह०/- मोहिन्दर सिंह
सचिव

ज्ञापांक - 2457 रा० पटना, दिनांक 30.7.76

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सभी समाहर्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/- मोहिन्दर सिंह
सचिव

ज्ञापांक - 2457 रा० पटना, दिनांक 30.7.76

प्रतिलिपि सेन्ट्रल वक्फ कान्सिल सी- 1 निजामुद्दीन (पश्चिमी) नई दिल्ली - 13 को उनके पत्रांक - एफ- 1 (14) 74 सी० डब्ल्यू० सी० दिनांक 24.6.76 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित

ह०/- मोहिन्दर सिंह
सचिव

पत्र संख्या :- 5/ वि० प० प्र० - 2/76-1065

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री मोहिन्दर सिंह,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता।

पटना, दिनांक 16.4.76

विषय :- श्री राम सुन्दर दास, स० वि० प० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्नांक आर- 23 कब्रिस्तान का संरक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि गत सत्र में उपरोक्त प्रश्न द्वारा आरोप लगाया गया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों के कब्रिस्तान की जमीन स्थानीय पदाधिकारियों के सांठ-गांठ से अन्य व्यक्तियों द्वारा नाजायज ढंग से कब्जा कर ली गई है।

2- सरकार की यह नीति रही है कि श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान जैसे सार्वजनिक महत्व के स्थान को अतिक्रमण से पूर्णतः अछूता रखा जाय। अतः सरकार ने उक्त नीति को मद्देनजर रखते हुए पुनः निर्णय लिया है कि कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट जैसे सार्वजनिक महत्व के जमीन को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाय। अगर कहीं भी ऐसी जमीन पर अवलंबन हुआ हो तो वैसे अवलंबन को अविलम्ब हटावा दिया जाय एवं अतिक्रमण कर्त्ता के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाय।

3- आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिका -2 में उल्लिखित सरकारी निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत करा दें तथा उन्हें यह निदेश दें कि भविष्य में कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट की जमीन का अतिक्रमण न होने पाये और अगर कहीं अतिक्रमण की घटना घटती है तो वैसी स्थिति में न केवल अतिक्रमण को खाली कराया जाय बल्कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाय।

4- संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को यह भी चेतावनी दे दी जाय कि अतिक्रमण के मामले में ढिलाई बरतने अथवा इस संदर्भ मे निर्गत सरकारी अनुदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन

ह०/- मोहिन्दर सिंह

सरकार के सचिव

Telephone No. : 619981

No. F. 1(14) / 4 C.W.C.

CENTRAL WAKF COUNCIL

C-I Nizamuddin (West)

* * *

New Delhi - 13, the 24th June, 1976

To,

The Chief Secretary,

Government of Bihar, Patna.

Sir,

The Central Wakf Council discussed in its last meeting held on 3rd and 4th April, 1976 the question of grave-yards being treated as "Part" (uncultivated) Land and being resumed and distributed to land less persons for cultivation by the Gaon Panchayats and other Officials agencies. The council felt greatly agitated as this process would eventually leave no space for the burial of the ded bodies of the Muslims. The land included in grageyard, but not yet occupied by graves should not be recorded/treated as uncultivated land and should be preserved for future burials. I shall be grateful if you will kindly have suitable orders issued on the subject to all collectors and Thasildars to ensure that such land not resumed and village records were correctly maintained.

Yours faithfully,

Sd/- Abdul Qayum

Secretary

पत्र संख्या :- 4/ खा० म० नीति 1018/75 1943 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री मोहिन्दर सिंह,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता
सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक 15.6.76

विषय :- ग्रामीण क्षेत्रों मे प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों के भवन निर्माण के लिये सरकारी जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि सरकार की सूचना मिली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों को जमीन उपलब्ध न रहने के कारण स्कूल भवन के निर्माण में स्कूल के पंबंधकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । फलत: वैसे स्कूल ग्राम के किसी व्यक्ति की झोपड़ी में या दरवाजे पर चलाए जाते हैं । यह व्यवस्था किसी भी रूप में वांछनीय नहीं है । अत: सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कलों को कम से कम 10 डिसमिल तथा मध्य स्कूलों को कम से कम 25 डिसमिल गैर मजरूआ खास जमीन जो स्कूल के लिये उपयुक्त हो, नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाय ।

2- यदि किसी क्षेत्र में गैर मजरूआ खास उपर्युक्त जमीन उपलब्ध न हो तो गैर मजरूआ आम ऐसी जमीन जिसकी प्रकृति बदल चुका हो और वह आम उपयोग के लायक न रह गई हो, नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा सकती है । ऐसी स्थिति में सरकारी परिपत्र संख्या 344 दिनांक 15.1.1969 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित अनुदेशों का पूर्णत: पालन किया जाना अनिवार्य है ।

3- साधारणत: स्कूलों की दी जानी वाली जमीन शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की जाती है इसलिये जिला शिक्षा पदाधिकारी से उनकी अनुशंसा के साथ जैसे ही बन्दोबस्ती का प्रस्ताव प्राप्त हो, सारी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करते हुए बन्दोबस्ती का प्रर्स्ताव, शिक्षा विभाग को सूचित करते हुए सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को यथाशीध्र अग्रसारित किया जाना चाहिये ।

4- इसको प्रतिलिपि शिक्षा विभाग को भी भेजी जा रही है ।

5- कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

मोहिन्दर सिंह
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 5 / खा० म० नीति 1018/75 1943 रा०, पटना, दिनांक 15.6.76

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित शिक्षा विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

मोहिन्दर सिंह
सरकार के सचिव ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित ।

पत्र संख्या :-4/ खा० म० नीति 4-2024 / 74 1334 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० आर० अडिगे
सरकार के सचिव ।
बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी समाहर्त्ता
सभी अपर समाहर्त्ता

पटना -15, दिनांक 25.5.74 ।

विषय :- भवन पट्टे पर दी गयी खासमहाल होल्डिंग उस पर बने भवन सहित, के हस्तान्तरण पर पट्टेदार द्वारा भूमि का मूल्य लिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 3204 दिनांक 23.8.73 के कंडिका - 2 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना है जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को पट्टे की जमीन हस्तान्तरित की जाएगी वह पट्टे की अवधि तक सरकार का पट्टेदार रहेगा और पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद सरकारी नियम के मुताबिक पट्टे का नवीकरण कराना होगा ।

2- इस प्रसंग में कुछ स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा पृच्छा की गयी है कि केवाला द्वारा हस्तान्तरण और दानपत्र द्वारा हस्तान्तरण में कोई विभेद माना जाएगा अथवा नहीं ।

3- इस पर विधि विभाग की राय प्राप्त की गयी है और सरकार को स्पष्ट करना है कि केवाला द्वारा हस्तान्तरण और दानपत्र द्वारा हस्तान्तरण में कोई विभेद करने की आवश्यकता नहीं है ।

4- अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त स्थिति की जानकारी अपने अधिनस्थ सभी राजस्व पदाधिकारियों को कृपया करा दें ।

विश्वासभाजन

(एस० आर० अडिगे)
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या :- 4/ खा० म० नीति 1017/73 - 2186 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री ब्रजनन्दन सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी अपर समाहर्त्ता

पटना -15 दिनांक 9 मई 1973 ई० ।

विषय :- आपतकालीन कृषि उत्पादन प्रोग्राम अन्तर्गत नलकूपों को बिजली की शक्ति तत्काल उपलब्ध करने के लिये प्रखंड मुख्यालय की जमीन में से 0.33 एकड़ जमीन बिहार राज्य विद्युत पर्षद को 33/11 किलो वाट का सब-स्टेशन बनाने के लिये देना।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य में आपतकालीन कृषि उत्पादन प्रोग्राम के अन्तर्गत उत्तर एवं दक्षिण बिहार में पढ़ने वाले नलकूपों को तत्काल बिजली को शक्ति उपलब्ध करने के लिये बिहार राज्य विद्युत पर्षद को संलग्न सूची में वर्णित स्थानों में 33/11 किलोवाट का सब स्टेशन शीघ्र स्थापित करना है । इसके निमित्त प्रत्येक सब-स्टेशन के लिये उन्हें 0-33 एकड़ जमीन की आवश्यकता है । चूंकि उतनी जगहों में तत्काल जमीन उपलब्ध होना संभव नही है, अत: राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि जिन-जिन स्थानों में विद्युत पर्षद को सब-स्टेशन का निर्माण करना है वहां के बीज गुणन फार्म की जमीन सेस तथा इनके अभाव में प्रखंड मुख्यालय की जमीन में से 0-33 एकड़ जमीन अगर उपलब्ध हो तो, विद्युत पर्षद को जमीन हस्तान्तरण के सरकारी औपचारिक आदेश की प्रत्याशा में शीघ्र दे दी जाय, ताकि कृषि उत्पादन के कार्य में कोई रुकावट नही होने पाये । जिस उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर सब-स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है उसे ध्यान में रखते हुये सब-स्टेशन का निर्माण बीज गुणन फार्म में ही, करना अधिक लाभप्रद होगा। जमीन यदि प्रखंड मुख्यालय में ही देना हो तो उसके पीछे एक कोने में ही दिया जाए ताकि प्रखंड भवनों का रुख विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के कारण खराब न हो जाय ।

2- उपर्युक्त वर्णित तरीके से जमीन देने के बाद उक्त जमीन को विधिवत पट्टे पर विद्युत पर्षद को देने के निमित एक प्रस्ताव गर्वनमेन्ट स्टेट मैनुअल के नियम 1971 के मोताविक इस विभाग को शीघ्र भेज दें । प्रस्ताव के साथ निर्धारित चेक स्लीप में समस्त सूचनाएं एवं जमीन का नक्शा भी कृपया भेज देंगे । इस संबंध में यह स्मरण रहे कि विद्युत पर्षद को सरकारी जमीन उसके चालू बाजार मूल्य के बराबर सलामी एवं सलामी का 1/20 वां भाग वार्षिक लगान लेकर 30 वर्षों के पट्टा पर नवीकरण के विकल्प के साथ दी जाती है ।

3- राज्य विद्युत पर्षद ने उपर्युक्त वर्णित तरीके से जमीन हासिल करने एवं पट्टे पर लेने में अपनी सहमति दे दी है । सामूदायिक बिकास एवं पंचायत विभाग/वित्त विभाग भी इस व्यवस्था में सहमत है ।

4- इस पत्र की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार एवं अन्य सभी संबंधित विभागों को दी जा रही है ।

5- कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन

ह०/- ब्रजनन्दन सिंह
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 4 खा0 म0 नीति - 1017/73 - 2186 रा०, पटना - 15, दिनांक 9 मई 1973 ई० ।

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- ब्रजनन्दन सिंह

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 4 खा0 म0 नीति - 1017/73 - 2186 रा०, पटना - 15, दिनांक 9 मई 1973 ई० ।

प्रतिलिपि उपर्युक्त ज्ञाप की प्रति के साथ वित्त विभाग/सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग/सचिव, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- ब्रजनन्दन सिंह

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 4 खा0 म0 नीति - 1017/73 - 2186 रा०, पटना - 15, दिनांक 9 मई 1973 ई० ।

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार पटना/ विद्युत विभाग/निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग, बिहार पटना/जल अभियन्ता, राजकीय नलकूप, पाटलीपुत्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- ब्रजनन्दन सिंह

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 4/ खा० म० नीति 101/72 - 4725 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री उदय नारायण राय,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त सभी समाहर्त्ता ।

पटना -15, दिनांक 14/16 अगस्त 1972 ।

विषय :- सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि भारतीय सेना में अधिक-से-अधिक लोग भर्ती हों इसके निमित राज्य सरकार ने अपने पत्रांक ए०/जी० एम०-1-0-1/63-1946-आर, दिनांक 23 मार्च, 1963 में यह निर्णय लिया कि 5 (पांच) एकड़ जमीन कृषि कार्य के लिए तथा 12.5 डिसमील जमीन आवास के लिये प्रत्येक सैनिक :-

(क) जो कम-से-कम 6 महीनों तक लगातार सैनिक सेवा कर चुके हों और उक्त सेवा में बरकरार हों, तथा

(ख) जो कार्यरत रहते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके हों या अपाहिज हो चुके हो उनके परिवार के साथ सलामी एवं 5 वर्षों तक वार्षिक लगान बिना लिए ही बन्दोबस्त की जाय । सैनिकों के साथ जमीन बन्दोबस्त करने की शक्ति जिला के समाहर्ता को राजस्व विभागीय पत्रांक ए0 जी0 एम0 1/64-1551 आर, दिनांक 24 फरवरी 1964 द्वारा प्रदत्त की गई । बाद में राजस्व विभागीय पत्रांक 8978 - आर, दिनांक 20 दिसम्बर 1968 द्वारा यह स्पष्टीकरण भेजा गया कि सैनिकों को केवल देहाती क्षेत्रों में ही जमीन दी जायेगी ।

2- उपर्युक्त वर्णित सरकारी अनुदेशों के संबंध में विभिन्न जिलाधिकारियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे जाने लगे । अतः सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती संबंधी सरकारी नीति के प्रत्येक पहलू पर पुनर्विचार कर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किया है :-

(क) जिन सैनिकों की सेवाएं आर्म फोर्स ऐक्ट के अन्तर्गत आती है और जो कम-से-कम 6 महीने तक लगातार आर्म फोर्स ऐक्ट के अन्तर्गत सेवा कर चुके हैं तथा अभी कार्यरत हैं उन्हें 2 (दो) एकड़ जमीन कृषि कार्य एवं 12$\frac{1}{2}$ डिसमील जमीन आवास के लिए दी जाय ।

(ख) जो सैनिक कार्यरत रहते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं उनके परिवार के साथ या युद्ध में घायल होकर विकलांग हो गये हों उनके साथ 5 (पांच) एकड़ कृषिकार्य एवं 12$\frac{1}{2}$ डिसमील आवास के लिए बन्दोबस्त की जाय ।

(ग) बोर्डर सिक्यूरिटी फोर्स, बी0 एम0 पी0, टेरिटोरियल आर्मी, सेन्ट्रल रिजर्व फोर्स, बोर्डर स्काउट्स, बी0 आस0 एफ0, लोक सहायक सेवा, एन0 सी0 सी0 होम गार्ड्स और आसाम राइफल (किन्तु अन्य आरक्षी दल नहीं) के जवानों की सेवाएं युद्धकाल में महत्वपूर्ण होती है अतः इन्हें भी अन्य सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग सूची - 1 वर्मा एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी) के व्यक्तियों की भांति 2 (दो) एकड़ जमीन कृषि कार्य के लिए तथा 12$\frac{1}{2}$ डिसमील जमीन आवास निर्माण के लिए दी जाए बशर्ते कि -

(1) सेलर्स, सोलजर्स एवं एअर मेन बोर्ड द्वारा उनका आवेदन-पत्र अनुशंसित हो, तथा

(2) कम-से-कम 6 महीनों तक लगातार संतोषजनक सेवा कर चुके हों (इस संबंध में सेलर्स, सोलजर्स एवं एअर मेन बोर्ड प्रमाण-पत्र देगा) ।

(3) परन्तु ऐसे सैनिकों में जो कार्यरत रहते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके हैं उनके परिवार के साथ या जो युद्ध में घायल होकर विकलांग या लाचार हो गये हों उनके साथ 5(पांच) एकड़ कृषि कार्य एवं 12 1/2 डिसमील जमीन आवास के लिए बन्दोबस्त की जाय ।

(घ) सेवा से निवृत सैनिकों को भी उसी तरह जमीन दी जाय जिस प्रकार अन्य सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को सरकारी जमीन कृषि कार्य एवं आवास निर्माण के लिए दी जाती है अर्थात् कृषि कार्य के लिये 2 (दो) एकड़ तथा आवास के लिए 12 1/2 डिसमील बशर्ते कि-

(1) सैनिक सेवा में रहते हुए ही जमीन की बन्दोबस्ती के लिए आवेदनपत्र दिये हों तथा

(2) आवेदक भूमिहीन हों, अर्थात् वास की जमीन को मिलाकर 50 डिस्मील से अधिक जमीन उन्हें नहीं हो,

(ङ) कृषि कार्य एवं आवास के लिए जो भी जमीन उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकार के सैनिकों को दी जाएगी वह राज्य के देहाती क्षेत्रों में ही केवल दी जायेगी ।

(च) पूर्व निर्णय के अनुसार जमीन की बन्दोवस्ती बिना सलामी के की जायेगी जहां तक वार्षिक लगान की बात है जो सैनिक आर्म फोर्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्य करते हैं उनसे 5 (पांच) वर्षों तक वार्षिक लगान नहीं लिया जाय बशर्ते कि बन्दोबस्ती की तिथि से अगले 5 (पांच) वर्षों तक वे सैनिक सेवा में बरकरार रहें। अगर ऐसे सैनिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर गये हों या युद्ध में घायल अथवा अपाहिज होकर सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिए हों तो उनके परिवार से बन्दोबस्ती की तिथि से अगले 5 (पांच) वर्षों तक कोई वार्षिक लगान नहीं लिया जायेगा। परन्तु जो सैनिक अन्य कारणों से सैनिक सेवा से हटा लिये गये हों या स्वत: सेवा पूरा करके अवकाश प्राप्त कर लिये हों उन्हें सैनिक सेवा से हटने की तिथि से वार्षिक लगान देना होगा। उपर्युक्त कण्डिका (ग) और (घ) में वर्णित सैनिकों की बन्दोबस्ती की तिथि से ही वार्षिक लगान देना होगा।

(छ) उपर्युक्त वर्णित तरीके से जमीन बन्दोवस्ती करने के पहले यह अवश्य देख लिया जाय कि आवेदक सैनिक बिहार राज्य के वाशिन्दे हैं और उनके पास अपनी जमीन है या नहीं। अगर उनके पास थोड़ी जमीन पायी जाय तो उतनी ही जमीन की बन्दोबस्ती की जाय ताकि कुल जमीन उपर्युक्त कण्डिकाओं में निर्धारित अधिसीमा से अधिक न हो। जो भी जमीन सैनिकों के साथ बन्दोबस्त की जाय वह सब प्रकार से विवादमुक्त होनी चाहिये। अगर कोई आवेदक सैनिक स्वयं किसी जमीन की बन्दोबस्ती का आवेदन करें तो स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा उक्त जमीन की पूरी जांच-पड़ताल करा ली जाय और जब वह जमीन सब प्रकार से विवादमुक्त पायी जाय तभी उसकी बन्दोबस्ती उस आवेदक सैनिक के साथ की जाय।

3- सैनिकों के साथ जमीन बन्दोबस्त करने की शक्ति पूर्ववत जिला के समाहर्त्ता को ही रहेगी। अपनी शक्ति के प्रयोग में जिला के समाहर्त्ता देहाती क्षेत्रों के गैरमजरूआ मालिक या खास जमीन की ही बन्दोबस्ती करेंगे। गैरमजरूआ आम जमीन अगर उसकी प्रकृति बदल गयी है और स्थानीय आम जनता को उसकी बन्दोबस्ती में कोई आपति नहीं है (आप इश्तहार जारी कर ही इसे दरियाफ्त किया जायेगा) तो उसकी बन्दोबस्ती पूर्ववत सरकार के ही अनुमोदन से होगी।

4- उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित सरकारी आदेश इस परिपत्र के निर्गत होने की तिथि से लागू समझा जाएगा। इस तिथि के पूर्व इस संबंध में जितने भी आदेश निर्गत हुए हैं सभी प्रभावहीन समझे जायेंगे।

5- इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना कृपया दें।

विश्वासभाजन

उदय नारायण राय
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/ खा० म० -नीति 101 / 72 - 4725 - रा०

पटना - 15, दिनांक 14/16 अगस्त, 1972।

* प्रस्ताव में गैर-सरकारी तौर पर सहमति प्राप्त] प्रतिलिपि वित्त* विभाग/राजनीति (सामान्य) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उदय नारायण राय
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/ खा० म० -नीति 101 / 72 - 4725 - रा०

पटना - 15, दिनांक 14/16 अगस्त, 1972।

प्रतिलिपि सचिव, सोलजर्स, सेलर्स एवं एअर मेन बोर्ड सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

उदय नारायण राय
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/ खा० म० -नीति 101 / 72 - 4725 - रा०

पटना - 15, दिनांक 14/16 अगस्त, 1972।

प्रतिलिपि निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उदय नारायण राय
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या :- 4/ खा० म० नीति 1065/71-5020 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री उदय नारायण राय,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता

पटना - 15, दिनांक 6/8 नवम्बर, 71 ।

विषय :- गैरमजरूआ आम एवं सार्वजनिक हित में आने वाली जमीन का संरक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि विधानसभा एवं परिषद में वाद विवाद एवं अन्य अवसरों पर यह बात सरकार के समक्ष लाई जाती ही है कि राज्य में जहां तहां लोग धड़ल्ले से गैरमजरूआ आम एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग में आनेवाली जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते जा रहे हैं । सरकार की यह सदैव मंशा रही है कि सार्वजनिक हित की जमीन सर्वसाधारण के उपयोग में रहे और उसकी सुरक्षा भी होती रहे ताकि कोई व्यक्ति विशेष या संस्थान उस पर अनाधिकृत कब्जा करके उसका उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ में न कर सके । इसके निमित्त सरकार चाहती है कि ऐसी जमीन का प्रत्येक वर्ष सत्यापन कर उसका सीमांकन कर दिया जाय और स्थानीय जनता को सूचित कर दिया जाय कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग का है और अगर कोई व्यक्ति इसपर अनाधिकृत कब्जा करें तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

2- इस संबंध में आपका ध्यान राजस्व विभागीय पत्रांक - 519 दिनांक 29.1.53 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आकृष्ट दिया जाता है जिसमें पशुओं के लिये चारागाह की व्यवस्था करने के लिये सरकारी अनुदेश है । सरकार चाहती है कि इसमें निहित अनुदेशों के मुताबिक इसका संरक्षण सही रूप में होना चाहिये ।

3- राजस्व विभागीय पत्रांक - 344 दिनांक 15.1.69 में यह अनुदेश दिया गया है कि केवल वैसी ही गैरमजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती पर विचार किया जाय जिसकी प्रकृति एकदम बदल गई हो और वह सार्वजनिक उपयोग के लायक नहीं रह गई है । गैरमजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव जब कभी भी भेजा जाय तो इसपत्र में दिये गये अनुदेश के मुताबिक पुरी छान-बीन कर ही भेजा जाय । जो जमीन छान-बीन के दौरान बन्दोबस्त करने लायक नहीं पाई जाय, उसे सार्वजनिक उपयोग के लिये छोड़ दिया जाय ।

अतः अनुरोध है कि उक्त अनुदेशों के पालन के लिये अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को कृपया सचेत कर दें ।

विश्वासभाजन

ह०/- उदय नारायण राय

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 4 खा0 म0 - नीति - 1065/71-5020 रा0, पटना, दिनांक 6/8-11-71 ।

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित की जाती है ।

ह०/- उदय नारायण राय

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या :- 4/ ख्वा० म० नीति 01/72-2188 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूलचन्द सिंह,

उप-सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 12/13 मई, 1971 ।

विषय :- भूमिहीन व्यक्तियों के द्वारा किए गए छोटे-छोटे अतिक्रमण के मामले को नियमित करने के हेतु शक्तियां प्रदान करने के बारे में ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार को वर्तमान नीति के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ी जाति (अनुसूची- 1) एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के द्वारा गैरमजरूआ मालिक जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जिन्हें अपनी कुल जमीन मिलाकर 2-5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं है उसे नियमित करने और बिना किसी सलामी के उनके साथ बंदोवस्ती करने का निश्चय किया गया है । उसी प्रकार अन्य श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित 50 डिसमिल तक की जमीन जिसे उन्होंने अपनी जमीन को सीधा करने के लिए अनाधिकार दखल कर लिया है, उस जमीन का लगान एवं लगान का 20 गुणा सलामी लेकर नियमित करना है ।

2- सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ी जाति (अनुसूचित - 1) सैनिक व्यक्ति एवं शरणार्थी व्यक्तियों के साथ जमीन बंदोबस्ती करने की शक्तियों अनुमंडलाधिकारियों, अपर समाहर्ता अथवा समाहर्त्ताओं को प्रदत्त है परन्तु जहां तक अन्य श्रेणी के व्यक्तियों काप्रश्न है सिर्फ सरकार ही बंदोवस्ती करने के लिए सक्षम है । छोटे-छोटे अतिक्रमण के मामलों का शीघ्रता से निस्तार करने और भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित जमीन की बंदोबस्त कर उसे नियमित करने के लिए सरकार ने निर्णय किया है कि भूमिहीन व्यक्तियों के साथ उनके द्वारा अन्यथा धारित भूमि को मिलाकर कुल 2-5 एकड़ तक अतिक्रमित जमीन की बंदोबस्ती लगान एवं लगान का 20 गुणा सलामी लेकर नियमित करने की शक्तियां सभी अनुमंडलाधिकारियों को प्रदत्त की जाय । इसके निमित्त 50 डिस्मल तक जमीन धारित करने वाले व्यक्ति भूमि हीन समझे जायेंगे। साथ ही अपनी जमीन को सीधा करने के लिए 50 डि0 तक अतिक्रमित भूमि की किसी भी स्थिति में अतिक्रमणकारी के साथ बंदोबस्ती कर नियमित करने की शक्ति भी अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रदत्त की जाये ।

3- पुन: यह भी निर्णय किया गया है कि अतिक्रमण को नियमित करने के बारे में प्रदत्त शक्तियों गैर मजरूआ आम जमीन पर हुए अतिक्रमण को नियमित करने के संबंध में लागू नहीं होगी । सिर्फ वैसे मामलों को जहां गैरमजरूआ आम जमीन का स्वरुप बिल्कुल बदल चुका है और वह सार्वजनिक उपयोग मे नही रह गई है तथा जमीन खेती के योग्य हो गई है, समाहर्त्ता अपनी सिफारिश के साथ सरकार के पास स्वीकृत और नियमित करने हेतु भेजेंगे ।

4- गैरमजरूआ आम जमीन पर हुए सामान्य अतिक्रमण को हटाना है, परन्तु यदि कहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़ी जाति (वर्ग - 1) के व्यक्तियों को आवास गृह गैरमजरूआ आम जमीन पर पाया जाय तो वैसी स्थिति में उसके बदले उसी गांव में या समीपवर्ती इलाके में दूसरी जमीन उपलब्ध कर दी जाय और तब वैसे अतिक्रमण को हटाया जाय, परन्तु किसी भी हालत में वैसे अतिक्रमण को नियमित नहीं करना है ।

5- यह आदेश पत्र निर्गत होने की तिथि से लागू समझा जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/- फूलचन्द सिंह .

उप-सचिव

ज्ञापांक - 4 खा0 म0 - नीति - 101/71-2188 रा0, पटना - 15, दिनांक 12/13 मई 1971

प्रतिलिपि सभी समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- फूलचन्द सिंह

उप-सचिव ।

ज्ञापांक - 4 खा0 म0 - नीति - 101/71-2188 रा0, पटना - 15, दिनांक 12/13 मई 1971

प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित

ह०/- फूलचन्द सिंह

उप-सचिव ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित ।

पत्र संख्या :- 4/ खा० म० नीति 109/71 2034 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूलचन्द सिंह,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 3सरी मई, 71

विषय :- विशेषाधिकार प्राप्त (Privileged Persons) व्यक्तियों के साथ गैरमजरूआ मालिक एवं खास जमीन की बंदोबस्ती करने के निमित अनुमण्डल पदाधिकारियों को शक्ति प्रदान करना ।

महोदय,

राजस्व विभागीय पत्रांक - 5 एल0 आर0 - एल0 ए0 - 211/70-6561 एल० आर० दिनांक 24.7.1970 के क्रम में निदेशानुसार मुझे कहना है कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरुप देहाती क्षेत्रों में कृषि योग्य बंजरभूमि एवं अन्य भूमि जो राज्य सरकार में निहीत हो गयी है उसकी बंदोबस्ती में निम्नांकित वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है :-

(क) अनुसूचित जाति,

(ख) अनुसूचित जनजाति,

(ग) पिछड़े वर्ग (सूची -1)

(घ) कार्यरत सैनिक तथा वैसे सैनिक के परिवार जो युद्ध में वीरगति प्राप्त किये हो, तथा

(ङ) पूर्वी पाकिस्तान एवं वर्मा से आये हुये वे शरणार्थी जो 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद भारत में आये हों ।

उपर्युक्त (घ) को छोड़कर शेष वर्गों के लोगों के साथ जमीन बंदोबस्ती करने की शक्ति प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी को प्रदत्त है । (घ) पर वर्णित लोगों के साथ जमीन बन्दोबस्ती करने में जिला के समाहर्त्ता सक्षम हैं।

2- बिहार प्रिभीलेज्ड परसन्स होमस्टीड टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को वास का पर्चा देने के दौरान यह पाया गया कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने गैरमजरूआ खास, मालिक या गैरमजरूआ आम जमीन पर भी मकान बना लिया है और उसमें रहते चले आ रहे हैं । ऐसे जमीन पर जिनलोगों ने अपना मकान बना लिया है, उन्हें बिहार प्रिभीलेज्ड परसन्स होमस्टीड टेनेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत वास का पर्चा देना सम्भव नहीं है क्योंकि उक्त अधिनियम सरकार में निहित जमीन पर लागू ही नहीं होता है । इसके निमित्त एक ही उपाय है कि उस जमीन की बंदोबस्ती वैसे लोगों के साथ कर दी जाय । अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग सूची - 1 इत्यादि के अन्तर्गत आनेवाले विशेशाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ बन्दोबस्ती सम्प्रति प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत स्थानीय पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी - समाहर्त्ता) कर सकते हैं, परन्तु अन्य श्रेणी के विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ सरकार द्वारा ही बंदोबस्ती की जा सकती है । परन्तु इस प्रक्रिया में काफी श्रम एवं समय लगेगा । अत: सरकार ने पूर्ण विचार-विमर्श के बाद विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ जमीन बन्दोबस्ती के लिये निम्न प्रकारेण शक्तियां प्रदत्त करने का निर्णय किया है :-

(क) जिस गैरमजरूआ खास एवं मालिक जमीन पर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का मकान बना हुआ है उसकी बंदोबस्ती उक्त व्यकित के साथ कर दी जाय । ऐसी बंदोबस्ती करने की शक्ति सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को प्रदत्त की जाती है ।

(ख) बंदोबस्ती के दौरान घर एवं सहन की जमीन अगर 12.5 डिसमल से फाजिल हो तो उसकी बंदोबस्ती में सरकार के आदेश की आवश्यकता होगी ।

(ग) ऐसी बन्दोबस्ती में विशेषाधिकारी प्राप्त व्यक्तियों से 12.5 डिसमल तक जमीन के लिये कोई सलामी नहीं ली जायेगी ।

(घ) विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का मकान अगर गैरमजरुआ आम जमीन पर होगा तो उसकी बन्दोबस्ती उसी हालत में की जायेगी जबकि जमीन की प्रकृति बदल गयी हो, और वह जनता के उपयोग में नहीं हो । किन्तु आम जमीन की बन्दोबस्ती करने के पहले आम इश्तहार द्वारा जनता को सूचित करना होगा ताकि कोई भी इस प्रस्ताव के विरूद्ध आपत्ति दे सकेंगे । अगर वह जमीन आपत्ति रहित होगी तबही उसकी बंदोबस्ती की जाएगी । इस तरह विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ गैरमजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती (मकान के लिए) करने का अधिकार प्रमण्डलीय आयुक्तों को ही रहेगा ।

पत्र प्रेषित होने की तिथि से ही यह आदेश लागू समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन

ह०/- फूलचन्द सिंह
सरकार के उप-सचिव, ।

ज्ञापांक - 2034 रा०, पटना -15, दिनांक 3 मई, 1971 ।

प्रतिलिपि सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित ।

ह०/- फूलचन्द सिंह
सरकार के उप-सचिव ।

No. A/GL - 3- 208 / 69.- 4234
GOVERMENT OF BIHAR
REVENUE DEPARTMENT

From ,

Shri S. K. Chandra,
Additional Secretary to Government.

To,

All Divisional Commissioners.
All District Officers,

Patna - 15, dated the 1st Sept. ' 69

Subject : Renewal of leases of Town Khas-Mahal in the State.

Sir,

I am direced to say that it has come to the notice of Government through the inspection notes and reports received from the District Officers that there are a large number of cases in which the Khasmahal lessess have failed to get their leases renewed and have been continuing on the land in an anauthorised manner. It appears that the Government Instrutions regarding renewal of the leases have not been followed by the local authorities as a result of which whether leesees have continued in possession of the lease holds without renewal.

2. The following issues relating to Town Khasmahal have come up for consideration before the Government:-

(a) Cases in which lessees have continued payment of regularly, and the same has been accepted by the revenue terms of the lease, what precisely will be the legal course left to Government to deal with such cases ?

(b) Cases inwhich lessees are continuing on the lease hold property without payment of rent and renewal or have transferred their interest to another person or have changed the purpose of lease for which it was granted in violation of the terms of the lease and are continuing without payment of rent and renewal on the lease hold property. What legal steps the Collector should take in such Cases ?

(c) Can executive force be used to take back possession of premises from lessees,who have violated the terms of the lease ?

(d) Civil suit the only alternative to the back, possession, as provided under rule 22 of the Bihar Govt. Estates Manual, 1953 ?

3. The Law Department have been consulted on the above issues and they have categorically advised in this regard which are as follows ;-

(i) In regard to the point raised in para - 2 (a) the law department have explained the legal position and have advised that since the regular payment of rent has the effect of renewal and protection of section 116 of the Transfer of property Act, it will not be considtent with justice of property to realise any amount byway of liquidated damages from such lessees. The Administrative Department (Revenue) may, however, consider the desirability of making fresh leases or renewal of the old cases on higher rent in terms of the agreement, after expiry of the current yearly lease. This procisely means that befor esuch expiry, leases should be renewed on the existing terms and conditions, but after charging double the rental as is done at the time of renewal of such lease according to Government order.

(ii) for issues referred to in para (2) (b) the Law Department are of the view that lessees of these categories are to be treated as trespassers and can be evicted from premises by suitable process of law. But the Administrative Department (Revenue) may give fresh lease on the terms and conditions to be mutually agreed upon. This alternative advise is intended to set at rest the old dispute between the Lessor (Government) and the tresspasser lessees. In all such cases a notice may, therefore, be issued to all such lessees, indicating fresh terms and conditions for new leases, and in case of their failure to come to an agreement with the lessor regular civil suits may be instituted to evict them.

(iii) Regarding use of executive force referred to in para 2(c) the Law Department have categorically advised that no executive force should be applied to take possession and civil suits as suggested in para 2(d) should be

instituted under the provision of Rule 22 of the Bihar Government Estates Manual, 1953 to take back possession.

4. Government in the light of the advice of the Law Department desire that the following action to be taken for the disposal of these cases :-

(i) Lessees of category 2(a) having the protection of section 116 of the Transfer of Property Act are not defaulters and they may be noticed atonce to get their lease renewed on payment of double the annual rental as provided in the Revenue Department letter no. 9249/R dated the 27th October, 1961 reproduced at page 29 of the Compendium settlement of lands.

(ii) For lessees of category 2(b) Government have decided to take action as follows :-

(a) Lessees continuing on the lease-hold property without payment of rent and renewal are to be treated as trespassers and have no case for renewal on past terms and conditios. They should be noticed to notify their intention by a fixed date if they are desirous of taking fresh lease onpayment of salami at the current market value of the land as contemplated in Revenue Department letter no. 6053/R dated the 19th August 63 reproduced at pages 23-24 of the compendium on settlement of lands with the only modification that in respect of commercial leases, no tender is to be invited and the market value of the land together with capitalised value of rent (25 time of its annual rental) only is to be charged as salami and settlement may be made with existing lessees, and incase of lease granted for residential purposes, the instruction contained in the aforesaid letter may be followed :-

In these cases 1/50 th of salami and will be the annual rental for fresh leases in respect of residential lease and 1/20th in respect of Commercial leases.

The lessees are also liable to pay arrear of double the rental from the date of non payment of the annual rental at the rate prescribed in the original lease with 6¼% interest thereon.

The lessees may be charged an amount depending upon the descretion of the Collecter but subject to the maximum fixed in a lease as liquidated damages, because they have violated the terms of the lease.

(b) In case of leases where the very purpose of the lease has been changed inviolation of the terms of the lease and lessees are continuing on the lease-hold property without payment of rent and renewal, they are also to be treated as trespassers,and they too are to be noticed to notify their intention by a fixed date. If they are desirous of taking fresh lease, on the terms and conditios specified for the lessees of para 4 (ii) (a) above. In such cases, however, it should be kept in mind that if a lesses has continued payment of rent for the purpose defined in the lease, in realisation of arrear from him only the difference between the amount already paid and the amount which should have been paid from the date the purpose was changed, is to be realised with 6¼% interest thereon.

(c) Cases where the original lessees have transferred their interest to transferee either before, or after the expiry of the lease period, and the transferes is continuing on the lease hold property without payment of rent and renewal he too is a trespasser and is entitled to no consideration under the past lease. He is also to be noticed to notify his intention to take fresh lease by fixed date on the terms and conditions specified for lessees of category 4 (ii) (a) together with other liabilities if any incurred by the original lessees because the transferees have taken the lease from original lessees in violation of the terms of the lease with all encumbrunces thereon.

The transferees at the time of taking fresh lease from Government will not claim any refund from the Government the amount they have paid as consideration for taking the lease hold-property from the original leassee.

Government desire that renewal of leases be taken up immediately and a monthly progress reort sent to Government.

Yours faithfully,

Sd/- S. K. Chandra
Additional Secretary to Government